राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ५३वां दिवस [संख्या ३३

शुक्रवार, दिनांक ४ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १२ मिनट पर विधान सभाभवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, अकाल-सहायता, समाज कल्याण, एवं विकास-विभाग]

प्रश्न संख्या ४२६

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२७,

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

भूमिहीनों को जमीन

४२८. श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार चम्बल नहरी क्षेत्र में काश्त योग्य भूमि भूमिहीन लोगों को निश्चित रेट पर देती है ?

(ख) यदि हां, तो कितने भूमिहीनों को कितनी कितनी जमीनें दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ग) अब तक उपरोक्त क्षेत्र में किस दर पर भूमि बेची गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) जी हां । भूमिहीन कृषकों को तीन एकड़ तक की भूमि का आवंटन आरक्षित मूल्य पर किया जाता है ।

(ख) भूमिहीन आवंटन-ग्रहीताओं की संख्या ६,६२६ है । चम्बल परियोजना क्षेत्र में अब तक भूमिहीनों को ४१,२१३ बीघा भूमि दी गई है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

Page No. 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(ग) तीन एकड़ तक की भूमि आरक्षित मूल्य पर आवंटन की जाती है, जिसकी निम्नांकित दरें हैं :—

भूमिवर्गीकरण	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि
माल प्रथम	२२५) रु० प्रति बीघा	८०) रु० प्रति बीघा
माल द्वितीय, तृतीय	१५०) रु० प्रति बीघा	६०) रु० प्रति बीघा
माल चतुर्थ	६०) रु० प्रति बीघा	२५) रु० प्रति बीघा

तीन एकड़ से अधिक भूमि को सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय किया जाता है, जिसकी किस्मवार न्यूनतम दर आरक्षित मूल्य है एवं अब तक की उच्चत्तम दरें निम्न प्रकार हैं :—

भूमिवर्गीकरण	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि
माल प्रथम	४५५) रु० प्रति बीघा	१५०) रु० प्रति बीघा
माल द्वितीय, तृतीय	३००)रु० प्रति बीघा	१३०) रु० प्रति बीघा
माल चतुर्थ	१४०) रु० प्रति बीघा	६०) रु० प्रति बीघा

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं मिली है। इसकी एक कॉपी मुझे मिलनी चाहिये थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह हमने तो सदन की मेज पर रख दी है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पर जब तक मुझे नहीं मिलेगी ऐसी सूची तब तक मुझे कैसे मालूम हो सकेगा कि किन किन लोगों को भूमि मिली है या ऐसे लोगों को कैसे छांटूं, जिन्होंने गलत तरीके से जमीन ले ली और भूमिहीन किसान को नहीं मिली, भूमिहीन तो थे, पर दूसरे दूसरे धन्धे उनके थे, उन्होंने ले ली है ?

श्री अध्यक्ष : सूची में हजारों नाम हैं और वह सूची यहां पर रखी है, वह आप देख लें पन्द्रह मिनट में।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अब पन्द्रह मिनट में हजारों नाम नहीं देख सकता। अच्छा तो यह होता कि मुझे कॉपी मिल जाती, मैं उसे देख लेता और फिर सप्लीमेन्टरी सवाल करता।

श्री अध्यक्ष : आप सूची देख लें, आपको बाद में प्रश्न के लिए समय दे दिया जावेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जैसा आपने बताया है कि २२५) रुपया प्रति बीघा आपके द्वारा मांगा जा रहा है; इस प्रकार की भूमि नहर में काटी गई है इसकी क्या दर देनी निश्चित की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

Page No. 3

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह इसी से सम्बन्धित है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलॉटमेन्ट का प्रश्न, आपका एक्वीज़ीशन का प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह किन रूल्स के तहत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोलोनाइज़ेशन एक्ट के तहत रूल्स हैं, उनके मुताबिक है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : चम्बल एरिया में जो भूमिहीन हैं और उनको तीन एकड़ जमीन देने की बात कही गई तो क्या यह जमीन मुफ्त में दी जावेगी उनको ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेट गवर्नमेन्ट तय करती है; रूल्स में इसका प्रावधान नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अभी रेटें बताई हैं न।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : आपने अभी उत्तर में बताया कि तीन एकड़ दी जा रही है, तो क्या यह जमीन मुफ्त ही दी जा रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, मुफ्त का तो प्रश्न ही नहीं है।

प्राथमिकशाला, शेखसर की व्यवस्था

४२९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्राथमिक शाला, शेखसर की व्यवस्था पंचायत समिति, लूणकरणसर के पास है एवं इसी शाला की कक्षा ६ से ८ तक की शिक्षा—व्यवस्था का उत्तरदायित्व सरकार के पास है ?

(२) क्या सरकार एक ही स्कूल में इस प्रकार के दोहरे प्रबन्ध को पसन्द करती है ? अगर नहीं, तो इस अवस्था के सुधारने के लिये सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां। प्राथमिक शाला, शेखसर पंचायत समिति, लूणकरणसर के आधीन है और राजकीय माध्यमिकशाला, शेखसर जिसमें ६ से ८ तक की कक्षाएं हैं सरकार के अधीन हैं। पहले माध्यमिक शाला जिला बोर्ड के अधीन थीं; बाद में लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण में सरकार को स्थानान्तरित कर दी गईं।

(२) ये अलग अलग प्राथमिक व माध्यमिक शालाएं हैं, एक ही शाला के रूप में नहीं है, इसलिये डबल मैनेजमेन्ट का प्रश्न नहीं होता। यह अवश्य है कि शिक्षा विभाग एवं पंचायत समितियों के परस्पर अच्छे संबंध होने के कारण दोनों शालाएं एक ही भवन में चल रही हैं; परन्तु एक शाला का दूसरी शाला में मैनेजमेन्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भीमसेन : क्या सरकार मिडल और प्राइमरी स्कूलों को एक करना वाजिब नहीं समझती ?

Page No. 4

श्री परसराम मदेरणा : अलग अलग स्कूलें हैं और दोनों का अलग अलग मैनेजमेन्ट है।

श्री भीमसेन : क्या दूसरी जगह भी मिडल स्कूल्स सरकार के हाथ में और प्राइमरी दूसरों के हाथ में हों, ऐसी व्यवस्था है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : सब स्कूलों में ऐसा नहीं है। यह स्कूल पहले बोर्ड के अधीन चल रही थी और बाद में गवर्नमेन्ट को ट्रान्सफर करने के बाद में प्राइमरी और मिडिल सेक्शन्स अलग कर दिये हैं।

श्री भीमसेन : फिर सरकार जैसी दूसरे स्थानों पर नीति अपनाती है वैसी ही यहां पर क्यों नहीं अपनाती है; जैसे अगर सरकार की मिडल स्कूल है तो कक्षा १ से ८ तक सरकार के ही अन्डर में रहती है ? इस पर्टीकुलर केस में अलग अलग रखा है, यह एक नीति होते हुए भेद क्यों ?

श्री परसराम मदेरणा : मैनेजमेन्ट भले ही अलग रहे, डिफिकल्टी कहां है पढ़ाई में ? बिल्डिंग एक है, सक्शन अलग अलग चलते हैं। पढ़ाई का जहां तक सवाल है। कोई कठिनाई नहीं है।

श्री भीमसेन : डिफिकल्टी तो नहीं है, पर ऐसा होता है प्राइमरी सक्शन में एक एक टीचर रहता है और मिडल सक्शन में चार चार रहते हैं। अगर एक हो जावे तो ठीक से पढ़ाई हो सकती है; क्योंकि अगर कोई टीचर कहीं चला जाय या आवे नहीं तो प्राइमरी सक्शन में तो एक ही टीचर रहता है; शामिल हो तो यह सहूलियत हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : सामान्य तौर से मिडल स्कूल जब बनाई जाती है तो सारी स्कूल ही सम्बन्धित मिडल में परिवर्तित कर दी जाती है। पर इसमें दो हिस्से रखे हैं। अब उसको ऐसा ही रखेंगे या बदल कर एक ही रखने की नीति है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्राइमरी स्कूल को जब तक कि पंचायत समिति दूसरा स्कूल नहीं बना लेगी उस समय तक यह एडहॉक एरेन्जमेंट किया है। अब हम पंचायत समिति को कह देंगे कि वह अपनी सेपरेट बिल्डिंग बना ले।

श्री भीमसेन : पंचायत समिति तो स्कूल ट्रान्सफर करने के लिए तैयार है।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति के ट्रान्सफर करने का प्रश्न नहीं है, बिल्डिंग तो हमारी है। हमने एडहॉक अरेन्जमेंट इसलिए किया है कि उनके पास बिल्डिंग नहीं है और जब बनालेंगे तो हमें आपत्ति नहीं है कि अलग से स्कूल चलायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नई बिल्डिंग का नहीं है। सारे स्कूल्स को कक्षा १ से ८ तक एक ही ट्रीट करने की जरूरत है। इसके बारे में आप विचार करें।

(विराम)

श्री हीराभाई।

भूमिहीन किसानों को जमीन

४३०. **श्री हीराभाई** (कुशालगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

Page No. 5

(श्री हीराभाई)

(१) जिला बांसवाड़ा में ६ एकड़ से कम जमीन वाले कितने किसान हैं और किस किस तहसील में कितने कितने भूमिहीन किसान हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित हो चुका है कि ६ एकड़ से कम जमीनवाला काश्तकार भूमिहीन माना जावेगा ?

(३) उक्त जिले की प्रत्येक तहसील में नोतोड़ जमीन काश्त करने वास्ते कितने भूमिहीन लोगों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये और उनमें से कितने स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत ?

(४) जिन भूमिहीन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए हैं उन्हें जमीन मिलने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) बांसवाड़ा जिले में ६ एकड़ से कम जमीनवाले २३,१२३ किसान हैं एवं तहसीलों के किसानों की संख्या जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है वह निम्न प्रकार से है:—

तहसील	बांसवाड़ा	४,३६७
,,	कुशलगढ़	६८२
,,	गढी	२८३
,,	बागीडोरा	५६७
,,	घाटोल	१६७
	योग	६,१२६

(२) जी हां।

(३) सूचना इस प्रकार है।

नाम तहसील	प्रार्थियों की संख्या	अलॉट की गई	पेन्डिग	अस्वीकृत
बांसवाड़ा	५२२	३३४	१८८	
कुशलगढ़	३६१	९२	१८०	८९
गढी	२८३	१८३	१००	
बागीडोरा				
घाटोल	३९३	८५		३०८

(४) जिन कृषकों के प्रार्थना पत्र अस्वीकृति किये गये हैं वे वास्तव में भूमिहीन नहीं थे।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि बांसवाड़ा जिले में इस समय कोई भी भूमिहीन किसान नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने अपने जवाब में बता दिया है कि कितने भूमिहीन किसान हैं।

श्री हीराभाई : आपने बताया कि ६ हजार भूमिहीन हैं तो उनके बारे में फिर सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था होगी ?,

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार की तरफ से भूमिहीनों को अलॉटमेन्ट की व्यवस्था है।

श्री हीराभाई : बांसवाड़ा में जो आपने बताया उसका अलॉटमेन्ट किस साल में हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या ? किस सन् में हुआ ?

श्री हीराभाई : यह अलॉटमेन्ट किस सन् में हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : देखिये, माही प्रोजेक्ट की वजह से जो दरख्वास्तें दी गई थीं उनमें काफी दरख्वास्तों का तो डिस्पोज़ल हो चुका है और उसके बाद में माही प्राजेक्ट में इन पांचों तहसीलों में अलॉटमेन्ट बन्द कर दिया गया था इसलिए वे दरख्वास्तें पेन्डिंग रह गईं और उसके बाद जिस समय १६६१ में ये आदेश जारी कर दिये गये हैं कि अब अलॉटमेन्ट की कार्यवाही शुरु की जायेगी इसलिए १६६२ की जनवरी से वापिस अलॉमेन्ट की कार्यवाही इन पांचों तहसीलों में प्रारम्भ कर दी गयी है। इसलिए इस प्रकार की कोई तकलीफ रहने वाली नहीं है।

श्री हीराभाई : मैंने यह पूछा था कि जो भूमि अलॉट की गयी यह किस साल में की गई; मेरा प्रश्न यह था और आपने आइन्दा के लिए कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने किस साल के अलॉटमेंन्ट के सिलसिले में पूछा है ?

श्री हीराभाई : मैंने पूछा है कि कौन से साल में यह अलॉटमेन्ट हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका प्रश्न किस साल का था ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वे आंकड़े किस साल के प्रस्तुत किये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो मैं बता चुका हूं १४ से १७ के बीच के आंकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद।

जयपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के तहत छात्रवृद्धि आन्दोलन

४३१. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) जयपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के तहत जो 'छात्र-वृद्धि' आन्दोलन चलाया गया था उसमें पंचायत समिति वार कितने कितने छात्रों की वृद्धि हुई है ?

(ख) क्या छात्र-वृद्धि के अनुकूल अध्यापकों की संख्या भी बढ़ा कर समितियों को स्वीकृति या बजट दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार अब आम वृद्धि के अनुकूल अध्यापकों की विशेष आवश्यकता पूर्ण करने का इरादा रखती है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक यह सम्भव हो सकेगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा): (क) पंचायत समिति प्राथमिक शालाओं में जो 'छात्र-वृद्धि' आन्दोलन में वृद्धि हुई है उसका स्टेटमेंट संलग्न है।

(ख) 'छात्र-वृद्धि' के अनुकूल अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है। प्राय : निरीक्षणों के समय देखने में आया है कि पंचायत समितियों में

(श्री परसराम मदेरणा)

छात्रों की संख्या के अनुपात से शिक्षकों की संख्या कहीं अधिक है। अतः समस्त विकास अधिकारियों से उनके आधीन चल रही शालाओं की वर्तमान छात्र संख्या का मान-चित्र मांगा गया था, जिसको देखने से पता चलता है कि शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। सन् १६६१-६२ में २२ अतिरिक्त शिक्षकों का कोटा भी मय बजट के जयपुर जिले की पंचायत समितियों में दिया जा चुका है।

(ग) जी हां।

(घ) ज्यों ही समस्त विकास अधिकारियों से मान-चित्र प्राप्त हो जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह छात्रों की संख्या एक अध्यापक के पीछे क्या होनी चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा : एप्रोक्सिमेटली एक अध्यापक के पास में ६० स्टूडेन्ट्स होने चाहिये।

श्री भीमसेन : क्या यह सम्भव है कि ६० बच्चों को एक अध्यापक १ से ५ तक पढ़ा सके ?

श्री परसराम मदेरणा : संभव तो है किसी जगह कम स्टूडेन्ट्स भी हो सकते है और किसी जगह ज्यादा भी हो सकते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय पहले तो यह संख्या ४० थी और अब ६० कर दी गयी ?

श्री भीमसेन : क्लास के स्टेन्डर्ड घन्टे कितने रखे गये हैं ? एक अध्यापक को एक कक्षा को पढ़ाने के लिए कितना समय लेना पड़ता है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो समय निर्धारित किया जाता है। स्कूलों का टाइम है उसमें वह पढ़ाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

बेदखली और जुर्माना

४३२. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) पिछले दो वर्षों में तहसील सांचोर में राजस्थान लैंड रेवेन्यू अधिनियम के तहत कितने किसानों को तहसील सांचोर में बेदखल किया गया और उन पर बेदखल कर कुल कितना जुर्माना किया गया ?

(२) क्या यह सच है कि कई सालों का पुराना कब्जा होते हुए भी कई किसानों को तहसील सांचोर द्वारा हाल ही में बेदखल किया गया और उन पर कई गुना जुर्माना भी कियागया ?

(३) इतने सालों तक कोई कार्यवाही न कर अभी ऐसी सख्त कार्यवाही करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

(४) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील सांचोर में पिछले दो वर्षों में कितने पुराने कब्जाशुदा काश्तकारों को खातेदारी हक दिए गए ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसादलड्ढा):

Page No. 8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(१) सन् १९६० में २२ किसान बेदखल किए गए व उन पर ६,२२२, रु० ३३ न० पै० का जुर्माना किया गया।

(२) सन् १९६१ में ६४३ व्यक्तियों को बेदखल किया गया व उन पर २७,०५३) रु०, ३४ न० पै० का जुर्माना किया गया।

(३) जी नहीं।

(४) सन् १९६० में राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि राजकीय भूमि पर जिन लोगों ने अनधिकृत रुप से अधिकार कर रखा है उनकी जांच की जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उक्त निर्णय के अधीन ही यह कार्यवाही की गई थी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सच है कि जो पहले निर्णय किया था उसके पहले से ही लैण्ड रेवेन्यू एक्ट लागू था और जो कब्जे पहले से मौजूद थे उनकी पहले कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियम पहले भी थे, कानून भी थे; लेकिन डिटेक्शन नहीं हुआ था और १९६० में जो गवर्नमेन्ट ने इस बारे में निर्णय लिया, एक सर्कुलर निकाला उसी के अनुसार ये सारे केसेज़ डिटेक्ट हुए और उसके बाद ही उस सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या सर्कुलर कानून के बनिस्पत ज्यादा वकत रखता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून और सर्कुलर दोनों ही समान वकत रखते हैं, क्योंकि सर्कुलर भी कानून के अन्तर्गत ही होते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सच है कि १९५५ और ५६ से लेकर ६१ तक लोगों का कब्जा था और बाद में उन वर्षों में लगान भी वसूल किया गया, बराबर गिरदावरी होती थी उन्हीं किसानों को ६० और ६१ में तहसील के स्टाफ के जरिये बेदखल किया गया, जब कि सालसाल उनसे पहले लगान लिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही है कि बेदखल किये गये, लेकिन लगान पहले लिया जा चुका था और बाद में इजेक्टमेन्ट यानि जुर्माने हुए, इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। फिर भी यह तहसील के स्टाफ की लापरवाही की वजह से देरी से ये केसेज़ डिटेक्ट हुए। इस सम्बन्ध में हम संबंधित व्यक्तियों से जवाबदेही कर रहे हैं और उनका प्रत्युत्तर आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जब कि सरकार यह कहती है कि २७ हजार जुर्माना वसूल किया गया उन किसानों से जिनका कि कोई कुसूर नहीं था तो जो सख्ती किसानों के साथ की गई उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी ऐसी सख्त कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है कि किसानों का कोई कुसूर नहीं था; उनका तो कसूर था कि यह जानते हुए कि यह सरकारी जमीन है उन्होंने ट्रेसपास करके कुसूर तो किया, पर सरकार की मशीनरी को इसे

(श्री रामप्रसाद लडढा)

जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए था, जल्दी एक्शन लेना चाहिए था। बाकी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ट्रेसपासर्स का कोई कसूर ही नहीं था।....

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या यह बात सच है कि इजेक्ट किये हुए काश्तकारों में वे भी शामिल हैं जो जागीर के वक्त में उस जमीन पर काबिज थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या आप इसकी जानकारी करेंगे और यह साबित हो गया कि जो जागीर के वक्त काबिज थे उनको ट्रेसपासर करार दिया गया है तो उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जानकारी करने का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उस समय यदि काबिज होते तो उनको खातेदारी हक मिल गये होते ।

श्री तेजाराम गहलोत : जागीर के वक्त वे जमीन पर काबिज थे लेकिन तहसीलदार ने माना नहीं। रिज़ेम्पशन ऑफ जागीर्स के वक्त कोई आदमी जमीन पर काबिज होता है तो अकोर्डिंग टू एक्ट वह खातेदार होता है और तहसील अधिकारियों को उन्हें खातेदार मानना चाहिये । खातेदारी अधिकार नहीं मिलने से उनका नाम रेकॉर्ड में नहीं होता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खातेदारी अधिकार नहीं मिले, इस कारण नाम नहीं था तो खातेदारी अधिकार ऐसी हालत में प्राप्त करने का जो प्रवधान है वह अपनाना चाहिये और कोर्ट से खातेदारी राइट डिक्लेयर कराना चाहिये ।

श्री तेजाराम गहलोत : खातेदारी राइट डिक्लेयर कराना जरूरी नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिपार्टमेन्ट ने उनको खातेदार माना नहीं है तो उसकी रेमेडी यही है कि खातेदारी राइट डिक्लेयर करावे ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सरकार को सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिये, हजारों काश्तकार इस तरह के हैं तो उन्हें राइट देना चाहिये सरकार को ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही है कि सन् ६०-६१ के अप्रेल-मई में दर्ख्वास्तें दी गई और उनको टाइम पर इजाजत नहीं दी गई और टाइम जाने के बाद जब काश्तकारों ने जमीन पर काश्त करली तब उनको दोषी ठहराया गया कि उन्होंने अनधिकार कब्जा कर लिया है। क्या इसकी जानकारी करने की मंत्रीजी कोशिश करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि फसल बोने से पहले दर्ख्वास्त दी है और काफी समय निकलने के बाद भी इजाजत नहीं दी इसलिये फसल बो दी तो मैं इसकी जानकारी करूंगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं बताना चाहता हूँ कि जितना जुर्माना किया है उनकी दर्ख्वास्तें पेन्डिंग थीं, उनको समय पर इजाजत

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं दी गई और बरसात का समय आ गया इसलिये उन्होंने काश्त कर ली। उनको एग्ज़ेम्पशन न देकर उन पर एक्स्ट्रीम पैनेल्टी इम्पोज़ की गई है। उनके साथ कोई लीनियेन्ट व्यू नहीं लिया गया। जो मौजूदा तहसीलदार हैं वे दौरा करके उनको बेदखल कर रहे हैं ताकि उनको किसी तरह की सुविधा नहीं मिले; हालांकि नियमानुसार उनका कोई कसूर नहीं मालूम होता है। ऐसी हालत में क्या मंत्रीजी पूरी जानकारी करके अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर में विश्वविद्यालय की स्थापना

४३३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या बीकानेर स्टेट के समय बीकानेर में विश्वविद्यालय कायम करने की कोई योजना थी ? यदि हां, तो वह क्या थी ? क्या राज्य सरकार ने दूसरा विश्वविद्यालय खोलने के पूर्व उस योजना को देखा था ? विश्वविद्यालय के लिये बीकानेर उपयुक्त स्थान होते हुए भी वहां विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोला जा रहा है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां। योजना की प्रतिलिपि संलग्न है।

जी नहीं। क्योंकि बीकानेर रियासत के समय ही राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के निर्माण में बीकानेर रियासत ने सहमति दे दी थी। जोधपुर दूसरे विश्वविद्यालय खोलने के लिये उपयुक्त स्थान है जिसके लिये राजस्थान निर्माण के बाद ही निर्णय ले लिया गया था। केवल कार्यान्वित अब हो रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री मुरलीधर व्यास : राजस्थान के निर्माण के बाद जब निर्णय ले लिया गया था तो क्या बीकानेर की इस योजना को भी ध्यान में रखा गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : बीकानेर को इस स्कीम को ध्यान में रखने का प्रश्न नहीं था क्योंकि अर्स्टवाइल बीकानेर स्टेट की जिस स्कीम का जिक्र श्री पन्नीकर के नोट में है उसको ड्रॉप कर दिया गया था और सीरियसली पर्स्यू नहीं किया गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : कौनसे नोट में इसका जिक्र है, जिसको पर्स्यू नहीं किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : अर्स्टवाइल बीकानेर स्टेट की कौंसिल को एक नोट सब्मिट किया गया था और कौंसिल के एज्युकेशन मिनिस्टर उस समय राय बहादुर मदनमोहन वर्मा थे, उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया। स्टेट के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से श्री पन्नीकर ने नोट भेजा था उसको स्वीकार नहीं करने के कारण श्री पन्नीकर ने उसको पर्स्यू नहीं किया, और कागजों को देखने से स्पष्ट होता है कि बीकानेर गवर्नमेन्ट ने उस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया था।

श्री मुरलीधर व्यास : आप किस तथ्य पर यह कह रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : पुराने बीकानेर स्टेट के रेकॉर्ड से।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बीकानेर के मर्जर के बाद वेटरनरी और मेडिकल कॉलेज राजस्थान सरकार द्वारा बीकानेर में खोले जा चुके हैं। क्या उन परिस्थितियों को जो मर्जर के बाद पैदा हुई हैं, ध्यान में रख कर वहां पर युनिवर्सिटी खोलने की परिस्थिति पर सरकार ने विचार किया है?

श्री परसराम मदेरणा : जब जोधपुर में दूसरी युनिवर्सिटी खोलने का प्रश्न सरकार के विचार में आया उस समय जहां कहीं दूसरी जगह राजस्थान में युनिवर्सिटी खोली जा सकती है और इसके लिए कौनसा स्थान उपयुक्त हो सकता है, यह प्रश्न ध्यान में रखा गया और सब पहलुओं से जानकारी करने के बाद जोधपुर ही उपयुक्त समझा गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितने कॉलेज जोधपुर में बीकानेर से ज्यादा हैं, क्या इस पर प्रकाश डालेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर में कॉलेज की संख्या तो मैं इस समय नहीं बता सकता लेकिन यह सही है कि एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स जोधपुर में बीकानेर की बनिस्पत ज्यादा हैं और जहां तक स्टूडेन्ट्स का प्रश्न है कॉलेज में अध्ययन करनेवाले बीकानेर में १ हजार और कुछ हैं और जोधपुर में तीन हजार और कुछ हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर पूरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं इसलिए छात्रों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। सवाल यह है कि यह जो योजना है और जिसकी प्रतिलिपि दी है उसकी व्यवस्था हो चुकी थी, प्लान तैयार था, सारी चीजें थीं–कैसे होस्टल होंगे, कैसे बिल्डिंग्स होंगी, मेडिकल कॉलेज की भी योजना थी। सारी योजना होते हुए भी ध्यान क्यों नहीं रखा गया? मर्जर होने के बाद भी कहां कहां क्या क्या योजना थी, इसको ध्यान में क्यों नहीं रखा गया?

श्री परसराम मदेरणा : आपको जानकारी दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : बीकानेर के बारे में जो जानकारी थी वह आपको बता दी गई। यह तो आप आर्ग्युमेंट करने लग गये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या खोसला कमेटी ने बीकानेर विज़ीट किया था?

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

श्री मुरलीधर व्यास : एक प्रश्न और है। ठीक बात है; जोधपुर में युनिवर्सिटी खुले, मुझे कोई ऐतराज नहीं....

श्री अध्यक्ष : ऐतराज का प्रश्न नहीं है, तथ्यों की जानकारी आप कर सकते हैं। आप बहस न करें।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरी दो युनिवर्सिटीज़ और खोलने का प्रावधान है?

श्री परसराम मदेरणा : तीसरी योजना से पहले ही दूसरी युनिवर्सिटी खोलने की योजना विचाराधीन थी। सन् ५३ में डिसीज़न लिया गया और कमेटी मुकर्रर की गई थी उसने रिपोर्ट पेश की। उस समय क्योंकि

(श्री परसराम मदेरणा)

ट्रान्ज़ीशनल पीरियड था इसलिये निर्णय नहीं किया गया। थर्ड प्लान बनाते समय निर्णय लिया गया कि दूसरी युनिवर्सिटी खुले, और जहां तक आपका प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि बीकानेर में पहले स्कीम बनाई थी, उनका प्लान था लेकिन सन् ४७ में जब राजपूताना युनिवर्सिटी बनी जो आगे चल कर राजस्थान युनिवर्सिटी हो गई, उस समय आपकी रियासत ने स्वयं ने यह पसन्द किया था कि जयपुर में युनिवर्सिटी खुले और हम अपनी कॉलेजेज़ को इसके साथ एफिलियेट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि तीसरी योजना में दो युनिवर्सिटीज़ खोलने का प्रावधान है या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कौंसिल की सिफारिश है कि दूसरी युनिवर्सिटी और खुलेगी, क्योंकि जो बिल आया था और सिलेक्ट कमेटी में पड़ा था उसमें यह आया था कि २ युनिवर्सिटीज़ राजस्थान में और खुलेंगी, सिलेक्ट कमेटी थी उसमें रिपोर्ट पढ़ी गई थी उसमें दो युनिवर्सिटीज़ खोलने का प्रावधान बताया गया था?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सिलेक्ट कमेटी ने क्या लिखा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जहां तक तीसरी योजना का सवाल है, उसमें और दो युनिवर्सिटीज़ खोलने का प्रावधान नहीं रखा और न ऐसी कल्पना है। कभी यदि खोली जाय तो पिलानी में, यदि वहां की जो ऑथोरिटीज हैं वे वहां के लिये इस बारे में कोई निर्णय करे तो विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार अपनी तरफ से युनिवर्सिटी खोलने के बारे में विचार नहीं रखती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या खोसला कमेटी ने जोधपुर में युनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के साथ बीकानेर को विज़ीट किया था और उसकी पोटेन्शियेलिटी को देखा था?

श्री परसराम मदेरणा : बीकानेर को देखने का खोसला कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में नहीं था कि जोधपुर में युनीवर्सिटी स्थापित करने के लिए क्या पैटर्न हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या फोर्थ फाइव ईयर प्लान में बीकानेर में युनिवर्सिटी खोलने का सरकार इरादा रखती है?

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

किसानों पर जुर्माना

४३४. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाड़ा में पड़त जमीन पर काश्त करने पर कितने किसानों पर जुर्माना किया गया और जमीन से बेदखल किया गया?

(२) क्या यह सही है कि जिन किसानों पर जुर्माना किया गया और बेदखल किया गया वे किसान भूमिहीन थे?

(श्री विट्ठल)

(३) क्या उक्त जिले की प्रत्येक तहसील में किसानों पर जुर्माना किया गया ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) पड़त भूमि पर अनधिकृत काश्त करने पर ५,४१६ किसानों पर जुर्माना किया गया व ३४६ कृषकों को बेदखल किया गया।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४)जी हां। पड़त भूमि अनधिकृत काश्त करने पर जिले की प्रत्येक तहसील के काश्तकारों के विरुद्ध जुर्माने व बेदखली की कार्यवाही की गई है।

श्री रामकिशन (वैर) ; चौथा है नहीं, तीन हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैकंड पार्ट है इसका।

श्री रामकिशन : डबल सूची है, आप अच्छी ले लेते हैं और खराब हमें दे देते हैं, ऐसा तो नहीं है ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या यह जमीन भूमिहीन किसानों को दी गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलॉटमेंट का प्रश्न अलग है।

कई माननीय सदस्य : ठीक से सुनाई नहीं दिया; जोर से बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया फिर से उत्तर पढ़ दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) पड़त भूमि पर अनधिकृत काश्त करने पर ५,४१६ किसानों पर जुर्माना किया गया व ३४६ कृषकों को बेदखल किया गया।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां। पड़त भूमि अनधिकृत काश्त करने पर जिले की प्रत्येक तहसील के काश्तकारों के विरुद्ध जुर्माने व बेदखली की कार्यवाही की गई है।

श्री विट्ठल : क्या १९५९-६० में भूमि अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग तहसील स्तर पर बुलाई गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह अलग से प्रश्न है, इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री विट्ठल : यह प्रश्न आयेगा, क्योंकि उन पर जुर्माना हुआ है; यह उस वजह से हुआ है। भूमि अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग १९५९-६० में नहीं बुलाई गई और जो भूमि ले ली उन पर जुर्माना हुआ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये केसेज़ संवत् २०१३ से लेकर २०१७ तक के हैं। माही प्रोजेक्ट की वजह से अलॉटमेंट बन्द थे, इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता अलॉटमेंट का और फिर कोई नाजायज़ कब्जा करे तो बेदखल करने की, जुर्माना करने की कार्यवाही नियमों के आधार पर हो सकती है, वह हो सकती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : इन ५,४१६ किसानों पर जुर्माना किया गया, क्या ये भूमिहीन किसान थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भूमिहीन किसान नहीं थे ।

श्री मुकटबिहारीलाल : इनमें सभी लोग भूमिहीन किसान नहीं थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियमों के अनुसार कोई भूमिहीन नहीं था ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जिनका रिजेक्ट किया गया, क्या वे भूमिहीन थे या जमीदार थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिजेक्ट करने का सवाल कौनसा आ गया ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : ३४६ आदमियों को बेदखल किया गया, क्या उनमें कोई भूमिहीन किसान थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन कर दिया कि वे पहले भूमिहीन किसान नहीं थे, इसलिए बेदखल कर दिया गया। भूमिहीन नहीं थे और उन्होंने भूमि पर नाजायज़ कब्जा किया, उसके अलावा उनके पास जमीन थी, इसलिए जिन्होंने नाजायज़ कब्जा किया उसको वापिस लिया गया। जिनको कानूनन अलॉटमेंट नहीं हुआ था उनको बेदखल करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है ।

श्री हीराभाई : जिन लोगों पर जुर्माना हुआ है, वे लोग कितने साल से काश्त करते चले आ रहे थे ? वे दो साल से काश्त कर रहे थे या तीन साल से हुआ है, उन पर जुर्माना हुआ है वह किस हिसाब से हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इतने किसान हैं, किस किसान का कितने साल से नाजायज़ कब्जा था, यह बताना मेरे लिए कठिन है ।

श्री नाथूराम : जुर्माना किस हिसाब से किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह नियमों के हिसाब से किया गया ।

श्री नाथूराम : वह नियम बतायें, किस हिसाब से किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियमों के हिसाब से किया गया और नियम किताब में हैं ।

श्री नाथूराम : कम से कम यह तो बताना चाहिए कि जुर्माना किस हिसाब से वसूल होता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पन्द्रह टाइम्स ऑफ असेस्ड रेंट मेक्जिमम । उसमें भी डिस्क्रिशन है, जिस रेंट से करना चाहें कर सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कब्जा कितना पुराना था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नाथूराम : यह असत्य है कि गुढ़ा तहसील में भूमिहीन किसान नहीं थे । गये साल जब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब पधारे थे जो जिन काश्तकारों से पांच साल का लगान और पैनल्टी वसूल हुई थी उनके लिये आदेश दे

(श्री नाथूराम)

दिये गये, लेकिन गुढ़ा तहसील के तहसीलदार ने आदेश का पालन नहीं किया। हमें मालूम है; क्योंकि हम भी भूमि अलॉटमेंट कमेटी में जाते हैं। आपने जो जवाब दिया वह असत्य है।

श्री विट्ठल : क्या सरकार....

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये। केवल कहेंगे और सुनेंगे नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी है कि जिन किसानों को बेदखल किया गया वे भूमिहीन नहीं थे और उन्होंने वन और चरागाह की जमीन पर नाजायज़ कब्जा किया, इसलिये उनको बेदखल किया गया और पैनल्टी लगाई गई।

श्री विट्ठल : जिन किसानों पर जुर्माना हुआ है उनमें से भूमिहीन को निकाल दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया जा सकता है ?

श्री हीराभाई : अगर तीन साल तक कोई काश्त करता है और किसी तरह की बाधा न पहुंचे, सरकारी जमीन पर किसी किसान ने खेती कर ली है तो तीन साल में सरकार ऑटोमेटिकली जमीन का कब्जा दे दे, क्या ऐसा कानून है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप स्पेसिफिक बतायें। ऐसे मुझे मालूम नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : सम्वत् २०१३ से लेकर अब तक, जैसा मन्त्री ने बताया, आप इन्हें अनाधिकृत कब्जा मानते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा कि २०१३ से २०१७ के दरम्यान किसानों ने नाजायज़ कब्जा किया, किसी का एक साल का हो सकता है, किसी का दो साल का हो सकता है। हर केस के बारे में मैं विवरण नहीं बता सकता। २०१३ से २०१७ तक के केसेज़ हैं, किसी का २०१५-१६ का है, किसी का २०१३-१४ का है।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : जो कब्जा नाजायज़ है उस पर पटवारी ने लगान लिया है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात तहकीकी नहीं कह सकता। लगान लिया होगा।

श्री सतीशकुमार शर्मा : यह लगान लिया नहीं, इससे क्या यह ख्याल है कि उनकी हैसियत में फर्क नहीं पड़ता कि वे ट्रेसपासर हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगान और पैनल्टी दोनों ऑर्डर होते हैं। उसमें जो चीज जमा कराते हैं वह जमा कर ली जाती है और बाकी की जो रह जाती है उसको रियलाइज़ करने का प्रयत्न किया गया है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : ऑर्डर की जब बात करते हैं तो वह फसल के ऊपर जमा की जाती है। पटवारी ने इन काश्तकारों से, जो काश्त कर रहे हैं, वसूल किया है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : क्या जानकारी करने की कोशिश करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जानकारी की जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जिन केसेज़ में लगान ले लेते हैं उनमें पैनल्टी नहीं लगती है, क्या सरकार की तरफ से यह माना जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, नहीं माना जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद।

सड़क निर्माण

४३५. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सिकराय पंचायत समिति क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क बनाने का प्रावधान था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण हो गया है तथा उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

(ग) क्या वित्तीय वर्ष ६२-६३ में सरकार का उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में सिकराय से गढोली के घाटे में होकर उकाली तक सड़क निर्माण का कार्य कराने का विचार है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नंदवाना) : (क) जी हां। (१) भांडारेज से लालसर वाया रानोली (२) सिकन्दरा से गुढा।

(ख) जी नहीं। कार्य चालू है। क्रमश: मार्च १९६२ तक (१) ४,६८,७३०) रु०, (२) ४,२८,७७५) रु०।

(ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या भांडारेज से रानोली सड़क तहसील सिकराय में आती है ? आपने फर्माया कि भांडारेज से रानोली की सड़क तहसील सिकराय में है। यह तहसील सिकराय में है या दौसा में है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : दोनों में है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : दोनों में कैसे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : दोनों क्षेत्र आते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : क्या सिकन्दरा से गुढा तक सड़क बनाई है, यह सिकराय तहसील में होकर नहीं बताई है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : फिर कहें।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : यह सिकराय से गुढ़ा तक सड़क बताई है जिस पर तेरह हजार का खर्चा ज्यादा बताया है, वहां रास्ता भी नहीं है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : वह सड़क सिकन्दरा से गुढ़ा तक बताई है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सिकराय से गुढ़ा की सड़क के लिए पांच हजार, छः हजार दे दिया है । वहां सड़क है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जी नहीं, मैंने इन्कार किया । जी नहीं ।

श्री मथुरेशबिहारीमाथुर : आपके बजट में लिखा हुआ हैं, आपका बजट प्रोविज़न है, लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ है । आपने दो सड़कें बतलाई; एक तो खैर; डाइरेक्ट लाइन को मानिये, एक सिकराय से गुढ़ा की बताई है । बजट एक्सपेन्डीचर में सिकराय से गुढ़ा तक की सड़क बताई गई है । उसके लिए क्या कहना है, वह बनी है या नहीं, उस पर व्यय हुआ है या नहीं ? वहां कोई चीज नहीं हुई ।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह जानकारी मुझे नहीं है । जानकारी करके मैं स्थिति बता सकता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : (कोलायत): क्या यह प्रिंटिंग एरर रह गई है ?

श्री अध्यक्ष : एक लम्बी सड़क का नाम हो सकता है, लेकिन प्रावधान छोटे टुकड़े का भी किया जा सकता है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह प्रावधान बजट एक्सपेन्डीचर में बताया है ।

श्री अध्यक्ष : सड़क का नाम सिकराय से गुढ़ा बतलाया गया है, लेकिन प्रावधान छोटे टुकड़े का हो सकता है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वहां एक इंच भी काम नहीं हुआ है । इसकी ओर मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है । अब इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, नहीं बनी तो वह एक्सपेन्डीचर गया कहां ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : शायद गल्ती से प्रिन्ट हो गया होगा । सिकराय से गुढ़ा तक सड़क होगी ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : तो फाइनेन्स मिनिस्टर से कह कर इसका भी एरेटा निकलवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगासिंह ।

हकदारी सम्बन्धी नोटिसों का प्रकाशन

४३६. **श्री गंगासिंह राठोड़** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) डिप्टी कलेक्टर, जागीर, नागोर द्वारा राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा ३८ के अन्तर्गत प्रेषित दरख्वास्तों पर जो नोटिस प्रेस में भेजे गए उनमें से कितने नोटिस अभी तक गवर्नमेंट प्रेस में बिना छपे पड़े हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि करीब चार महीने के पहले भेजे गए नोटिस भी अभी तक छापे नहीं गये हैं ?

(३) क्या सरकार प्रेस को यह आज्ञा देने का विचार रखती है कि हकदारी सम्बन्धी नोटिस प्रेस में पहुंचने के पन्द्रह रोज के अन्दर अन्दर छप जाने चाहिये ?

Page No. 18

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जो नोटिफिकेशन्स डिप्टी कलेक्टर, जागीर, नागोर से गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर में प्राप्त हुए उनमें से एक भी बिना छपा नहीं पड़ा है।

(२) जांच से ऐसा मालूम हुआ है कि डिप्टी कलेक्टर, जागीर, नागोर के यहां से कुछ नोटिफिकेशन्स दिसम्बर १९६१ में गवर्नमेंट प्रेस को भेजे गये थे, लेकिन उनकी प्राप्ति गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर या जोधपुर में नहीं मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कहीं गुम हो गए। ऐसी सूरत में डिप्टी कलेक्टर जागीर नये सिरे से नोटिसेज़ प्रकाशन करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

(३) प्रेस में पहुंचने पर इस प्रकार की विज्ञप्तियां यथाशीघ्र प्रकाशित कर दी जाती हैं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) : क्या इसके गुम होने का कोई कारण भी बताया जा सकता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका कोई कारण नहीं है, गुम हो गए है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : क्या ये जहां से आउट हुई, रजिस्टर में आउटवर्ड की गई हैं और प्रेस में इनवर्ड की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिस्पेच रजिस्टर में दर्ज हैं लेकिन रीसीप्ट में दर्ज नहीं हैं। इससे यही प्रिज़्यूम किया जा सकता है कि कहीं रास्ते में ही गुम हो गए।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : क्या इस सम्बन्ध में ऑफिस से इन्क्वायरी की गई कि यह कैसे गुम हो गई?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्क्वायरी चालू है। क्या क्या इन्क्वायरी हो चुकी है, मैं नहीं कह सकता। मगर जिस किसी की लापरवाही से यह हुआ है उसकी जांच की जा रही है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : कब से जांच शुरू हो रही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब से नोटिस में आया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कितने समय से यह सरकार के नोटिस में आया है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५ दिनों से।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की खरीद

४३७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत दो वर्षों में सरकारी शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों में जो पुस्तकें खरीदी जाती रही हैं उनमें राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की प्रतिशत संख्या कितनी रही है?

(२) राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की खरीद के लिए इन दो वर्षों में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(३) क्या सरकार राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की खरीद के लिये एक विशेष समिति बना कर ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) सरकारी शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें खरीदने के लिए कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया हुआ है। अधिकतर इन संस्थाओं में पढ़ाये जानेवाले विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें ही जो इन संस्थाओं के लिये उपयोगी हों खरीद की जा सकती हैं जिनमें कुछ राजस्थानी भाषा की पुस्तकें भी हो सकती हैं। कभी कभी उपयोगी किताबें एक साथ खरीद कर स्कूलों में वितरण कर दी जाती हैं। सन् ६०-६१ में कुल ११,४०८ किताबें खरीद कर स्कूलों में बांटी गईं, जिनमें ३,००० किताबें राजस्थानी भाषा की थीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जरा जोर से बोलें, सुनाई नहीं देता है।

श्री परसराम मदेरणा : (२) राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की खरीद के लिये अलग से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(३) जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस बात को बताने की कृपा करेगी कि क्या राजस्थानी भाषा की जयपुर, जोधपुर या किसी दूसरी जगह में लाइब्रेरी है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : इसकी अलग कोई लाइब्रेरी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या बच्चों को शिक्षा देने के लिए नई पुस्तकों को खरीदने की योजना है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये जो जो किताबें एप्रूव्ड होती हैं उनकी लिस्ट लाइब्रेरी में भेज दी जाती है। उस लिस्ट में से पुस्तकों की उपयोगिता को देखते हुए कितनी किताबें खरीदें, यह उनकी इच्छा पर निर्भर है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : 'राजस्थानी भाषा' से आपका क्या तात्पर्य है ? क्या जयपुर में बोली जाती है वह भाषा है या जोधपुर में बोली जाती है वह है ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अलवर-भरतपुर में जो बोली जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो राजस्थान में बोली जावे वह राजस्थानी है। हिन्दी राजस्थानी भाषा नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: हमारे यहां पुस्तकालयों में कितनी कुल धनराशि की किताबें खरीदी जाती हैं और उसमें से कितने परसेन्ट की पुस्तकें राजस्थानी भाषा की खरीदने का प्रावधान है ? क्या सरकार इसके खरीदने के लिये कुछ फिक्स्ड परसेन्टेज देने के लिए तैयार है या नहीं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : पहले प्रश्न का उत्तर तो शायद ही आए।

श्री परसराम मदेरणा ; आप मुझे पूछ रहे हैं । राजस्थानी भाषा से मतलब है राजस्थान में बोली जानेवाली भाषा। जिन पुस्तकों को सन् १६६०-६१ में खरीदा था उनमें राजस्थानी भाषा की ६ किताबें थी जिनमें से एक आपकी लिखी है। उसको हम राजस्थानी भाषा को पुस्तक मानते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या आप बतावेंगे कि जो पुस्तकों का समावेश किया गया है उसमें ज्यादा जयपुर की हैं या जोधपुर की हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या इस सम्बन्ध में कोई राज्य स्तर पर लिट्रेरी सर्वे हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो क्या राज्य सरकार इसका सर्वे कराने की सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष (श्री निरंजननाथ आचार्य से): आपका यह भिन्न प्रश्न है । (उप-मंत्री, शिक्षा से) आप श्रीमती लक्ष्मीकुमारी के प्रश्न का उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये एज्युकेशनल इन्सटीट्यूशन्स की एक एडवाइज़री कमेटी बनी हुई है। यह उस पर छोड़ दिया गया है। लेकिन जब हम पुस्तकें पर्चेज़ करते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं। जैसे हमने सन् ६०-६१ में ११,४०८ किताबें खरीदीं, उनमें से २४ हजार की किताबें खरीदी थीं। जितनी कीमत की पुस्तकें एज्युकेशनल इन्सटीट्यूशन्स-लाइब्रेरी में खरीदी उसमें से राजस्थानी भाषा की जो किताबें खरीदीं गई हैं उनका परसेन्टेज २७ आता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरा प्रश्न यह है कि राज्य के पुस्तकालयों में पुस्तकें खरीदी जाती हैं उनमें १२ या १३ लाख रुपया खर्च होता है। इसमें से कितना परसेन्टेज राजस्थानी भाषा की पुस्तकों को खरीदने में कायम किया जावेगा ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न भी राजस्थानी भाषा में पूछा जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो बात थी वह आपको बता दी। हजारों की संख्या में एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं। वहां पर इस प्रकार से परसेन्टेज फिक्स नहीं कर सकते। उनकी टैक्स्ट बुकें बोर्ड या युनिवर्सिटी या गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया या दूसरे पब्लिकेशन्स से आती हैं और इसके साथ ही साथ हम जिन पुस्तकों को एप्रूव करते हैं उनकी एप्रूव्ड लिस्ट उनके पास भेज देते हैं। जो पुस्तकें एप्रूव्ड लिस्ट में से इन्स्टीट्यूशन्स उपयोगी समझते हैं, लेते हैं। जिनको वे उपयोगी नहीं समझते तो हम उनको लेने के लिये उन्हें मजबूर नहीं कर सकते और उनको कम्पलसरी नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : इतनी राजस्थानी पुस्तकें उपलब्ध हैं या नहीं क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मेरे प्रश्न को पहले आप सुन लें। राजस्थानी की किताबें आपके पास आई और एप्रूव की

Page No. 21

(श्री अध्यक्ष)

क्या उनमें ऐसी भी है कि जिन्हें एप्रूव नहीं करते और उनके फेवर में एक्शन नहीं लेते ?

श्री परसराम मदेरणा : दो वर्ष का प्रश्न पूछा है कि पिछले दो वर्षों में सन् ६१ में ३ हजार में से राजस्थानी भाषा की १५ पुस्तकें हैं । ६१-६२ में १,७४१ पुस्तकों को एप्रूव किया । उसमें से राजस्थानी भाषा की १८ पुस्तकें हैं । जहां तक मेरी जानकारी है एक–दो पुस्तकों को छोड़ कर जितनी पुस्तकें आई थीं वे एप्रूव की गई हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या राजस्थानी भाषा में पुस्तकें लिखाने के लिये कोई लिखनेवालों को पुरस्कार देने की व्यवस्था सरकार ने की है जिससे राजस्थानी में पुस्तकें प्राप्त हो सकें ?

(६ म. पू.)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री तेजाराम ।

रेवेन्यू अदालतों के मुकदमे

४३८. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जोधपुर व पाली जिलों में सन् १९६० व १९६१ में रेवेन्यू कोर्ट्स में कितने कितने मुकदमे दर्ज हुए व उनमें से कितने मुकदमे फैसल हुए ? सूचना हर कोर्ट के हिसाब से अलग अलग दी जावे ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) : जोधपुर व पाली जिले में सन् १९६० व १९६१ में रेवेन्यू कोर्ट्स में दर्ज हुए तथा फैसल हुए मुकदमों की हर कोर्ट के हिसाब से ब्यौरेवार सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि जो सूची दी गई है उसमें एस. डी. ओ. व असिस्टेन्ट कलेक्टर, जिनके पास रेवेन्यू के केसेज़ हैं, उन्होंने दो साल में डिस्पोज़ल कम किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम किया, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, पर डिस्पोज़ल शीघ्र हो, इस बात के लिए सरकार प्रयत्नशील है; आज्ञाएं भी इस प्रकार की दी गई हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत : आंकड़े आपके पास हैं तो देख कर नहीं बता सकते कि डिस्पोज़ल कम किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेन्डिंग केसेज़ दूसरी साल के होते हैं, उनको भी वे ही डिस्पोज़ ऑफ करते हैं । दोनों का मिला कर बहुत खराब डिस्पोजल हो, ऐसी बात नहीं है ।

श्री तेजाराम गहलोत : स्टेटमेंट को देखेंगे तो पता चलेगा कि एस. डी. ओ, जोधपुर और फलोदी के फिगर्स देखते हैं तो २,७३९ और २,७४९ क्रमशः ६१ में पेडिंग हैं, जब कि ६० में १,८३६ और २३६ मुकदमे क्रमशः पेंडिंग थे । बिलाड़ा में १९६० में १,२६० मुकदमे थे ६१ में १,०८९ हैं, थोड़ी प्रगति है, पर डिस्पोज़ल बहुत कम हुआ है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार चाहती है कि पुराने केसेज़ ज्यादा समय तक पेन्डिंग न रहें और इसके लिये कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

हाई स्कूल का हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तन

४३६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

हाई स्कूल, नापासर को हायर सेकन्डरी स्कूल में कब परिवर्तित किया जा रहा है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : सरकार की नीति जिला हैड क्वार्टर पर या उन स्थानों पर जहां डिग्री कॉलेज हैं वहां वे हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों में पहले परिवर्तित करने की है। अतः हाई स्कूल, नापासर को हायर सेकन्डरी स्कूल में अभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, इस हाई स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने से यह बीकानेर के लिए फीडर स्कूल का काम करेगी।

श्री परसराम मदेरणा : इस साल हमने ८ हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों में परिणत किया है। फीडर स्कूल का काम करने वाले थे नजदीक, उनको कर दिया गया है। एप्रोप्रियेट स्टेज आयेगा तो उसको भी ध्यान में रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीहरिप्रसाद शर्मा।

बूंदी शहर में उद्योग

४४०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : रही है ?

(१) क्या यह सही है कि बूंदी शहर में किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं होने से लोगों को भारी बेकारी का सामना करना पड़ रहा है ?

(२) यदि हां, तो अब बूंदी में सरकार कौनसा उद्योग स्थापित करने पर विचार कर

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी नहीं।

(२) बूंदी में राज्य स्तर पर कोई उद्योग खोलने की योजना नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि बूंदी में सिलिका काफी मात्रा में पैदा होती है, जिससे कांच का कारखाना चलाया जा सकता है ? बूंदी को जनता द्वारा बेकारी को मिटाने के लिए कोई उद्योग खोलने के लिये सरकार के पास रिप्रिजेन्टेशन किये, सरकार ने आश्वासन भी दिये पर अभी तक कोई उद्योग वहां नहीं खोला गया है।

श्री चन्दनमल वैद : अगर कोई निजी तौर पर उद्योग चलाया जायगा तो सहायता दी जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि बूंदी में उद्योग खोलने के लिये धनराशि का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : निजी तौर पर कोई चलाये तो सहायता दी जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि बूंदी से उद्योग विभाग को हटा कर कोटा ले जाया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह अलग प्रश्न है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अलग प्रश्न नहीं है, वहां काफी कच्चा माल उपलब्ध है, जिससे कि उद्योग चलाये जा सकते हैं। फिर बूंदी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है ? क्या यह सही है कि पीतल का कारखाना निर्माण करने की व्यवस्था थी, उसको भी कोटा ले जाया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल भेदभाव का उठाया गया कि भेदभाव हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बूंदी में राज्य स्तर पर कोई निजी उद्योग खोला उसको ५४,२००) रुपये की सहायता दी गयी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह पर्याप्त मात्रा में नहीं है और यह एक ऐसे आदमी को दी गई है जिससे किसी भी तरह उद्योग की पूर्ति होनेवाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

हिन्डौन शहर में डिग्री कॉलेज

४४१. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार की हिन्डौन शहर में कोई डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो कब तक ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) क्योंकि हिन्डौन के समीप करोली, दौसा तथा भरतपुर में डिग्री कॉलेज हैं जहां छात्र प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। हिन्डौन में छात्र तथा संख्या भी अधिक नहीं है।

श्री श्रवणलाल : क्या दो साल पहले मन्त्री महोदय ने आदेश दिया था वहां डिग्री कॉलेज खोलने का ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री. श्रवणलाल : क्या हिन्डौन की जनता ने एक लाख की लागत लगा कर बिल्डिंग तैयार की है ?

श्री परसराम मदेरणा : बिल्डिंग की मुझे जानकारी नहीं, पर मैं इत्तला दूं कि राजस्थान सरकार की नीति उन डिस्ट्रिक्ट्स में डिग्री कॉलेज खोलने की है जहां एक भी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इसके बाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां आवश्यक है वहां खोलने की नीति है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है इसलिये हिन्डौन में कॉलेज खोलने की सरकार की अभी कोई इच्छा नहीं है।

श्री श्रवणलाल : क्या करोली की जनता ने श्रमदान के रूप में कोई धनराशि दी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भगराज।

पाली तथा जालोर जिले में भू-राजस्व की बकाया

४४२. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) पाली तथा जालोर जिले में तहसीलवार भू-राजस्व कितना २ बकाया है? सन् १६५४ से १६६१ तक सालवार बतावें।

(ख) उपरोक्त बकाया हेतु किस २ साल कुड़की निकाली गई व इससे कितनी २ रकम वसूल हुई व बकायावालों में से कितनों के मुआवजे कुड़क किये गये व शेष के मुआवजे कुड़क न करने का क्या कारण है?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अगले टर्न पर दिया जायगा।

श्री भगराज चौधरी : Sir, the question has already been delayed much. So this question should be replied now. No further time should be given.

श्री अध्यक्ष : Next turn
Shri Bharave Lal 'Kala Badal'

बारां कस्बे में कॉलेज की मांग

४४३. **श्री भैरवलाल "कालाबादल"** (अकलेरा-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बारां कस्बे की जनता ने हायर सेकन्डरी स्कूल के अलावा कॉलेज की भी मांग की है?

(२) यदि हां, तो सरकार का वहां कब तक कॉलेज खोलने का विचार है?

(३) कॉलेज खोले जाने के क्या आधार हैं?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) बारां में अभी कॉलेज खोलने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(३) कॉलेज खोलने के समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है:—

१. यथासंभव प्रत्येक जिले में एक डिग्री कॉलेज खोला जावे।

२. जहां कॉलेज खोला जावे उसके आसपास हाई व हायर सेकन्डरी स्कूल्स पर्याप्त संख्या में हों, वहां से छात्र कॉलेज में प्रवेश पा सकें।

(३) जहां कॉलेज खोला जावे उसके आसपास दूसरा कॉलेज न हो।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : बारां के आसपास दूसरा कौनसा कॉलेज है?

श्री परसराम मदेरणा : कोटा।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : कोटा कितने मील दूर है?

श्री परसराम मदेरणा : कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी नहीं है। सरकार की नीति है कि जहां एक भी नहीं है वहां पहले खोले।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : बारां सब-डिविज़न है...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन ।

अभावग्रस्त गांवों में राहत कार्य

४४४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ३१ मार्च, १९६२ तक समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए जिला बीकानेर के अभावग्रस्त गांवों में राहत कार्यों हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई एवं उस राशि में से ३१ मार्च, १९६२ तक कितनी खर्च की जा चुकी है ?

(२) अगले आर्थिक वर्ष में अप्रेल से जून तक उपरोक्त गांवों में राहत कार्यों हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उप-मंत्रिणी, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) कुल रु० ८,८४,८००) स्वीकृत किए गए थे जिसमें से रु० ७,५४,०६६.५८ न० पै० खर्च किए गए ।

(२) राहत कार्यों के लिए रु० ३,०८,०८१) स्वीकृत कर दिए गए हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल ।

आदिवासियों को कुएं खोदने के निमित्त दी गई धन राशि

४४५. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा-सु.) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सराड़ा और तहसील खैरवाड़ा में सन् १९६०-६१ में आदिवासियों के निमित्त कुएं खोदने के लिए कुल कितनी धनराशि रखी गई ? आंकड़े बताने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि सराड़ा व खैरवाड़ा में समाज कल्याण की ओर से कुएं खोदने की सहायता रोक दी गई है ? यदि हां, तो कब तक के लिए ?

उप-मन्त्रिणी, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) १२,०००) रु० की धनराशि रखी गई है । ६,०००) रु० पंचायत समिति सराड़ा व ६,०००) रु० पंचायत समिति खैरवाड़ा को ।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पुस्तकें

४४६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या समाज शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकें स्वीकृत करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त है ?

(ख) यदि हां, तो पुस्तकें स्वीकार करने में साधारणतया कितना समय लिया जाता है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(ग) क्या यह सही है कि समाज शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पुस्तकों की सूची जनवरी में प्रकाशित की जाती हैं, जब कि पुस्तकें खरीदने का समय लगभग समाप्त होने को आता है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (क) जी हां । समाज शिक्षा विभाग में, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों एवं अन्य राज्य पुस्तकालयों के लिए, पुस्तकें स्वीकृत करने के लिए एक कमेटी है ।

(ख) साधारणतया ७-८ माह का समय लग जाता है ।

(ग) जी हां, अभी तक स्वीकृत पुस्तकों की सूची करीब करीब जनवरी में ही प्रकाशित की जाती थी; परन्तु अब मौजूदा व्यवस्था को बदलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इस साल किस महीने तक समझा जाय कि प्रकाशित हो जायंगी ?

श्री परसराम मदेरणा : इस साल जनवरी के महीने में....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : राजस्थानी भाषा की कितनी पुस्तकें स्वीकृत की गई हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट. श्री हरिशंकर !

भरतपुर जिले के किसानों से नामान्तर-करण फीस की वसूली

४४७. **श्री हरिशंकर** (धौलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६०-६१ में भरतपुर जिले के किसानों से नामान्तरकरण फीस वसूल की गई थी ?

(२) यदि हां, तो कुल कितनी और किस किस श्रेणी के किसानों से ?

(३) क्या इस वसूली में से कुछ रकम पटवारियान और कानूनगोओं को भी दी गई ? यदि हां, तो कितनी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) १,२३,४७०) रुपये की राशि वसूल की गई थी और यह उन कृषकों से वसूल की गई थी जिन्होंने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ व १९ के तहत १९६० में खातेदारी हक प्राप्त किये हैं ।

(३) जी हां । वसूल शुदा रकम में से २।५ भाग पटवारियों को व १।५ भाग गिरदावर-कानूनगोओं को दिया गया है ।

४९,३८८) रुपये पटवारियान को तथा २४,६९४) रुपये कानूनगोयान को ।

श्री हरिशंकर : क्या उन पटवारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तनख्वाह मिलती थी, लेकिन रूल्स के मुताबिक मिलने का प्रावधान है इसलिए उनको भी दिया गया है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जिन किसानों से यह फीस वसूल की गई है क्या यह सही है कि कुछ किसानों को बाद में वापिस भी कर दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री रामकिशन(वैर): क्या यह भी सही है कि धौलपुर के हिस्से नहीं; किन्तु भरतपुर के हिस्सों से वसूल की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात सही नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): खातेदार किसानों को बनाने के लिये, उनका नाम लिखने के लिए यह फीस उनसे जबर-दस्ती वसूल की जा रही है, जो कि नियमानुसार नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नहीं है ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : रेवेन्यु के दावे आठ आने कोर्ट फीस पर दायर किये जा सकते हैं तो म्युटेशन फीस का रुपया किसानों से वसूल करना कहां तक वाजिब है, जब कि यह रेवेन्यु सरकार के खजाने में नहीं आती है ? क्या नियमों में संशोधन करने का विचार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियमों में संशोधन करने का प्रपोज़ल विचाराधीन नहीं है ।

श्री तेजाराम गहलोत : सरकार इस पर गौर करे । यह फीस का रुपया तो सरकार के खजाने में आता नहीं है । मान लीजिए कि ४००) रुपये का बेरा है तो उसको उस पर म्युटेशन फीस देनी पड़ेगी, इसलिए हमारा यह निवेदन है कि आप इस प्रकार के नियमों पर दुबारा विचार करें ।

श्री हरिशंकर : जिन लोगों ने फीस दे दी सो दे दी और जिन लोगों ने फीस नहीं दी तो नहीं दी और उनसे वसूली का सवाल नहीं था ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नहीं है । गलत सूचना दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि उनसे वसूल किया जाय ?

श्री हरिशंकर : उनको वापिस करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार इसके औचित्य को स्वीकार करती है कि टैक्स के रुप में कोई आय हो तो इस प्रकार से बांट दी जाय ? यह कौनसा टैक्स का उसूल है ? कल इनकम टैक्सवाले कहेंगे कि इसमें से हमको भी हिस्सा दीजिये । इसलिए सरकार इस पर विचार करे । यह एक गम्भीर उसूल की बात है कि किस प्रकार से फीस उनमें बांटी जाय । सरकार को विचार करना चाहिये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह म्युटेशन के अनुसार वसूल की जानी चाहिये; लेकिन पटवारियों और गिरदावरों का इसमें इन्ट्रेस्ट है, आम किसानों से जब वे खातेदारी दर्ज कराने आते हैं तो उनसे यह फीस वसूल की जाती है । इससे लाखों रुपया उनसे वसूल किया जाता है । यह एक जबरदस्त अत्याचार उन किसानों पर किया जा रहा है ।

श्री हरिशंकर : फीस वापिस दिलाने का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नियम है तब तक दिलानें का सवाल नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : म्युटेशन के केसेज़ में फीस वसूल करने का नियम है। किसान खातेदारी टीप-खसरा में लिखाने के लिए आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि फीस दीजिये। इस नाम पर गैर कानूनी तरीके से उनसे लाखों रुपया वसूल किया जा रहा है तो ऐसे केसेज़ को रोका जावेगा और उनको फीस वापिस दिलायी जावेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा ; I will get legality of this question examined.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लिगेलिटी का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Legality as well as propriety.

Shri Manik Chand Surana.

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न इस सम्बन्ध में है........

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

हरिजनों को गृह निर्माण हेतु दी गई धन—राशि

४४८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६१-६२ में निम्न स्थानों के हरिजनों को गृह निर्माण हेतु कितनी रकम सब्सिडी में दी गई :—

(क) बीकानेर डिविज़न,

(ख) भीलवाड़ा नगरपालिका,

(ग) जयपुर नगरपालिका ?

बीकानेर डिविज़न में दी गई रकम किन किन स्थानों पर व कितनी कितनी दी गई ?

(२) भीलवाड़ा, जयपुर व बीकानेर नगरपालिका की सीमा में कितने २ हरिजन परिवार रहते हैं ?

उप-मन्त्रिणी, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्न स्थानों के हरिजनों को गृह निर्माण हेतु जो सहायता दी गई उसका विवरण नीचे दिया जाता है :—

स्थान का नाम	धनराशि सहायता के रूप में दी गई	परिवार संख्या
क. बीकानेर डिविज़न डूंगरगढ़, जिला चुरु	२२,५००	३०
ख. भीलवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र	६०,७५०	८१
ग. जयपुर नगरपालिका क्षेत्र	२०,२५०	२७

बीकानेर डिविज़न के डूंगरगढ़ जिला चूरू में ३० मेहतर परिवारों को २२,५००) रु० की धनराशि दी गई।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(२) यह सूचना उपलब्ध नहीं है। सन् १९६१ की जनगणना की रिपोर्ट भी अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा जिला में नगरपालिका को दी गई है उसका क्या हुआ ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : भीलवाड़ा में प्लान के रूप में बनी हुई बस्ती है वहां दी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मन्त्रिणी महोदया यह बतायेंगी कि भीलवाड़ा नगर से जयपुर नगर में ज्यादा हरिजन हैं; क्या सरकार का इस ओर ध्यान है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सरकार का पूरा ध्यान है, परन्तु भीलवाड़ा में बस्ती बनी है वह प्लान के रूप में बनी है और जयपुर में भिन्न भिन्न हैं और इन्डिविजुअल तरीके से यह रुपया मिला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सब्सिडी की सूचना अलग अलग स्थानों को किन किन तारीखों में भेज दी गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : फिर से पूछिये, समझ में नहीं आया कि क्या पूछा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो सब्सिडी के नियम आपने बनाये हैं और उनके अनुसार हरिजनों को सब्सिडी दी जाती है तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर डिविजन और जयपुर में कब कब सूचना दी गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सूचना इश्यू होते ही पहुँच जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं तारीख पूछना चाहता हूं। उदयपुर डिविज़न को सूचना मिली है, जयपुर और बीकानेर को नहीं मिली है। आंकड़े जो पेश किये गये हैं उनसे पता चलता है कि बीकानेर डिविज़न को पूरा नहीं दिया गया है।

प्रश्न संख्या ४४९

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५०

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५१

श्री जीवराज।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसहाय।

पंचायत समितियों के आधीन मैट्रिक ट्रेन्ड अध्यापक

४५२. श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करें :

(१) जिला सवाई माधोपुर में पंचायत समितियों के अधीन कितने मैट्रिक ट्रेन्ड अध्यापक हैं ?

(श्री गोविन्दसहाय)

(२) उनमें से कितनों को मैट्रिक ट्रेन्ड को ग्रेड दी जा रही है ? अगर नहीं दी जा रही है, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : इस प्रश्न का मेटीरियल कलेक्ट हो कर अभी तक नहीं पहुँच सका है इसलिए इसको एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन करने की प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष : Next Week.

श्री उदयलाल ।

घनेरा ग्राम में तालाब बनाने की स्वीकृति

४५३. **श्री उदयलाल बर्दिया** (लसाड़िया) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या लसाड़िया क्षेत्र के घनेरा ग्राम में समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई तालाब बनाने की स्वीकृति हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो वह तालाब किस ठेकेदार ने कितनी लागत का बनाया और उससे सिंचाई को क्या लाभ हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि यह तालाब फूट गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

उप-मन्त्रिणी, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं आ पायी है, अतः इसको अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : Next Week.

स्थगित प्रश्न

श्री लक्ष्मणप्रसाद ।

(६ अप्रेल १९६२ का स्थगित प्रश्न)

बरसाती नाले की मरम्मत

१३५. **श्री लक्ष्मणप्रसाद** (सिकराय-सु.): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि छोई नाम का एक बरसाती नाला क्षेत्र सिकराय की हर साल हजारों एकड़ भूमि की फसल नष्ट कर देता है, जिससे काश्तकारों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है ?

(२) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए वहां की पंचायत समिति द्वारा लगातार २-३ वर्षों से सम्बन्धित विभागों में लिखा-पढ़ी की गई है ?

(३) यदि हां, तो सम्बन्धित विभागों की ओर से काश्तकारों की राहत के लिये क्या कदम उठाया गया है ?

(४) क्या सरकार आगामी वर्ष तक इस कष्ट का निवारण करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) एक बांध बांधे जाने की योजना

(श्री दिनेशराय डांगी)

तैयार की जा रही है, जिसकी सर्वे का कार्य समाप्त हो चुका है और एस्टीमेट व डिज़ाइन तैयार किये जा रहे हैं।

(४) बांध बनने पर ही कष्ट का निवारण हो सकता है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : जब इस बांध बनाने की योजना हुई तो क्या इसके लिये कोई मंजूरी भी हुई है ?

श्री दिनेशराय डांगी : सारे खर्चे का अनुमान लगाया गया है। पहले सेंक्शन नहीं हुई। ७० हजार का अन्दाज लगाया गया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ७० हजार में. गवर्नमेंट का ही होगा या पंचायत समिति का या दोनों के एस्टीमेट्स हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : पंचायत समिति की ओर से।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सरकार की ओर से क्या दिया जावेगा ?

विकास मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अब इसका सर्वे पूरा हुआ है। ७० हजार का एस्टीमेट है। जो रुपया माइनर इर्रिगेशन से पंचायत समिति को दिया जाता है उसके हिसाब से उसके नीचे काम किया जावेगा ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ३० हजार रुपया माइनर इर्रिगेशन के अन्तर्गत रखा है। ४० हजार रुपया सरकार की ओर से देने का सवाल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सेंक्शन होने पर फन्ड्स की व्यवस्था कर दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : Papers to be laid.

(६. २० म. पू.)

राजस्थान लोक सेवा आयोग का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन

(सदन की मेज पर रखना)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अन्तर्गत मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं यह जानकारी करना चाहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट का यह जो बैकलोग रह रहा है वह कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्वयं प्रयत्नशील हूं कि १९६०-६१ की जो रिपोर्ट है वह भी जल्दी से जल्दी प्रस्तुत हो सके।

अलवर व भरतपुर जिलों की निष्क्रान्त भूमि के किसानों सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल एक स्थगन-प्रस्ताव अलवर-भरतपुर की निष्क्रान्त भूमि पर जिन काश्तकारों को बसाया गया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उनसे कीमत वसूल करने के सम्बन्ध में इस सदन में प्रस्तुत किया गया था। अलवर और भरतपुर से १९४७ में बहुत से मेव जब पाकिस्तान चले गये तो उसके बाद उस जमीन को इवेक्यू प्रोपर्टी डिक्लेअर किया गया और उसके बाद उस भूमि पर जो डिसप्लेस्ड पर्सन्स थे उनको बसाया गया, जो मेव वापस आये उनको बसाया गया और कुछ भूमि पर जो अलवर और भरतपुर जिले के भूमिहीन काश्तकार थे उनको भी कुछ जमीन दी गई। जहां तक इस इवेक्यू प्रोपर्टी की कानूनी स्थिति है उसमें राजस्थान सरकार का जो टीनेन्सी एक्ट है उसके अन्दर जो अधिकार अन्य भूमियों को प्राप्त होते हैं वे ही अधिकार वहां अपने आप प्राप्त नहीं हो जाते। इस वजह से जो किसान जिनको भूमि १९४७ के बाद वहां पर दी गई और उस भूमि पर उनको अधिकार टीनेन्सी एक्ट द्वारा अगर वह इवेक्यू प्रोपर्टी नहीं होती तो स्वाभाविक तौर से प्राप्त हो सकते थे। चूंकि वह इवेक्यू प्रोपर्टी थी जो भारत सरकार के अधीन थी; राज्य सरकार उस जमीन पर जो सामान्य नियम दूसरी जगहों पर लागू होते हैं उस पर लागू नहीं कर सकती। जिन भूमिहीनों को जमीन दी गई उसके संम्बन्ध में भारत सरकार की तरफ से बराबर यह कहा गया कि इवेक्यू जमीन दे कर यहां पर बसाना उचित नहीं और इस जमीन को या तो वे विस्थापित व्यक्ति हों उनको चाहते हैं या जो मेव लौट कर आये उनको बसाना चाहते हैं। क्योंकि मत्स्य गवर्नमेन्ट के वक्त में वहां पर कई भूमिहीनों को जमीन पट्टे पर दे दी गई थी इसलिये जिनको दे दी गई उनको बेदखल किया जाता तो उससे एक समस्या काफी उलझी हुई बनती और बहुत से व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त हुए थे वे भी छिन जाते। इसलिये राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के समक्ष इसको रखा और यह कहा कि इनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिये, इनको अपनी जमीन पर काबिज रहने का मौका दिया जाना चाहिये, परन्तु इसके साथ भारत सरकार बहुत स्पष्ट थी, उस जमीन पर जो कीमत मिलती थी, जो रिफ्यूजी यहां पर आये हैं उनको जमीन दे देते हैं जो इवेक्यू पूल है उस पर असर नहीं होता। अगर कीमत वसूल नहीं की जाती है तो इवेक्यू पूल पर असर पड़ता है, इसलिये कीमत नहीं छोड़ी जा सकती। आखिर जाकर निर्णय किया गया, जिस जमीन पर भूमिहीनों को बसाया गया है उनसे स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से, जो एक्सपर्ट्स हैं जमीन की कीमत निर्धारित करने के सम्बन्ध में, उनको काम सौंपा गया और उन्होंने इस जमीन के बारे में ४५०) रू० प्रति स्टेंडर्ड एकड़ निर्धारित किया और उसके अनुसार इन्स्टालमेन्ट्स में आज जो भूमिहीन किसान जिन को पट्टे पर जमीन दी गई उनको कीमत चुकाने के लिये कहा गया, जिससे कीमत चुका कर उन्हें बेदखल न होना पड़े। भारत सरकार इवेक्यू पूल के अन्दर जो रुपया मांगती है उसकी पूर्ति की जा सकती है, यह प्रश्न इस प्रकार से हल किया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह भी स्पष्ट कर दूं, जहां तक डिसप्लेस्ड पर्सन्स का सवाल है उनको भारत सरकार ने बसाया था और जहां तक भूमिहीन किसानों के बसाने का सवाल है उनको जमीन अलॉट करने का निर्णय राज्य सरकार का था। इवेक्यू पूल में कमी स्वयं भारत सरकार करना चाहे,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह उनके अधिकार की बात हो सकती है, राज्य सरकार के क्षेत्र से बाहर है, वे इस बारे में अपनी तरफ से निर्णय कर सकते हैं।

कुछ दिनों पहले जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनसे जो कीमत वसूल होने वाली थी उसके बारे में भारत सरकार से बातचीत की गई जो जो भी कानूनी दृष्टि से बातें सामने थीं उनको लक्ष्य में रखते हुए रियायती तरीके से भारत सरकार ने निर्णय किया। जहां तक पट्टेदारों का प्रश्न है उन पट्टेदारों को ईयर टू ईयर पर्मानेन्ट राइट्स के तौर पर जमीन नहीं थी इसलिये जमीन की कीमत वसूल नहीं कर सकते और कीमतें कम कर देना राज्य सरकार के निर्णय के बाहर की बात है। इस बारे में कि कीमत कम कर दी जाय या कीमत घटा दी जाय या वसूल न की जाय, राज्य सरकार निर्णय नहीं कर सकती।

दूसरा प्रश्न इसके साथ जुड़ता है, वह किसान जो अगर पहले से इस भूमि पर काबिज चला आ रहा है और जिसको खातेदारी हक प्राप्त नहीं हो पाये अगर उसकी प्रोपर्टी नहीं होती, किसी बिस्वेदार की प्रोपर्टी होती और बिस्वेदार की प्रोपर्टी पर जिस किसान को अलवर-भरतपुर जिले में खातेदारी हक प्राप्त होगये हैं और यहां पर केवल इस वजह से इवेक्यू प्रोपर्टी डिक्लेयर कर दी गई उनको खातेदारी हक प्राप्त नहीं हो रहे हैं उसके सम्बन्ध में जब रेवेन्यू की डिमान्ड पर बहस हो रही थी, मैं कह चुका था कि राज्य सरकार भारत सरकार से इस बारे में बातचीत करना चाहती है, उनसे कहना चाहती है कि जहां तक वसूली का प्रश्न है, राजस्थान में जहां दूसरे व्यक्तियों को भूमि सुधार के नियमों के अनुसार जो हक प्राप्त हुए हैं और यह भूमि इवेक्यू प्रोपर्टी हो गई इसलिये इस पर वे हक प्राप्त नहीं हों, यह उचित प्रतीत नहीं होता। इस बारे में राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री महोदय भारत सरकार का ध्यान नहीं दिला सकते कि इस जमीन पर यदि भारत सरकार विस्थापितों को बसाती तो उनके कम्पेन्सेशन पूल में विस्थापितों से जो उन्होंने नई रेट मुकर्रर की है १००) रुपया प्रति स्टेंडर्ड बीघे के हिसाब से मिलती ? राज्य सरकार ने उस जमीन पर पट्टेदारों को बसाया तो गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया उतना ही रुपया लेने की मुस्तहक है जितना विस्थापितों से लेती। विस्थापितों के लिये रेट कम कर दी है तो फिर क्यों एतराज होना चाहिये ?

इसके अलावा प्री-पार्टीशन जो टीनेन्ट्स थे उनके बारे में भी भारत सरकार से बातचीत करनी चाहिये। उनसे जो वसूली इस समय हो रही है अनाउन्समेन्ट के जरिये उसको बन्द किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में भी मैं जानना चाहूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, under Rule 131, मिनिस्टर महोदय के स्टेटमेन्ट के बाद आपका रूलिंग है कि no debate is allowed and no further discussion is allowed.

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जब रूलिंग हो चुकी है तो क्या स्टेटमेन्ट के बाद सम्माननीय सदस्य आर्ग्युमेन्ट कर सकते हैं ? अगर वक्तव्य में प्राइमाफेसी कोई चीज हो तो वह पोइन्ट आउट की जा सकती है। ऐसे डिस्कशन पर्मिसिबल हैं या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is only a clarification, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Rule 131 (2) of the Rules of Procedure says that there shall be no debate on such statement at the time it is made. Therefore; the Hon'ble Members are debarred to put any questions or to any debate.

श्री अध्यक्ष : यह सही है कि मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद इस विषय पर बहस हो, ऐसी चीज़ की इजाजत नहीं दी जा सकती; लेकिन कोई ऐसे तथ्य हों जो कि माननीय सदस्य पूछना चाहें, कोई क्लेरिफिकेशन सीक करना चाहें तो वे स्पीकर की आज्ञा से कर सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो मैं केवल स्पष्टीकरणवाली बात अध्यक्ष महोदय, रख रहा था कि जो रेवेन्यू का सब्जेक्ट है वह हमारी राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। केन्द्रीय सरकार के सब्जेक्ट की लिस्ट में कॉन्स्टीट्यूशन में जहां लिखा है कि सेन्ट्रल सब्जेक्ट्स स्टेट सब्जेक्ट्स और कॉनकरेन्ट सब्जेक्ट्स वहां पर रेवेन्यू को स्टेट सब्जेक्ट की परिभाषा में लिखा है। तो रेवेन्यू के मामले किस तरह से गवर्न होंगे, टीनेन्सी के मामले किस तरह से गवर्न होंगे; तो यह मामला हमारे इस सदन के द्वारा दी गयी कार्य की परिधि में आता है और सेन्ट्रल के कानून का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि यह कानूनी स्थिति है और राजस्थान का लॉ विभाग है उसकी इस संबंध में राय ले ली जावे; क्योंकि इसमें किसानों की रोजी-रोटी का सवाल है और इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दें कि इसको कन्सीडरेशन में लिया जाये।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, क्या भारत सरकार को यह बात नहीं समझाई जा सकती है कि जब शरणार्थियों से हमने एक फैसला किया है और राजस्थान सरकार ने भी उसको माना है और भारत सरकार ने भी उसे माना है तो यह एक ही राज्य के अन्दर दो तरह के फैसले क्यों किये गये हैं जब कि उनकी आर्थिक हालत भी ज्यादा खराब है ? तो इस केस को राज्य सरकार पूरी तरह से भारत सरकार के सामने रखे और उसके सामने यह दलील दे कि हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि जिसका कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं यह समझता हूं कि राजस्थान सरकार अगर पूरी तरह से अपनी पूरी दलीलों के साथ केन्द्रीय सरकार के पास जाये तो यह फैसला भी हो सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह चुका हूं उसके सिवाय मुझे कुछ एड नहीं करना है।

(६.३२ म० पू०)

लूणकरणसर में पेय-जल की कमी संबंधी विषय पर ध्यान आकर्षित करना

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत लूणकरणसर टाउन में पीने के पानी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर मन्त्री, पंचायत विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मन्त्री, पंचायत) : The Headquarter of Tehsil Loonkaransar is situated on Bikaner-Bhatinda Railway line towards North-East of Bikaner at a distance of 61 miles....

कुछ माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : including the villages of Jogina, Bastidewan and Basti, estimated population of Loonkaransar is near about 3,000.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please! Order!!

श्री दिनेशराय डांगी : There is no sweet water well in Loonkaransar or in the neighbourhood. The town has one well of brackish water. It is used for cattle and domestic purposes.

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : बिल्कुल माइक के सामने मुंह रख दिया जाये।

श्री दिनेशराय डांगी : In addition to this well there are 130 small wells owned by the residents of the village. The water of these wells called Barias is not fit for human consumption and is used for cattle and domestic purposes.

कुछ माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : जरा शान्ति से सुनें।

श्री दिनेशराय डांगी : In addition to this well there are 130 small wells owned by the residents of the village. The water of these wells called 'Barias' is not fit for human consumption and is used for cattle and domestic purposes. There are two public Bawdis and 4 tanks.

(व्यवधान)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दी में भी उसको कर दें तो ठीक है; नहीं तो क्या समझ में आयेगा ?

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था होनी चाहिये। मन्त्री महोदय को हिन्दी में कहना चाहिये। अंग्रेजी में कोई वक्तव्य नहीं दे सकता।

श्री दिनेशराय डांगी : लूणकरणसर जहां कि तीन हजार आदमियों की आबादी है वहां कुओं में पानी बरसात के दिनों में इकट्ठा

(श्री दिनेशराय डांगी)

हो जाता है और वह पानी जानवरों के काम में आता है। पीने का पानी बहुत कम आता है तो बरसात के दिनों में पानी काम में ले ही लेते हैं, लेकिन बाद में जब पानी की कमी होती है तो ट्रेन के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है और काम-काज इससे चलता रहता है। इसके बारे में मैं बताऊं कि दो टंकियां करीब २,४०० गैलन की लूणकरणसर में एत्री डे भेजी जाती हैं, जिसकी मई, ६२ तक शुरूआत रही। इन दो सालों में हमेशा ही दो से लेकर ३ टंकियां भेजी जाती रही हैं। इसके अलावा वहां पर बोरिंग करने की कोशिश की गई जिसमें ४७१ फीट भी बोरिंग करने के बाद पाया गया कि पानी नहीं मिला। तो यह सोचा गया कि १,००० फीट बोरिंग किया जाये तो पानी अवेलेबल हो सकता है। इस समय इसका ऑल्टरनेटिव यही है कि एक गांव सजरासर जो कि लूणकरणसर से १२ मील है वहां से बिग पाइप लाइन लगा कर पानी को लाया जाये और इसके अलावा अभी हाल ही में एक लिफ्ट स्कीम ऑफ राजस्थान केनाल शुरू की जायेगी, शायद उसके अन्दर यह एरिया आ जायेगा तो इससे उनको राहत मिलेगी। इसी तरह कलेक्टर ने सजेशन दिया है कि पानी के लिये ज्यादा से ज्यादा खुदवाने को कोशिश की जाये और कुंए गहरे किये जायें और दूसरे जो १२-१४ मील पर गांव पड़ता है वहां से बिग पाइप लाइन लगा दी जाये और तीसरे लिफ्ट स्कीम है जो कि राजस्थान केनाल एरिया में पड़ती है उससे पानी लिया जाये। यही तीन तरीके हैं जिनसे पानी की समस्या सुधारी जा सकती है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, सजरासर या राजस्थान केनाल के लिफ्ट एरिया से पानी आयेगा वह तो दूर की स्कीम है। आपने अभी कहा कि ३ टंकियों का इन्तजाम है और मेरे पास कल तक की सूचना है कि एक ही टंकी २,४०० गैलन की वहां पर जाती है और वह भी वहां पर पहुंचते पहुंचते आधी रह जाती है। इसलिये यह कहना कि ३ टंकियों का इन्तजाम है दुरुस्त नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : जो मेरे पास जानकारी प्राप्त हुई है उसी के आधार पर कह रहा हूँ। ३ टंकियां भेजी जाती हैं जब कि पहले दो भेजी जाती थीं। पिछले दो सालों से ऐसा हो रहा है।

श्री भीमसेन : क्या सरकार इसकी जानकारी लेकर व्यवस्था करेगी, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक वहां एक ही टंकी भेजी जाती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : हम जानकारी लेने के पश्चात् ही बता सकेंगे।

(९.३६ म० पू०)

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री।

राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कराधान (संशोधन) विधेयक, १९६२

(पुरः स्थापन)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) १९६२-६३ पर विचार

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आयव्ययक) १९६२-६३ जो दिनांक १ मई, १९६२ को सदन की मेज पर रखा गया, विचारार्थ लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : Do you want to make a short statement ?

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने १९६२-६३ का विद्युत् का बजट बहस के लिए प्रस्तुत है । यहां पर कई माननीय सदस्य नये आये हैं और मैं यह उचित समझता हूं कि बहस होने के पहले आप लोगों के सामने राजस्थान विद्युत मण्डल ने जो कार्य अभी तक किये हैं और जो प्रगति हुई है वह प्रगति आपके सामने रखी जाये, ताकि बहस करते समय वह बैकग्राउन्ड भी आपके सामने रहे । वैसे कोशिश इस बात की की गयी है कि हर एक मेम्बर को एक साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी दी जाये ताकि ब्रीफली उस पर आपके समक्ष जो जो तरक्की विद्युत् मण्डल ने की है वह आपके पास उपलब्ध हो और आपको उससे सुभीता हो, बहस करते समय । वैसे ब्रीफली मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान जब आजाद नहीं हुआ था और उसका एकीकरण नहीं हुआ था उस समय राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त था और यह निहायत जरूरी बात थी कि राजस्थान को किसी न किसी रूप से उठाया जाये । लेकिन आजकल के जमाने में यह निहायत जरूरी बात हो जाती है कि कोई भी प्रान्त या देश उठना चाहे तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध होनी चाहिये । जब राजस्थान बना तो आप लोगों ने, माननीय सदस्यों ने, यह देखा होगा कि आपके सामने आंकड़े पेश किये गये हैं; राजस्थान के पास पहले करीब १७,२७१ किलोवाट बिजली कुल थी । यह तो इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है । फर्म कैपेसिटी सिर्फ ७,४६३ किलोवाट थी । माननीय सदस्य खुद महसूस कर सकते हैं कि जब फर्म कैपेसिटी टोटल राजस्थान के पास सिर्फ ७ हजार के आसपास थी तो राजस्थान प्रगति नहीं कर सकता था ।

उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना में थोड़ा बहुत पैसा लगा और राजस्थान में हमने कोशिश की कि यह फर्म कैपेसिटी हमारी बढ़े और इसके फलस्वरूप जो पहली योजना में हमने प्रयास किया उसके फलस्वरूप पहली योजना के अन्त तक राजस्थान के पास १५,३९९ किलोवाट बिजली उपलब्ध हो गई ।

उसके बाद जो दूसरी योजना शुरू हुई उसमें राजस्थान ने इस मामले में और प्रगति की

(श्री हरिश्चन्द्र)

है और हम लोग इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि आगे के साल जो आने वाले हैं और जो बिजली की मांग हमारे प्रदेश में इस वक्त है उसको देखते हुए हम इस बात की कोशिश करें कि हमारे पास और और भी ऐसे यूनिट्स हों उनको लगाया जावे या अगर दूसरे प्रान्तों में लग रहे हैं तो उनमें हम किसी न किसी रूप में एक पार्टनर या हिस्सेदार हों, ताकि राजस्थान को अपनी आवश्यकता की बिजली प्राप्त हो सके।

मैं कुछ आंकड़े सदन के सम्मुख पेश करना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को यह मालूम हो सके कि बिजली की शोर्टेज हमारे यहां कितनी है। राजस्थान के आंकड़े सी० डब्लू० पी० सी० यानी सेन्ट्रल वाटर और पॉवर कमीशन ने इकट्ठे किये हैं। वे यह महसूस करते हैं कि तीसरी योजना के अन्त तक राजस्थान को कम से कम ५४.६२ मेगावाट बिजली की कमी होगी। यहां हमारी इतनी डिमान्ड बढ़ती जा रही है कि तीसरी योजना के अन्त तक हमारा जो डेफिसिट होगा बिजली में वह करीब ५४.६२ मेगावाट होगा और चौथी योजना के अन्त तक २०५.८४ मेगावाट होगा। पांचवीं प्लान के अन्त तक ५४६.२४ मेगावाट होगा और छठी प्लान के बाद १,०१६.८४ मेगावाट होगा। यह बिजली की कमी राजस्थान को महसूस होगी। अब राजस्थान सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि ऐसी क्या क्या स्कीमें हो सकती हैं जिनको कि हम अगर ले लें तो हमारी यह कमी किस हद तक पूरी हो सकती है। तो वह मैं संक्षेप में सदन के सदस्यों के सम्मुख पेश करना चाहता हूं।

राजस्थान सरकार ने यह निश्चय किया है कि माही प्रोजेक्ट, जो बांसवाड़ा के पास पड़ता है उसको हाथ में लिया जाय। यह स्कीम तैयार कर ली गई है, यह टैक्निकल स्क्रूटिनी के लिये गई है और इसकी टैक्निकल स्क्रूटिनी हो जाने के बाद हम समझते हैं कि यह काम शुरू होगा और इससे राजस्थान को लाभ मिलेगा। इससे हमें ३० मेगावाट फर्म कैपेसिटी बिजली मिलेगी, इन्स्टाल्ड कैपेसिटी ४२ मेगावाट की होगी।

इसके अलावा आपको मालूम होगा कि बीकानेर के आसपास लिग्नाइट है। इससे भी बड़े जोरों से कोशिश की जा रही है कि इसको किसी न किसी रूप से युटिलाइज़ करके काम लिया जावे और इसके द्वारा पॉवर उत्पन्न किया जावे। इसकी चर्चाएं चल रही हैं, नेगोशियेशन्स भी चल रहे हैं, सी० डब्लू० पी० सी० से बातें चल रही हैं; पर मुख्य डिफिकल्टी हमारे सामने पानी की है। जिस मात्रा में इस प्लान्ट के लिये पानी चाहिये उस पर्याप्त मात्रा में पानी वहां उपलब्ध नहीं है। इसके लिये टेस्ट बोरिंग किये जा रहे हैं, किये जावेंगे और इनके करने के बाद अगर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है तो हम एक यह स्कीम भी चला सकते हैं और पचास मेगावाट के दो सैट वहां लगाये जा सकेंगे। तो यह स्कीम सारी निर्भर करती है पानी वहां पर्याप्त मात्रा में मिलता है या नहीं मिलता।

इसके अलावा नर्बदा वेली प्रोजेक्ट में भी राजस्थान शेयरर होना चाहता है। इसके नेगोशियेशन्स चल रहे हैं गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के साथ और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के साथ। इसकी जो पोटेन्शियलिटी हमें बताई गई है वह करीब १,५००मेगावाट की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसमें से हमें कितनी मिलेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अभी डिटर्मिन नहीं हुआ है ।

इसके बाद व्यास और सतलज के पोंग डेम से हमें बिजली मिलेगी; इसका नाम आपने सुना होगा । इससे ६५ मेगावाट और १०० परसेन्ट लोड फैक्टर बिजली हमें उपलब्ध होगी । इसी तरह व्यास-सतलज लिंक के जरिये ३४३ मेगावाट और १०० परसेन्ट लोड फैक्टर उपलब्ध होगी ।

इसके अलावा एटोमिक एनर्जी प्लान्ट भी लगने की बातचीत चल रही है ।

इसके अलावा राजस्थान में अभी कोई ऐसी नदी नहीं रह गई है जिसके जरिये से एडीशनल हाइडल पॉवर मिल सकती हो । जो चम्बल है, चंबल के ऊपर माननीय सदस्यों ने सुना होगा कि गांधीसागर डेम बन गया, राणा प्रतापसागर का काम चालू है, कोटा डेम एक और बनेगा । यह जो चम्बल नदी है उसको पूर्णतया युटिलाइज़ किया जा रहा है, ताकि वहां से हमको बिजली प्राप्त हो । लेकिन एटोमिक प्लान्ट की भी कोशिश की जा रही है । उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बातचीत चल रही है । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से भी बातचीत चल रही है कि एटोमिक प्लान्ट राजस्थान को मिले । राजस्थान के पास फिज़ीकल बेनिफिट्स हैं, नेचुरल बेनिफिट्स हैं जिनको हम युटिलाइज़ कर सकते हैं । राणा प्रतापसागर के पास ऐसी चीजें हैं जहां न्युक्लियर पॉवर स्टेशन लग सकता है । पानी उपलब्ध है, दूसरी चीजें भी हैं । वहां का स्ट्रेटा ऐसा है कि वहां पर कोई कन्स्ट्रक्शन जम सकता है । हम आशा करते हैं कि जो बातचीत चल रही है उसका पूर्ण ध्यान राजस्थान के लिये रखा जायगा और राजस्थान को एटोमिक प्लान्ट मिलेगा ।

इसके अलावा दो थर्मल स्टेशन्स लगाये जा रहे हैं सतपुड़ा में जिनकी टोटल कैपेसिटी होगी ३०० मेगावाट की और उसमें से १२० मेगावाट राजस्थान को मिलेगा । यह थरमल पॉवर स्टेशन सतपुड़ा में लगेगा और राजस्थान और मध्यप्रदेश के शेयरर्स होंगे इस प्रोजेक्ट में ।

इसी तरह इस बात को भी जांचा गया है कि गांधीसागर जो है उसमें एक युनिट और बढ़ाया जाय तो और बिजली हमको मिल सकती है और सी. डब्ल्यू. पी. सी. ने निर्णय लिया है कि गांधीसागर में ५वां सेक्टर और हो उससे २३,००० किलोवाट बिजली मिलेगी, जिसमें से ११,५०० किलोवाट बिजली राजस्थान को मिलेगी । इस प्रकार मैंने मोटे रूप से स्कीम्स के बारे में निवेदन किया है जिसके जरिये राजस्थान में बिजली कम आने वाली है उसके जरिये किस प्रकार आगे बिजली हमको मिले ।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मोटे फिगर्स देना चाहता हूं, क्योंकि जो आपके पास फिगर्स की साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी आई है उसमें शायद फिगर्स नहीं हैं । सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में राजस्थान का जो प्लान था; १,६६६.५१ लाख रुपयों का था उसमें से राजस्थान ने १,५८० लाख रुपये खर्च किये हैं । तो जो बचा वह ४१६.५१ लाख रुपया बचा । अ ब

(श्री हरिश्चन्द्र)

आप यह पूछ सकते हैं कि यह कमी क्यों हुई ? इसकी वजह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। २५० लाख रुपये राणा प्रताप सागर के बचे। वे इसलिये बचे कि टेक्निकली स्कीम को एग्ज़ामिन किया जा रहा था और उसके बाद थोड़ी देरी हुई इसलिये वह जो अमाउन्ट था वह बचा। इसी तरह अजमेर के लिये ६० लाख रुपये थे और क्योंकि पॉवर हाउस को टेक-ओवर करने के लिये नेगोशियेसन्स चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वेल्युएशन नहीं हुआ इसलिये पॉवर हाउस को एक्वायर नहीं कर सके और जो प्रोजेक्ट्स थे उनको नहीं ले सके, इससे ६० लाख के करीब रुपये हमारे पास बच गये। इसी तरह से जो और पॉवर हाउसेज़ प्राइवेट हैं उनको एक्वायर करने का पैसा था उनमें ७६.५१ लाख रुपये और बचे। टोटल मिला कर ४१६.५१ लाख रुपये होते हैं जो बचे, खर्चा हुआ वह पहले पेश आपके सामने कर दिया है।

अब जो ६१-६२ का आपके सामने बजट है, पिछले साल का है उसके आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, बजट प्रोविज़न ६१-६२ में ४५० लाख रुपयों का था उसमें से गवर्नमेन्ट ने ४३५ लाख का प्रोविज़न किया और एक्सपेन्डीचर हुआ ४२५ लाख रुपयों का और सेविंग हुआ वह १० लाख के करीब का था। यह सेविंग मेटीरियल नहीं आने के कारण हुई। मेटीरियल के लिये ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाया इसलिये १० लाख रुपयों की बचत रही। ६२-६३ का बजट आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसके मोटे फिगर्स रखना चाहता हूं। बजट प्रोविज़न ६३३.२७ लाख रुपयों का है। उसमें से जो राजस्थान सरकार ने सीलिंग फिक्स किया है वह ४६३.२७ लाख रुपयों का है और बैलेन्स जो बचा वह १५० लाख का बचा, जिसके लिये राजस्थान सरकार ने निर्णय किया है कि हम उसके लिये लोन फ्लोट करें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लोन फ्लोट करे और उसके जरिये हमारी जो कमी है उसको पूरा करें ताकि आगे विद्युतिकरण शीघ्र हो और राजस्थान इससे प्रगति कर सके। तो यह जो ६३३.२७ लाख रुपयों का बजट मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका ब्रेकअप भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

वह ब्रेक-अप है-भाखरा नांगल १६२.५६ लाख रुपये, चंबल प्रोजेक्ट २१७.६४ लाख रुपये और थरमल जो है २४६.६२ लाख रुपये, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वह ६.४२ लाख रुपये है। इसकी टोटल होगी वह ६३३.२७ लाख रुपये होगी। ये जो फिगर्स आपके सामने ६३३.२७ लाख रु० के हैं उनमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी सम्मिलित है, १०८.४६ लाख भी इन्क्ल्यूडेड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के और ५०.२८ लाख रुपये इस बात के रखे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बिजली के द्वारा बढ़ाया जाय। यहां सिंचाई में इस बात का ध्यान रखा जाय कि बिजली के द्वारा सिंचाई हो सके, ताकि काश्तकारों के पास तक बिजली पहुंच सके और हम यह आशा करते हैं कि १९६३-६४ के बीच में हम कोई भी ऐसा गांव या टाउन कहिये, नहीं छोड़ेंगे जहां बिजली नहीं पहुंचेगी

(श्री हरिश्चन्द्र)

जिसकी पोपुलेशन ५ हजार से अधिक की हो। जो भी गांव ट्रान्समिशन लाइन के आसपास आते हैं १-२ माइल के बीच में वहां भी बिजली पहुंचेगी। लेकिन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ कर कि सारा प्रोग्राम इस पर है कि हमारी फाइनेन्शियल पोज़ीशन कैसी रहती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो लोन फ्लोट किया है वह सक्सेस ले आवे तभी काम कर सकते हैं। हमारा प्लान चल जाता है तो मैं खुद महसूस कर सकता हूं और माननीय सदस्य भी महसूस करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो इन्डस्ट्रीज़ लग रही हैं, जब प्लान हुआ था कोटा में ६००० किलोवाट से शुरू हुआ था और आज हम ८०,००० किलोवाट के सब स्टेशन प्लान कर रहे हैं। वहां पर पहले ६,००० किलोवाट का अनुमान था और आज इतनी भूख हो गई है बिजली की कि आज यह प्लान कर रहे हैं कि जो प्लान्ट स्थापित हो वह ८०,००० किलोवाट का हो। तो यह नमूना है, इस बात का कि राजस्थान में कितनी जबरदस्त मांग है बिजली की और मैं निवेदन करूंगा कि हमें पूरा जोर लगाना चाहिये कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन जहां तक हो सके हम दोनों चीजों को बढ़ावें ताकि राजस्थान की जनता प्रोस्पर हो सके।

(१०.० म० पू०)

इसके अलावा वैसे मैं, जो विद्युत मंडल है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसके थोड़े आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ; क्योंकि आपके बजट में जो प्रोग्रेस आती है उससे आपको लाभ का अनुमान दिखता है या यह नुकसान में जा रहा है ? और नुकसान में जा रहा है तो इसके भी कई कारण हैं। आपकी बहस होगी, आप लोग, माननीय सदस्य, कई सुझाव देंगे। वे ऐसे सुझाव होंगे आपके कि हम कोशिश करेंगे कि हम किसी न किसी रुप में ग्रहण करके इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन मोटे तौर से सन् ६०–६१ के बजट में अगर इन्ट्रेस्ट नहीं जोड़ते हैं तो हमारा बजट प्लस साइड पर चलता है ७.०५ के। मगर जब इन्ट्रेस्ट जोड़ देते हैं, जिसकी कि रकम १६ लाख रुपये होती है तो बजट माइनस में चला जाता है और माइनस में चला जाता है ८.६५ के ऊपर। यह इन्ट्रेस्ट सरकार को मिलता है, क्योंकि जो असेट्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सरकार ने ट्रान्सफर किये हैं और जो धन-राशि वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देती है उस पर इन्ट्रेस्ट चार्ज करती है। वह इन्ट्रेस्ट इसमें जोड़ते हैं तो बजट माइनस में चला जाता है। अगर नहीं जोड़ते हैं तो प्लस में जाता है। तो वे फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे ही १९६१–६२ के बजट में बजट जोड़ने के पहले १८.६६ लाख का फायदा रहता था यानी सरप्लस बजट रहता था। लेकिन इन्ट्रेस्ट चार्जेज़ ४१.८१ लाख थे, उसको निकालने पर २३.२२ लाख का माइनस रह जाता है। इसी तरह १९६२-६३ का जो बजट आपके सामने है। इसमें इन्ट्रेस्ट चार्जेज़ नहीं लगाते हैं तो ४६.२६ प्लस में जाता है और अगर इन्ट्रेस्ट लगाते हैं जो ५३.४४ पर चला जाता है; तो ७.१५ माइनस में जाता है। ये आंकड़े हैं। इनसे अनुमान हो सकता है कि हालांकि बजट माइनस में जा रहा है लेकिन धीरे धीरे इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इलेक्ट्रि

(श्री हरिश्चन्द्र)

सिटी बोर्ड अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि जो घाटा है, जिसमें इन्ट्रेस्ट और डेप्रीसियेशन दोनों शामिल हैं, ये कम होते चले जा रहे हैं और हमारा बजट प्लस साइड पर चलेगा।

अब मैं माननीय सदस्यों के सामने थोड़े फिज़िकल टार्गेट्स भी रखना चाहता हूं ताकि उससे भी आप लोगों को थोड़ा सुभीता हो। जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है, उसमें हम यह कोशिश करेंगे कि राजस्थान के पास तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक २ लाख, ७५ हजार किलोवाट बिजली उपलब्ध हो जाय। २ लाख, ७५ हजार किलोवाट बिजली उपलब्ध हो जाय, इसका ब्रेक अप........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : This is in stalled capacity or firm ?

श्री हरिश्चन्द्र : This is installed capacity.

इसका ब्रेक-अप मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अभी आप थरमल का मोटा हैड ले लीजिये। उसमें स्टीम को ले लीजिये। इसमें जो सेट्स लगेंगे वे सतपुड़ों में दो पचास-पचास के लगेंगे यानी १०० मेगावाट के लगेंगे। और जोधपुर में तीन हजार का सेट लगेगा इस प्रकार वह १,००३ हो गया। इसके अलावा दस हजार के हमने डीज़ल और जेनरेटिंग सेट रखे हैं। जहां ऐसे टाउन हैं, जिनकी कि जन-संख्या पांच हजार, छः हजार हो और वहां पर हमारी लाइन जाने में देरी हो वहां नर्सरी सेट्स लगा दिये गये हैं और इलेक्ट्रिफाइ कर दिया है और जब लाइन लगेगी तो ग्रिड से मीट आउट कर दी जायगी। इस तरह दस हजार किलोवाट के डीज़ल सेट हो जाते हैं। तो टोटल हो जाता है, थरमल का ११३ किलोवाट। हाइडल में चम्बल में १०६ के अन्दर राजस्थान का शेयर आता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन लगेंगे क्या जोधपुर में ?

श्री हरिश्चन्द्र : कहां ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन जेनरेटिंग सेट्स हैं जोधपुर में ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक और लगेगा जोधपुर में।

तो हाइडल में टोटल होता है, जो अकाउन्ट कर रहे हैं, वह १६२ किलोवाट कर रहे हैं। उसका ब्रेक-अप यह है; चम्बल में १०६, राणा प्रताप सागर में....

श्री रामानन्द अग्रवाल : I think it is megawatt. Is it kwt ?

श्री हरिश्चन्द्र : yes, it is kwt.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I think it should be Megawatt.

श्री हरिश्चन्द्र : १ लाख ६ हजार यानी १०६ मेगावाट और १ लाख ६ हजार किलोवाट। राणा प्रताप सागर का होगा ८६ हजार किलोवाट, गांधी सागर में फोर्थ एण्ड फिफ्थ यूनिट में ११,५०० इंच। इस प्रकार टोटल मिला कर १०६ हजार किलोवाट होता है। तो यह आपके सामने हाइडल आया और भाखरा का हुआ, राइट बैंक का २८ हजार और कॅमान फेज़ ऑफ

(श्री हरिश्चन्द्र)

फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, हनुमानगढ़ २५ हजार; यह करके टोटल ५३ हजार होता है । तो टोटल हाइडल १ लाख ६७ हजार किलोवाट । यह आपके हाइडल का है । तो अगर आप इन दो को जोड़ेंगे तो एक और दो का टोटल आ जायगा २ लाख ७५ हजार किलोवाट । २ लाख ७५ हजार किलोवाट बिजली कुल राजस्थान को तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक मिलेगी ।

(१०. ८ म. पू.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सदस्यों से एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ । कई माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि हमारे यहां जो लास्ट ईयर इस पर बहस हुई थी उसमें इस बात का मैंने आश्वासन दिया था कि जयपुर के अन्दर हाइडल पॉवर आयेगी । वह नहीं आ पाई । तो इसकी मैं बहुत माफी चाहता हूं माननीय सदस्यों से और चेयरमैन महोदय से । लेकिन इसके कई कारण थे जिनके कारण वह नहीं आ पाई । सबसे बड़ा कारण जो था राजस्थान के सामने वह स्टील का मसला था । वह स्टील का मसला ऐसा मसला है जिसको राजस्थान सरकार बावजूद पूर्ण कोशिश के हल नहीं कर पाई । यह ऐसी बोटल नेक है, क्योंकि हमें स्टील नहीं मिलती है । स्टील के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को कई बार लिखा । मैं खुद गया और जितने कर्मचारी हैं, चेयरमैन, चीफ इन्जीनियर साहब वे गये । वहां बात हुई लेकिन स्टील नहीं आ पाई । स्टील नहीं आ पाती है तो माननीय सदस्य जान सकते हैं कि स्टील के बिना बिजली लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है । लेकिन अब इस परिस्थिति में हैं कि स्टील आ गई है, ग्रिड सस्पेन्शन की स्टील होती है, वह किस स्पेसिफिकेशन की होती है, वह उपलब्ध हो गई है । अब हम इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जयपुर में हाइडल पॉवर कनेक्ट हो जाय, जो बिजली की शॉर्टेज महसूस हो रही है वह जल्दी से जल्दी खत्म हो; हम बिजली दे सकें । इसका जो प्रावधान रखा है और जैसा अनुमान करते हैं, वह सितम्बर तक लगाने का है, जयपुर में और इस साल के आखिर तक हम इस बात का प्रयास करेंगे कि जयपुर से अजमेर को लाइन जोड़ी जाय और नीमच से उदयपुर की लाइन का काम हो जाय; ताकि अजमेर में जो बिजली की कमी महसूस हो रही है वह हाइडल पॉवर जोड़ देने से खत्म हो........

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : अजमेर में कब तक दे देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब आप अपना भाषण दें तब पूछना । उसका जवाब मैं दूंगा । तो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि स्टील की बोटल नेक है, जो राजस्थान में बावजूद कोशिश के नहीं पहुँच पाई । इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे पास स्टील नहीं था ।

भाखरा के अन्दर हमें लैफ्ट बैंक से १६,४३७ किलोवाट बिजली प्राप्त हो रही है । इसमें हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस वक्त वह करीब पांच हजार किलोवाट के आसपास

(श्री हरिश्चन्द्र)

यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ग्रिड सस्पेन्शन भाखरा का है, वह तैयार नहीं हुआ था। उसका मुख्य कारण यह था कि स्टील हमको नहीं मिली। अब वह काम चल रहा है और इस साल के जुलाई तक हम आशा करते हैं कि रतनगढ़ और बीकानेर का ग्रिड सस्पेन्शन कम्प्लीट हो जायगा, ताकि हमें वहां की जो बिजली मिल रही है वह जल्दी से जल्दी ले सकें। हम अनुमान करते हैं कि जुलाई के बाद दस हजार, बारह हजार के आस--पास बिजली ली जायगी।

तीसरी पंचवर्षीययोजना में जहां तक रूरल एरियाज में जो इलेक्ट्रिफाइ करने का प्रश्न है, मैंने पहले भी सदन के सामने निवेदन किया कि ३०० के लगभग हम इलेक्ट्रिफाई करना चाहते हैं और गांव जो आसपास लाइन के आते हैं और वहां पर बिजली नहीं है। आशा तो यह है कि इससे भी अधिक गांवों को इलेक्ट्रिफाई कर पावेंगे और ५०० या ५५० गांवों को इलेक्ट्रिफाई कर पावेंगे। अगर ज्यादा धन राशि उपलब्ध होती है तो ज्यादा गांवों को बिजली पहुंचा सकेंगे; लेकिन हमारे बजट में उतने ही गांवों को रखना चाहते हैं जितनों के लिये हमारे बजट में धनराशि हमें मिलती है। इसलिये हम यह आशा करके चलते हैं कि अगली तीसरी पंचवर्षीय योजना में गांवों तक बिजली पहुंचा पावेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने दो निर्णय लिये हैं वे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक तो यह है कि अगर कोई कोऑपरेटिव बेसिस पर पॉवर हाउस चलाना चाहते हैं तो राज्य सरकार और फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन उसको मदद करेंगे। इसकी रूपरेखा साइक्लोस्टाइल्ड मैटर में दी गई है: क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जो हमारे लिमिटेशन से बहुत दूर हैं और हम वहां पर नहीं पहुंच पाते और वहां की जनता कोऑपरेटिव बेसिस पर पॉवर हाउस चलाना चाहती है तो हम उनको सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

इसके अलावा पंचायत समितियें हमें किसी चीज के लिए कहें और कहें कि लाइन इधर से जा रही है और गांवों में बिजली ली जाना जरुरी है तो अगर हमारे पास पैसा है और लोन मिलेगा तो हम जरूर वहां पर खुद लगा देंगे और अगर कोई स्कीम है तो २५ परसेन्ट स्कीम को बतौर लोन के वे हमें दे दें। हम वह रकम उनको चुका देंगे और बाकी रकम हम फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन से लोन लेकर उस काम को पूरा करेंगे। इसके लिये राजस्थान सरकार ने फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन से बात की है। मगर पंचायत समिति हमें कर्जे के रूप में २५ परसेन्ट उस स्कीम का दे उसका हम उनको ब्याज दे देंगे और हम उनके पैसों को लौटा देंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और हमारी वित्तीय हालत में कई दिक्कतें आती हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने एरियाज़में जाकर कहेंगे और इसके लिये प्रयास करेंगे तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें हल हो सकती हैं। इसलिये मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को चाहिये कि इस पर कुछ कहें, ताकि आपके द्वारा जो सुझाव आवेंगे उसमें इस बात को मदद मिलेगी कि हम प्रोग्राम को किस तरह से सक्सेसफुली चला सकें।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय,........

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि टाइम लिमिट बांध दी जाए ।

श्री सभापति : आज सारा दिन इसी के लिए है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : टाइम लिमिट तो होनी चाहिये कि एक सदस्य कितने समय तक बोल सकेगा ।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से २० मिनट एक माननीय सदस्य को बोलने के लिए दिये जावें तो अच्छा रहेगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Some concession should be given to Shri Satish Chandra.

श्री सभापति : २० मिनट का समय दिया जावेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Time should be allotted to the Congress Benches and the Opposition Benches according to party strength.

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा का यह बजट अधिवेशन गत १३ मार्च को प्रारम्भ हुआ और इस लम्बे दो महीनों की अवधि में हमने राजस्थान के १९६२-६३ के बजट को पारित किया और आज यह सदन विद्युत मंडल के बजट के बारे में विचार कर रहा है । सभापति महोदय, लगभग १॥ महीने की लंबी बीमारी के बाद सदन में भाषण करने का आज मेरा पहला ही प्रयास है । विद्युत मंडल के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये हैं और इन आंकड़ों के द्वारा सदन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि टार्गेट को एचीव करने में उन्होंने कोशिश की है और जो कमी रह गई है उसके लिए कारण हैं और हम बहुत जल्दी राजस्थान को बिजली की चमक से दमका देंगे । यह आंकड़ों का जाल है और पिछली बार इन्हीं आंकड़ों के चक्कर में वित्त मंत्री भी महीने भर तक परेशान रहे । अब आपने फिर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं । मैं इस आधार पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब उन्होंने अपना प्रारम्भिक भाषण दिया तो यह ज्यादा अच्छा होता कि वास्तव में विद्युत मंडल की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करते । यह बजट जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसको देखने से ऐसा लगता है कि यह विद्युत मंडल का चौथा बजट है । चार, पांच साल काम करने के बाद इस प्रकार का बजट पेश हो और यह कहा जावे कि हम नये सेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य के कोष में कोई रकम जमा हुई हो, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है । यह सही है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनके आधार पर यह बात कही जा सकती है, जैसा कि माननीय मंत्री ने आंकड़े प्रस्तुत किये और बताया कि यह बजट हैड ६२ का है उसमें लिखा है कि हम प्रगति कर रहे हैं । सन् १९६२-६३ में लगभग ७ लाख का सरप्लस दिखाया गया है ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इससे पहले भी ५-७७ लाख था । १६६०-६१ में बजट में ७.६० का घाटा दिखाया गया है । मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात यह बताई गई है कि विद्युत् मंडल की वित्तीय स्थिति सुधरी है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन आंकड़ों को जोड़ दिया जाये तो मैं समझता हूँ कि हमारा यह विद्युत् का जो बजट है वह घाटे का है । वास्तव में देखा जाय तो सन् १६६०-६१ में घाटा रहा । सन् ६१-६२ में घाटे में था । सन् ६२-६३ में घाटे में रहेगा ।

देखना यह है कि आखिर यह घाटा क्यों है । इसकी पूर्ति हम कहां तक करते रहेंगे । आज ४ वर्षों के बाद अध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय), यह स्थिति है कि फिज़िकल टारगेट का एचोवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे मंत्री महोदय ने प्रारम्भिक भाषण में जोर दिया कि हमको स्टील नहीं मिला, तार नहीं मिले और इस वजह से तार नहीं डाल सके । जब स्टील और वायर ही नहीं मिला तो बिजली कहां से मिलेगी । मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि पंजाब और मध्यप्रदेश की सरकारों के सामने भी यही स्टील और तारों की समस्या होगी । मगर उन्होंने किसी न किसी तरह से उस समस्या को हल किया और उन्होंने पिछले तीन सालों में भाखरा-नांगल से अपने हिस्से की बिजली ली और वे उसका उपयोग कर रहे हैं और राजस्थान इससे महरूम रह रहा है । मैं उनके आंकड़ों में सदन को नहीं ले जाना चाहता । यह सारे आंकड़ों में लिखा है और जो तिथियें बिजली देने के लिये मुकर्रर की थीं उन तिथियों पर उनको बिजली नहीं मिली; बीकानेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर आदि में इतनी बिजली दी जायेगी मगर वह बिजली वहां पर नहीं मिल पाई । इसलिए मुझे खेद से कहना पड़ता है कि जहां तक बिजली की सप्लाई का प्रश्न है उस दृष्टि से एरिया में जितना कन्ज़म्पशन होना चाहिये, हम नहीं कर पाये और उसका मोटा कारण यही है कि हमारी ट्रान्समिशन लाइन नहीं डाली गई । पिछली बार भी कन्वर्शन करने ३३ के. वी. लाइन में सवाईमाधोपुर और इसके बारे में आश्वासन दिया पर चूरू, गंगानगर, बीकानेर में ट्रान्समिशन लाइन कन्वर्सन नहीं होने के कारण हम बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । क्या इस तरह की दिक्कतें राजस्थान के लिये ही हैं, पंजाब के लिये नहीं ? तो मंत्री महोदय ने कहा कि सरकारी अधिकारी और वे स्वयं गये पर असफल रहे तो मानना पड़ेगा कि हमारे इस बात में मन्त्री महोदय और विद्युत् मंडल के अधिकारी स्टील का और इस काम में आने वाले दूसरे सामान का कोटा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं ।

विद्युत् की इम्पोर्टेन्स के बारे में, महत्व के बारे में कहना आवश्यक नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूं, आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, जितने टार्गेट्स निश्चित किये गये उनको पूरा नहीं किया जा सका । ६०-६१ में ५४.४ का टार्गेट था उसमें केवल ३३ के. वी. ही कर पाये, ६१-६२ में भी टार्गेट पूरा नहीं कर पाये । ४२७ मील पूरा करने का था उसमें से २६४.५ ही हुआ । अकोर्डिंग टू प्रोग्राम आफ ६१-६२ १२४ लोकेलिटीज़ को इलेक्ट्रिसिटी देने का टार्गेट था उसमें से केवल ५० को ही दे पाये, केवल ४० परसेन्ट लोकेलिटीज़ को दे पाये हैं । तो जितने टार्गेट्स निश्चित किये उनको पूरा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं कर पाये। तो मैं पूछता हूँ कि विद्युत् मंडल ने क्या किया ? इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की दृष्टि से, एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट के पोइन्ट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान का आर्थिक विकास करने के लिये औद्योगीकरण और कृषि को बढ़ाने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर के बिजली की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करना आवश्यक है। पर जितने टार्गेट्स हर साल रखे वे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पूरे नहीं कर पाया, वे चाहे भाखरा से हों या चम्बल से हों, कोई टार्गेट्स पूरे नहीं कर पाये। चम्बल से बिजली के लिये तार डालना शुरू किया है, क्योंकि चम्बल से बिजली लाना है तो कोटा से तार डालना शुरू करना चाहिये, पर तार डालना शुरू किया है। सवाई माधोपुर से जयपुर तक। सवाई माधोपुर से जयपुर तक पूरे तार डाल भी दिये जायं तो जब तक कोटा से सवाईमाधोपुर तक तार नहीं डाले जाते तब तक बिजली नहीं मिल सकती। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह उल्टा काम इस विभाग की ओर से कैसे किया जा रहा है। अभी एक सप्ताह पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि पिछले चार साल में विद्युत् मंडल द्वारा; गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, चम्बल आदि से जितने जितने जेनरेटर्स को चालू करने की स्कीम थी उतनी पॉवर सप्लाई नहीं की जा सकी है। हमारा विद्युत् मंडल घाटे में जा रहा है, इसमें दो राय नहीं। इसका कारण क्या है ? मैंने पहले निवेदन किया था, मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाते हुए यही कहूंगा कि यह बात निर्विवाद रूप से मन्त्री महोदय ने स्वीकार की है कि सारा विद्युत् मंडल घाटे में जा रहा है। घाटे में जाने के क्या कारण हैं, क्या इसे घाटे में आने देना चाहिये, क्या राजस्थान सरकार इसे सहन करती जायेगी ? बजट में दो कारण रखे हैं। आज हमारे यहां जितनी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन्स हैं, जिनको ऑटोनोमस बोडी बनाया है, उनके सम्बन्ध में हमें विचार करना पड़ेगा। राजस्थान विद्युत् मंडल का ४ साल पहले निर्माण किया गया। उसमें आज जो घाटा है उसके दो कारण हैं। एक तो यह कि जितने विद्युत् मंडल के कर्मचारी हैं उनमें बड़ा भारी असंतोष है और उस असंतोष को राजस्थान सरकार या विद्युत् मंडल के अधिकारी दूर नहीं कर पाये हैं। आज से लगभग दो साल पहले मैंने इस सम्बन्ध में भाषण दिया था तो विस्तार से मैंने सब बातें रखी थीं और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आवश्यक जानकारी प्राप्त करके जितने इस मंडल के कर्मचारी हैं उनमें जो असंतोष है उसको दूर करने का प्रयास किया जायगा। पर आज तक वह असंतोष दूर नहीं किया जा पा रहा है, आश्वासन पूरा नहीं किया गया। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के बारे में भी जो अभी आश्वासन दिया है उस पर हम इसलिये विश्वास करने को तैयार नहीं हैं कि इतना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे। मन्त्री महोदय द्वारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में दिये गये आश्वासन पर उधर के माननीय सदस्यों ने तालियां बजा दीं। ५७-५८ के विद्युत मंडल के बजट पर जो मंत्री महोदय द्वारा भाषण दिया गया उसकी कॉपी मेरे पास है, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि ५६-५७ में सामान प्राप्त नहीं हो सका, अगले वित्तीय वर्ष से पहले उनको पूरा कर दिया जायगा।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दूसरे भाषण में उन्होंने यह आश्वासन दिया :

"That during the financial year 59-60 the work in Bhakhra on the transmission and distribution line on Punjab will be completed and power will be made available to shri-Ganganagar etc."

यही आश्वासन उन्होंने ५९-६० के दिया और यही आश्वासन ६०-६१ में भाषण में दिया जो इस प्रकार था : "We hope to achieve the targets by the end of the Plan period." यहां ३ साल से यही भाषण देते रहे, उधर को कांग्रेस बैंचेज़ से तालियां बजती रही। तो केवल तालियां बजाने से टार्गेट्स पूरे नहीं हो सकते, काम नहीं हो सकते। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ, हर बार भाषण होते हैं तो यही आश्वासन दिलाये जाते हैं पर पूरे नहीं हो पाते। तो जहां तक आश्वा-वासनों का सवाल है मैं किसी तरह उन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैं तो मन्त्री महो-दय से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप विद्युत मंडल को प्रोफिटेबल बनाना चाहते हैं, घाटे में नहीं रखना चाहते तो विद्युत मंडल के कर्मचारियों में जो असंतोष है उसको सबसे पहले दूर करना होगा। मैंने दो साल पहले भी साबित किया था कि विद्युत मंडल में जो कर्मचारी राज्य सरकार से ट्रान्स-फर किये गये हैं उनके लिये रूल्स बनाइये। उनके रिक्रूटमेंट के, प्रोमोशन के रूल्स नहीं हैं। आपको सदन में कहा था कि राजस्थान सर्विस रूल्स हैं उनके अनुसार उनके सर्विस रूल्स बनाइये, पर अभी तक नहीं बनाये गये। ८०० कर्मचारी हैं जो टेम्परेरी काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि कल उनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। उनमें इतना असंतोष है कि वे डिमॉन्स्ट्रेशन और हड़ताल करने की तैयारी में हैं। इनके प्रोमोशन्स के बारे में-डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, पिछली बार मैंने इस प्रकार के उदाहरण पेश किये थे। आज विद्युत मंडल जैसे पिंजरापोल होता है उस तरह की चीज बन गई है। पिंजरापोल में कोई भी जो बूढ़ी गाय, बूढ़ा बैल होता है, और किसी काम का नहीं तो उसको पिंजरापोल में रखा जाता है: इसी तरह आज विद्युत मंडल में कई कर्मचारी मिलेंगे जिनको, सरकार ने नाकामयाब घोषित कर दिया, जो पेन्शन लेकर घर चले गये, जिनको पंजाब की सरकार ने पेन्शन देकर काम के लिये अनफिट करार दे दिया उनको हमारे यहां विद्युत मंडल में लाकर भर्ती कर लिया गया है। तो क्या विद्युत मंडल को पिंजरापोल बना रखा है ? क्या राजस्थान में इस प्रकार के अधिकारियों की, कर्मचारियों की कमी है ? क्या सरकार चाहती है कि इस तरह से राजस्थान स्टेट के कर्मचारी हैं उनमें और अधिक असंतोष व्याप्त हो ? मेरे पास समय का अभाव है, नहीं तो एक नहीं अनेकों इस प्रकार के उदाहरण बता सकता हूं कि किस प्रकार इस तरह के अपोइन्टमेंट्स लिये गये हैं। पिछली बार सवाल पूछा इस सम्बन्ध में तो मैंने बड़ी लिस्ट दी थी, एक नहीं, अनेकों अधिकारियों के नाम पेश किये थे जिनका अपोइन्टमेंट नहीं होना चाहिये था पर उनका अपोइन्टमेंट किया गया और किसी को ६ महीने में, किसी को साल भर में अपने खुद के डिस्क्रिशन पर जिनको चाहा प्रोमोट कर दिया, वह लिस्ट आज भी मेरे पास है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस प्रकार के डिस्क्रीशनरी प्रोमोशन करने के कारण, रिक्रूटमेंट करने के कारण वहां के कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है। कोई भी रिक्रूटमेंट किया जाय तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज की मार्फत किया जाना चाहिये। यह सारे प्राइवेट एन्टरप्राइज़ेज़ पर केन्द्रीय सरकार लागू करने जा रही है; पर विद्युत-मंडल पर यह लागू नहीं होता है। होना तो यह चाहिये कि विद्युत मंडल जितना भी एम्प्लॉयमेंट करे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज से नाम आने पर करे। मैं आशा करता हूं कि यह सारी पोज़ीशन मन्त्री महोदय अपने भाषण में स्पष्ट करेंगे। इस पर आर. एस. आर. लागू करनी चाहिये और फैक्टरी एक्ट लागू कर दें। जब तक इन पर नये रूल्स लागू नहीं होते तब तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को जो सुविधाएं राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हैं वे ही प्राप्त होनी चाहिये, उन सब सुविधाओं से इन्हें महरूम नहीं रखना चाहिये। उनसे उनको महरूम किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इनकी सर्विसेज़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ट्रान्सफर हुई उसके बारे में, वह मैं पढ़ देना चाहता हूं। मेरे पास उस ऑर्डर की कॉपी है और वह ऑर्डर है :—

"Copy of order No. 13/OSD (EB) dated Jaipur, the 12th Feb., 58 from the Secretary to Government, Public Works (B) Department, Government of Rajasthan, Jaipur to the General Secretart Rajasthan Electric and Water Wofker's Federation, Jaipur.

"The Governor is hereby pleased to place the services of the employees of Electrical and Mechanical Department at the disposal of the Rajasthan Electricity Board, constituted on 28th June, 1957 under the provisions of the Central Electricity (Supply) Act, 1948 (LIV. of 1948). The manner under which the service conditions are to be regulated is indicated below:—

(1) The services of the Government employees of the Elect. & mechl. department both permanent and temporary shall be provisionally placed at the disposal of the Rajasthan Electricity Board with effect from 1st July, 1957.

2. The Board shall be required to permit each Government servant to exercise option either to :—

(a) accept the new grade and service conditions framed by the Board under its regulations.

(b) continue in the present grades and service conditions except in regard to conduct and discipline rules : or

(c) obtain relief from Government service by claiming pension or gratuity as may be admissible on abolition of posts under the Rajasthan Service Rules (Rules 215-226).

3. In case of permanent Govern-

Page No. 50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ment servants of the Elect. & Mechl. department opting to continue in the service of the Board subject to their existing Service conditions, the grant of pension is guaranteed by the Government subject to an arrangement to be made with the Board.

4. The Government servants are to be permitted to avail themselves of leave earned under the Government after their transfer to the Board and to draw the salary therefor in accordance with an arrangement to be made with the Board.

5. These directions are issued to the Rajasthan State Electricity Board under sub-section (1) of Section 78-A of the Indian Electricity (Supply) Act, 1948."

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य के जितने कर्मचारी इस विद्युत-मंडल में ट्रान्सफर किये गये हैं उन सारे कर्मचारियों को जो फेसिलिटीज़ सर्विस रूल्स के अनुसार मिलती थीं। फेसिलिटीज़ चाहे मेडिकल की हों, चाहे पेन्शन की हों, वे ऑप्शन नहीं कर सकते; क्योंकि विद्युत-मंडल वह बनायेगा तब वे करेंगे। आज विद्युत मंडल के रेगुलेशन्स नहीं बने तो उन्होंने ऑप्शन नहीं किया। इससे विद्युत-मंडल के उन कर्मचारियों में घोर असन्तोष व्याप्त हो रहा है। स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत उनसे पैसा लिया जा रहा है, किन्तु जो सुविधायें उनको पहले प्रान्त के दूसरे कर्मचारियों के समान मिलती थीं वे नहीं मिल रही हैं। इन सारी बातों को लेकर उनमें एक घोर असन्तोष व्याप्त हो रहा है और करीब ५०० कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह नहीं उठायी है, उन्होंने हड़ताल का नोटिस दे दिया है। माननीय विद्युत-मन्त्री महोदय के आश्वासन पर ३० मई तक हड़ताल को स्थगित किया है। हड़ताल का नोटिस उन्होंने इसलिए दिया है कि जो उनके साथ वायदे किये गये थे वे पूरे नहीं किये गये हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो खतरनाक मामला है उसकी ओर ध्यान रखें जिससे उन कर्मचारियों में किसी प्रकार असन्तोष न रहे।

विद्युत-मंडल इतने घाटे में जा रहा है, उसके सम्बन्ध में भी मैं दो-तीन बातें रखना चाहूंगा। यह मंडल जब से एक ऑटोनोमस बोडी बना है तब से ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय की यहां पर ज्यादा कुछ चलने नहीं पाती है। विद्युत मंडल वाले यह समझते हैं कि विद्युत मंडल ऑटोनोमस है और हम अब क्यों परवाह करने लगे। यदि मंत्री महोदय ज्यादा ही नाराज हों तो ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि दूसरे सेक्रेटरी को रख सकते हैं या चेयरमैन को बदल सकते हैं और इस दृष्टि से विद्युत मंडल में कई भारी घोटाले होते हैं। और मामले होते हैं जिनका मैंने सदन में पिछली बार जिक्र किया था। मैं एक-दो चीजें निवेदन करना चाहूंगा। बातें वैसे बहुत सारी हैं जो मैंने पिछली बार रखी थी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Two minutes only.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो मिनट में तो नहीं हो सकता । जल्दी ही समाप्त करता हूँ।

मैं आपके सामने कुछ ही बातें समयाभाव के कारण रखूंगा। जो कोटा में एक कॉपर वायर का ट्रक गया उसका आज तक पता नहीं। ६५ हजार का मामला है। यह ट्रक भवानीमंडी गया था, टेम्परेरी रेट पर बिजली लगानी थी; ट्रक का ट्रक गायब हो गया और वहां पहुंचा नहीं। इसकी जांच हुई। सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने रिपोर्ट पेश की करीब ३० पेज की। उसका क्या किया? ६५ हजार का कॉपर वायर स्टोर से इश्यू हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं। इस प्रकार के घोटाले होते हैं और मामले दबा दिये जाते हैं।

(विराम)

यह विद्युत-मंडल का नमूना है कि जितने घोटाले किये जा सकें किये जांय और उनको दबा दिया जाय और बचा लिया जाय। जिन लोगों के खिलाफ चार्जेज़ हैं, एन्टीकरप्शन में चार्जेज़ हैं उन लोगों को प्रोमोशन नहीं मिलने चाहिये। एक नहीं, अनेक इन्जीनियर्स हैं, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ हुई हैं, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स हैं, चालीस-पचास हजार का माल खरीदा, इन्क्वायरी हुई, एक्शन के लिए लिखा गया; लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। एक नहीं, अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभापति महोदय, इन सारी परिस्थितियों में बोर्ड की हालत है और वह इस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। और तो और डेफिसिट के बारे में कहूं। २६ लाख की बकाया नरेशों में है, १८ लाख २४ हजार लोगों में बकाया हैं और ६० लाख बकाया है हमारी लोकल बोडीज़ में। या तो आप इनको राइट ऑफ कीजिये। यदि आप इनको राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं तो फिर इनके रियलाइज़ेशन में आपने क्या किया है? पी. डी. आर. आपके लिये नहीं है; वह तो केवल गरीबों के लिए है। डेढ़, दो करोड़ की बकाया पड़ी हुई है। आप उसको वसूल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस सम्बन्ध में जरा कदम उठावें।

सभापति महोदय, मैं कहना तो बहुत चाहता था लेकिन समयाभाव के कारण केवल एक बात ही और कहूंगा। जितने असेट्स इसको ट्रान्सफर किये गये हैं उनका कोई हिसाब नहीं। विद्युत मंडल का जब निर्माण किया गया तो उस समय कितने असेट्स इसको ट्रान्सफर किये गये आज तक इसका कोई हिसाब नहीं मिलता। जो बजट बनता है उसका तरीका भी गलत है। प्रोफिट एण्ड लोस ट्रेडिंग अकाउन्ट की तरह बनने चाहिये, जिससे सब लोगों को मालूम हो सके कि इतना डेफिसिट है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि समयाभाव के कारण मैं आंकड़े पेश करना चाहता था वे अब पेश नहीं करूंगा। यदि उन्होंने ये आंकड़े मुझ से लिए तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस विद्युत-मंडल में काफी सुधार कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, माननीय सभापति,

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : श्रीमान्, अभी जो बहस हो रही है और मेरे पूर्व वक्ता ने जो तथ्य सामने रखे हैं उनकी स्पिरिट को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वे भी तरक्की चाहते हैं राजस्थान की और राजस्थान में ये कार्य और अच्छे ढंग से चलें, इसके लिए ही उनका क्रिटिसिज्म था और इस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी अपना क्रिटिसिज्म रखा है और हम लोग भी जो इस मसले पर बोलेंगे उसमें भी हम कुछ सुझाव रखेंगे। इसके साथ इधर की तरफ से यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि इस विषय में जो प्रगति हुई है उस प्रगति के लिए संतोष और गौरव करने के पूरे कारण हैं। जहां तक अभी वक्तव्य दिया और जो कुछ कागजात हमको दिये गये उन सब को पढ़ने से यह लगता है कि हमारी स्कीम के अन्दर जो विद्युतीकरण करना है उसके लिए ऐसा प्रावधान रखा गया है जिससे हम स्वयं उसके अन्दर दिलचस्पी लें। हमारी रूरल के लिए जो स्कीम है उसके अन्दर भी हमें सहयोग की भावना से उसको प्रगति देनी चाहिये तो जनता में उत्साह पैदा करके इस ओर एक्सेलरेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह कहते हुए मैं यह कहना चाहता हूं इस सिलसिले में कि अजमेर का जो मसला है, अजमेर के अन्दर बहुत कम सफाई दी है इस बात के लिए कि ६० लाख रुपया लगाना था वह नहीं लगा सके। पॉवर हाउस को खरीदने के लिए जो खर्चा किया जा सकता है वह आपने नहीं किया। वहां एक कम्पनी है। इस सिलसिले में भूतपूर्व अजमेर राज्य ने उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए यह रकम रखी थी और उस रकम के सिलसिले में उस कम्पनी से उस पॉवर हाउस को लेने के लिए सरकार ने कार्यवाही की और उसको लिया तो वह सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में पैन्डिंग था तो उस वक्त कौन से ऐसे कारण पैदा हुए, जब केस पेन्डिंग था। इसका फैसला नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर फैसला होने वाला था। जो हमारा प्लानिंग था कि ६० लाख रुपया देकर उसका राष्ट्रीयकरण करना था, उसको नहीं करने के क्या कारण हैं ? किस वजह से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया उसमें ढील क्यों की ? ढील करवाते रहे, होती रही। सुचारू रूप से जो चल रहा था उसमें वर्षों लग जाते हैं। सरकार उसमें जीती हुई थी। सरकार के लिए तो यह उचित था कि अगर कम्पनी सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो उसको जाने देते लेकिन जब सरकार की तरफ से केस सुप्रीम कोर्ट में था तो नीचे की तरफ से बुक्स बनाने में और दूसरी चीजें तैयार करने में कागजात आदि भेजने में देरी करके सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को इतना उलझाया गया और लंबा किया गया। कौनसी ऐसी फोर्सिंग सरकम्सटान्सेज़ थीं जिनकी वजह से ६० लाख रुपये में फैसला नहीं किया गया ? आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह रुपया खर्च नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ उस कम्पनी ने उस मामले को विथड्रॉ करने के लिए लिखा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और आपने उसको सुविधा दे दी ।

इसके आगे क्या होता है कि वह कम्पनी हर तरह से जो प्रगति के अन्दर आड़े आये हुई थी, अजमेर सरकार ने अगर कोई क्रेडिट का काम किया है तो पॉवर हाउस जनता की मांग की वजह से लेना सोचा था उसके लिए ६० लाख रुपया रखा गया वह बचत हुई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस कम्पनी के साथ क्यों कम्प्रोमाइज़ किया इस पर प्रकाश डालना जरूरी है । इस पॉवर हाउस के साथ जिन सूरतों में राजीनामा किया है वह जनता को मालूम होना चाहिये । इसके साथ ही साथ जनता को यह भी मालूम होना चाहिये कि यह जो टैक्स लगाया जा रहा है, क्यों लग रहा है । यह भी सुनने में आया है कि जयपुर जैसे शहर में इस आठ आने पर नहीं लगेगा । यहां राज्य का बिजलीघर है, आठ आने से कम नहीं चल सकता इस तरह से शहर जयपुर को बचाया गया । जयपुर में इलेक्ट्रिक पर युनिट पर जो तीन पैसा कर लगाया है वह जयपुर के लोगों से वसूल नहीं होनेवाला है । यहां पर पॉवर हाउस जनता को सस्ती बिजली देने में फेल रहा है । दूसरी जगहों पर जहां पॉवर हाउस चल रहे हैं जहां छः आना युनिट, ६।। आना युनिट प्राप्त कर रहे हैं, सस्ती बिजली दे रहे हैं वहां प्रीमियम लगाने को कोशिश नहीं की गई है । जैसा कि मुझे मालूम है कि जयपुर की जो इतनी बड़ी आबादी है वहां सबसे ज्यादा फायदा जयपुर के लोगों को मिल रहा है । जयपुर की जनता की टैक्स पेइंग केपेसिटी भी ज्यादा है, वे ज्यादा पे कर सकते हैं । यहां पर सिर्फ आठ आना ही रेट रखी गई वह किसी भी तरह से उचित नहीं है । जयपुर को कॉन्ट्रिब्यूट करना चाहिये । जयपुर के लिये आठ आना लिमिट रखना गलत होगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अजमेर को छोड़ कर और कोई शहर बताइये जहा जयपुर से ज्यादा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको तो सी० आई० डीज़-से सूचना मिल जाती है; मेरे पास ऐसी मशीन नहीं है । इस पहलू पर विचार करना जरूरी है ।

आपने हटून्डी के लिये योजना बतायी है । हटून्डी हमारे अजमेर का रोम है, जैसे all roads lead to Rome । इस तरह से वह हमारा रोम है । इसके नाम पैसे पड़े हुए हैं । लेकिन जहां हटून्डी के इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है वह किससे करवाया जा रहा है, उसी कम्पनी से । यह कम्पनी अब अजमेर को छोड़ कर रूरल एरिया में बढ़ती चली जा रही है । जहां तक सरकार का ताल्लुक है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो इसके मार्फत करवाना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं इसके बारे में भी रोशनी डालना जरूरी है ।

नसीराबाद २५ हजार का टाउन है । जहां पर इलेक्ट्रिसिटी और पॉवर का नाम नहीं । बिजली जलाने के लिये मुहैया नहीं होती है, घंटे घंटे भर में अन्धेरा छा जाता है । आपकी तरफ से उस पर भी गौर करना जरूरी है ।

इसके बाद एक बात और सोचनी है, जिसके लिये प्रोविज़न किया गया है । देखा यह गया है कि गांवों के ऊपर से तार जा रहे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हैं और वे बड़े बड़े शहरों को जा रहे हैं। क्योंकि शहरों में बिजली नहीं मिलती है तो बरगलाहट होना जरूरी है लेकिन जिस गांव के ऊपर से तार निकल जाय और उस बिजली से गांव वाले महरूम रह जायं तो यह उचित नहीं है। उन गांवों को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। इसके लिये कोई भी हुकूमत हो स्कीम आपको अवश्य बनानी चाहिये।

सर्विसेज़ की भी बात उठी। मेरे पूर्व वक्ता ने सर्विसेज़ के बारे में काफी बातें रखीं। सर्विसेज़ का मसला इस तरह का है कि जो बोर्ड में जाने से पहले गवर्नमेंट सर्विसेज़ में थे उनकी सर्विस कन्डीशन्स अलग थीं और उसके बाद अलग हो गईं। वे जब वहां लिये गये उसके बारे में वे खुद तय करने वाले नहीं थे उनको स्टेच्यूटरी बोर्ड के सुपुर्द कर दिया। गवर्नमेन्ट सर्विसेज़ में जब वे थे उनके साथ वे सब कानून लागू होते थे; वे जब उधर ले लिये गये उनके साथ सब कानून लागू थे, जो सुविधा सरकारी अधिकारी को है वह सब उनको उपलब्ध थी। जब उनको दिया गया तो उनसे पूछना आवश्यक था। उनको पर्याय देते कि आप कौनसी सर्विसेज़ में रहना चाहते हैं। आज तक उनसे पर्याय नहीं मांगी। आज यदि उनको वापिस सरकारी सर्विस में आना होता है तो उनकी सर्विस में वे दिन शामिल नहीं होते जो उन्होंने विद्युत मंडल में सेवा की है। इससे उनके सामने केवल विद्युत मंडल में सेवा करने के और कोई चारा नहीं। होना तो यह चाहिये कि जिस वक्त वे सरकारी नौकरी में आये उनके साथ जिस प्रकार की कन्डीशन थी, जिस प्रकार के उनके प्रोस्पेक्टस थे उनमें किसी प्रकार की चेन्ज नहीं होनी चाहिये। डेपूटेशन पर जो लोग हों तो उनको डेपूटेशन अलाउन्स मिलना चाहिये। आज हो यह रहा है कि उनकी सर्विस कान्टिन्युटी टूट रही है। सरकार में उनको तरक्कियां नहीं मिलतीं, क्योंकि विद्युत मंडल में जितनी सर्विस होती हैं उनको निकाल देते हैं। इस तरह से जो तरक्कियां यहां मिलनी चाहिये वे नहीं मिल पातीं इससे वे महरूम रह जाते हैं। इस तरह से एक प्रकार से गलतफहमी हो रही है। इसलिये जब तक फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और ए० जी० मिल कर रेगुलराइज़ नहीं करते, दिक्कत है वहां के अधिकारियों के सामने और मातहत लोगों के सामने। इसके लिये हड़ताल या दूसरी तरह के जो कदम उठाये जाते हैं। मैं समझता हूं इस जनतंत्री युग में वे सब गलत हैं। इसको मैं उलझानेवाली बात मानता हूं। ये उलझनें किन वजूहात से होती हैं इस पर गौर करना चाहिये। एसेन्शियल सर्विसेज़ हैं उनमें किसी प्रकार की रुकावट डालना हमारे लिये और राजस्थान के लिये, सब के लिये खतरनाक है। इसके लिये सरकार की जिम्मेदारी होती है, वह उनके आर्थिक मामलों को न उलझाये उनकी जो आवश्यक मांगे हैं, उनके जो आवश्यक सवाल हैं उनको तय करना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जो अनिश्चितता सर्विसेज़ में है उसको खत्म करके निश्चितता का मौका देंगे। आज तक उनको इस तरह का मौका नहीं मिला।

फिर अब मैं आपको इसके बारे में बधाई देना चाहता हूँ कि हम अब मोर्चे से दर मोर्चे फतह की तरफ चल रहे हैं। इससे असन्तोष है उनको, यह उनका हक है। यह जरूरी भी है जिससे हम और तेजी से और भी आगे बढ़ सकें। इस असन्तोष का तो हम स्वागत करते हैं।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जो प्रगति आपका विभाग कर रहा है और जिस तरह से आपने ७५ हजार किलोवाट बिजली के लिए तीसरी योजना के अन्त में करने की आशाएं दिलाई हैं उससे मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारा भविष्य उज्जवल है । राजस्थान को और उसके व्यापार को इससे निश्चित रूप से लाभ पहुंचनेवाला है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, बिजली बोर्ड का बजट हमारे सामने है । इस पर मन्त्री महोदय ने प्रारम्भिक भाषण देकर जो भूमिका रखी और जो परिस्थितियों का सिंहावलोकन किया और इस प्रकार जो एक नई परम्परा रखी इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, पर साथ ही मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में जो बातें कहीं, मैं मानता हूं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से काफी प्रयत्न उसके लिये किया जा रहा है पर मैं इन प्रयत्नों को चार पहलुओं पर कस कर देखना चाहता हूँ ।

एक तो यह कि इस विकास में जो लोग सहयोग देते हैं मजदूर या दूसरा कर्मचारीवर्ग—उसकी क्या स्थिति है । दूसरा जो कन्ज्यूमर्स हैं उनकी क्या स्थिति है । तीसरा वह वर्ग जो इस कार्य के संचालन में योग देते हैं यानी ऑफिशियल वर्ग जो देखरेख करता है । चौथा दृष्टिकोण है हमारे राज्य के विकास का । इन चार दृष्टिकोणों से मैं इस प्रश्न पर सोचता हूं ।

हमारी सरकार इन दृष्टिकोणों से कहां तक सफल हुई है, इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आज जो बिजली का विकास हो रहा है वह तीन तरह से हो रहा है । एक तो चम्बल प्रोजेक्ट से, दूसरा भाखरा प्रोजेक्ट से और तीसरा थर्मल प्लान प्रोजेक्टों से ।

अब भाखरा के सम्बन्ध में यह सरकार कहां तक कामयाब हुई, कितनी बिजली उसमें पैदा हुई, कितना शेयर आपका था, उसमें से आपने अब तक कितना लिया, कितना नहीं लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, कितना हिस्सा उसमें से दूसरों को मिलने वाला था और उन्होंने कितना लिया, इस प्रश्न के उत्तर पर ही मैं समझ लूंगा कि सरकार ने कितनी कामयाबी हासिल की, कितनी नहीं की । राजस्थान सरकार कामयाबी का दावा करती है; पर मैं इसके उत्तर पर से ही सब समझ लूंगा । पर जहां तक मेरे पास आंकड़े हैं उन से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाब सरकार ने, जिसका इसमें रुपया लगा है, तो अपना पूरा हिस्सा ले लिया, पर राजस्थान सरकार ने जिसका भी रुपया इसमें लगा है, और जिसका ब्याज भी उसको देना पड़ रहा है, अपने हिस्से की बिजली वह ले नहीं पाई, आधी भी बिजली नहीं ले पाई । इसका कौन जिम्मेदार और जवाबदार है ? मैं तो कहता हूं इसका अगर कोई जवाबदार और जिम्मेदार है तो सरकार का यही बोर्ड है; कारण वे इधर उधर का कुछ भी बता सकते हैं । जैसे बताया कि स्टील का कारण है । पर बजट में कुछ और ही कारण बताया कि मेटीरियल नहीं मिलने की वजह से और कई दूसरे कारणों से नहीं ले पाये । इस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेन्ट में काफी अफसर हैं,

(श्री मुरलीधर व्यास)

काफी लम्बा चौडा स्टाफ है और उनका खर्चा भी लाखों पर है—दो लाख रुपया है और यह खर्चा सारा इसलिये किया जाता है कि वह मैटीरियल को प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश करें। अब अगर उसने इसका मेटीरियल प्राप्त करने की कोई कोशिश की हो तो वह इसका प्रमाण प्रस्तुत करे कि हमने तो इतनी कोशिश की और समय के अन्दर की, पर इन कारणों से और इन प्रमाणों से सफल नहीं हो सके। यह वस्तु-स्थिति है कि उसने कुछ प्रयत्न नहीं किया। डिपार्टमेंट के पास पैसा है, सारा स्टाफ है, अफसर लगाये गये हैं, इसी काम के वास्ते। पर इतना करने के बाद भी अगर काम नहीं होता है तो सरकार कहां तक कामयाब हुई है, यह स्पष्ट है। इधर हमें बिजली के अभाव में नुकसान हो रहा है, उधर रकम पर हमें ब्याज देना पड़ रहा है और इधर यह विभाग है कि कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। तो यह सारा दोष और इसकी सारी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो इसी बोर्ड की है।

दूसरा मामला चम्बल का है। गांधी-सागर से जो बिजली तैयार की है उसमें भी हम और मध्यप्रदेश शामिल हैं। मध्यप्रदेश ने तो अपने हिस्से की पचास प्रतिशत बिजली ५६ से ले ली है, पर राजस्थान की जनता को नहीं मिली; बहुत थोड़ी हम ले पाये हैं। आज जो बिजली जेनरेट होती है और उसमें जो हिस्सा हमारा है वह हम नहीं ले पाते। क्यों नहीं? पैसा हमारा लग गया, दूसरे ले रहे हैं, हम नहीं ले पाते, कौन जिम्मेदार है इसके लिये? यह बोर्ड ही इसका जिम्मेदार हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो जहां एक काम का सवाल है, काम करते नहीं, बहाने पचासों बता दिये जाते हैं इधर-उधर के; इससे काम नहीं चलने का। एक कारण बताया ट्रान्सपोर्ट की असुविधा का। मैं निवेदन कर दूं कि इस विभाग को सिर्फ ट्रान्सपोर्ट के साधनों के लिये एक करोड़ रुपया दिया हुआ है जो जीपों, पिकअपों और ट्रकों में लगा हुआ है। इसके बावजूद भी अगर एक चीज समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाती तो इसमें दोष किसका है? आप कारण बताते हैं कि ट्रान्स-पोर्ट की असुविधा के कारण नहीं कर पाये। तो यह कोई उत्तर नहीं है। आखिर कोई ग्राउन्ड होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह के बहाने लेकर इस मामले को इस तरह से नहीं टालें। आप अपनी तुलना करें कि दूसरे सब कामयाब हो गये, अपने अपने हिस्से की बिजली लेने के लिये और आप क्यों, किस कारण से नाकामयाब रहे? आपके पास इसके कोई अच्छे प्रमाण हों तो दें।

ठीक है, हमारे सामने राजस्थान के विकास में बिजली का बहुत बड़ा स्थान है और इसकी मांग भी बहुत बड़ी है, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया। इतनी बड़ी आवश्यकता के बावजूद भी जो डिपार्टमेंट काम करनेवाला है वह इतना अधिक ढीला है कि हमें इस ओर काफी ध्यान देना होगा। जिस मुस्तैदी से चलना चाहिये उस मुस्तैदी से यह विभाग नहीं चल रहा है। उसके कारनामों को और काम करने की रफ्तार

(श्री मुरलीधर व्यास)

को देखते हैं तो आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य नजर आता है।

तीसरी बात १५० गांवों को दूसरी योजना में बिजली देने का प्रावधान था। इसमें से आप पचास गांवों में भी बिजली पहुंचा पायें या नहीं, यह भी डाउटफुल है। मैं तो जहां तक आपके आंकड़ों पर से निष्कर्ष निकालता हूं तो पाता हूं कि आप इन पचास-साठ गांवों में पहुंचाने की बात जो करते हैं उसमें भी पूरे कामयाब हुए हैं या नहीं? मैं दो गांवों की बात कहता हूं, जो बीकानेर के पास के हैं और जो आपके शिड्यूल में थे। वे गांव हैं सिंथल और ऊदासर। सिंथल गांव नापासर से एक मील दूरी पर है। नापासर में बिजली का पोल लगा है। आपको सिर्फ एक मील की दूरी पर बिजली देनी थी। आपके पचास गांवों में वह भी आता है ! वहां पर भी अभी आप बिजली नहीं दे सके हैं—तो अन्दाज लगाइये कि आप दूसरे गांवों में किस तरह दे पाये होंगे। एक मील की दूरी है, केवल चार खम्भे लगाने हैं। तो वह भी नहीं लगा पाये तो अन्दाज लगा सकते हैं कि आप इस मामले में कितने तेज हैं। बहुत दूरी तक पहुंचाने में तो मालूम नहीं आपको कितनी मुश्किल आती होगी।

जिस तरह हमारी केन्द्रीय सरकार ने पांच हजार गांवों को बिजली देने का प्रावधान अपनी प्लान में रखा उसी तरह राजस्थान ने भी बहुत लम्बा प्रावधान रखा है। पर ये बड़ी बड़ी बातें कहने और रखने से मतलब नहीं। आप अगर गांववालों को बिजली पहुंचाना चाहते हैं तो इस विभाग के कार्य संचालन में आपको बहुत परिवर्तन करना होगा, इसे चुस्त बनाना होगा। सुजानदेसर गांववालों ने योजना दी कि बिजली वहां पर मौजूद है उससे हमें बिजली दे दी जाय, पर वह अलग विभाग है वाटर वर्क्स का। कुएं में पोइन्ट लगाने का सवाल था। प्लान दे दिया, परन्तु वहां से पोल लगा कर उसमें बिजली देने की व्यवस्था नहीं हो पाई।

तो मैं यह बात कह रहा हूं कि गांवों के सम्बन्ध में बात आप बहुत कहते हैं, पर उसमें भी पूरे नाकामयाब रहे।

(११.० म.पू.)

यह ठीक बात है कि हमारा उद्देश्य औद्योगिक दृष्टि से उद्योगों को बिजली पहुंचाना है और उसमें कहां तक हम कामयाब हुए हैं, उसका मंत्री महोदय जवाब देंगे, क्योंकि जो बजट का हिसाब-किताब आया है, मैं घाटे के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि विकास के युग में जबकि बिजली की इतनी आवश्यकता है तो वहां घाटा हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं और जब बिजली आ जाती है तो हर साल का बजट घाटे का आ सकता है। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि उस घाटे का क्या कारण है ? आपने बताया कि ३६ लाख का जो मुनाफा हुआ उसमें करीब १२ लाख रुपया और दूसरा ६ लाख रुपया सरकार की ओर से उद्योगों में बिजली देने के कारण और उससे जो नुकसान हुआ है वह भी मुनाफे में है। आश्चर्य की बात यह है कि सरकार उद्योगों में बिजली देती है, उसका लाभ सरकार को मिलता है वह भी इसमें जोड़ा गया है ! अगर यह १२ लाख नहीं जोड़ते तो ३६ लाख का

(श्री मुरलीधर व्यास)

मुनाफा नहीं होता, क्योंकि सरकार ने बिजली देकर उनको फायदा दिया है वह भी इसमें जोड़ा है। जब हम उद्योगों को बिजली देते हैं तो हमें कन्ज़्यूमर्स पोइन्ट ऑफ व्यू से भी सोचना है। आज ४ न० पै० भाखरा से और यहां से बिजली के जेनरेट होने की लागत आती है। तो आपके जेनरेट होने में ४ न० पै० लगे और आप ८ आने यानी ५० न० पै० ज्यादा से ज्यादा वसूल करें यानी १२ गुना मुनाफे की छूट रखने के बावजूद भी आपको जब घाटा है; अगर आप जनता को सस्ती बिजली दें और फिर उसके बाद में घाटा बतायें तो ठीक बात है, पर ४ न० पै० आपके बिजली पैदा करने पर खर्च लगें वहां पर ५० न० पै० जनता से वसूल करें और उसके बावजूद भी आपके पास में घाटे की परिस्थिति पैदा हो तो यह आश्चर्य की बात है। इसका कारण आप बताना चाहते हैं कि थर्मल प्लान्ट से बिजली पैदा करने में ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दोनों मिला कर एक यूनिट पर कितना खर्च होता है, यह बजट में आना चाहिए। आखिर यह एक व्यवसायिक कन्सर्न है तो उसकी कोस्ट भी निकालनी चाहिए और वह कोस्ट आनी चाहिए कि राजस्थान के अन्दर प्रति यूनिट कितना खर्च आता है। जहां तक पानी से बिजली पैदा करने का सवाल है यह कोस्ट आनी चाहिए। यह जो आप ५० न० पै० लेते हैं और उसके बाद में भी घाटा नजर आता है तो परिस्थिति कुछ और ही नजर आती है। इसके बारे में भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मंत्री महोदय ने पिछली बार भी यह आश्वासन दिया था कि बिजली की रेट्स नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, वह अलग बात है। आपने ३ न० पै० अभी हाल ही में बढा दिये और आगे भी बढा सकते हैं; लेकिन आपको सदन के सामने दिये हुए आश्वासन का ख्याल रखना चाहिए और बिजली की रेट्स दिनों दिन घटनी चाहिए। जब आपको दूसरे लोगों को भी बिजली देनी है; आम छोटे-मोटे उद्योगों को बिजली देनी है, जनता को बिजली देनी है तो वह इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। वह कम से कम सस्ती होनी चाहिए। इस ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पलाना के सम्बन्ध में जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा मैं थोड़े से ही समय में समाप्त कर रहा हूं। यह मेरे क्षेत्र की बात है। पलाना के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कहा कि वहां पर ५०-५० के दो मेगावाट के प्लान्ट को लगाना चाहते हैं ताकि वहां पर बिजली उपलब्ध हो सके। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने यह कहा। इसके पहले भी तीसरी योजना में इसका प्रावधान रखा गया था लेकिन बाद में यह परिवर्तन हुआ कि प्लान्ट हमारे वहां से वहां भेज दिए गए और वह काम यहां नहीं हो पाया। मैं इसके सम्बन्ध में दो, तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी जो थर्मल प्लान्ट लगाने की योजना है उसकी प्रति यूनिट बिजली कैसे सस्ती हो सकती है, उसके ऊपर जरूर सोचना है और उसमें पलाना का लिगनाइट और इसके साथ ही साथ प्लान्ट का, दोनों का सम्बन्ध है और हमको ओपन कास्ट माइनिंग के साथ मिल कर डिपार्टमेंट को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ऐसा करने से इसका कोयला भी इस्तेमाल हो सकता है और उससे बिजली भी उपलब्ध हो सकती है। इसके बारे

(श्री मुरलीधर व्यास)

में केन्द्रीय सरकार से भी पार्लियामेन्ट में सवाल पूछा गया था और १९५९ में एक कमेटी बनाई थी और उसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी ने जांच भी की थी और उसने कहा है कि आर्थिक हालत और टेक्निकल पोइन्ट ऑफ व्यू से. दोनों दृष्टिकोणों से, कामयाबी हो सकती है यानी वह पलाना की खान का उसमें यह उदाहरण भी दिया गया था कि राजस्थान नहर को भी लिगनाइट वगैरह देकर ईंटें वगैरह बनाने में सहयोग दे सकते हैं और ओपन कास्ट माइनिंग करके कोयले का इस्तेमाल थर्मल प्लान्ट लगा कर आम जनता के लिये कर सकते हैं ताकि बिजली सस्ती हो सके। उसमें पानी की दिक्कत बताई है ! उसके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि पानी कोलायत का आ सकता है। देशनोक का पानी भी मीठा है, खारा नहीं है; सोफ्ट वाटर है, अच्छा पानी है ! अगर इस प्रकार की योजना बनाते हैं तो ३।। करोड़ जो सतपुड़ा की तरफ लगा दिए अगर दोनों साथ मिल कर काम करते तो थोड़े ही खर्चे में काम हो जाता और राजस्थान का भी भला होता और पलाना के जरिये जो नागोर आदि, और जोधपुर आदि में भी बिजली लाई जा सकती है; क्योंकि जैसा आपने कहा कि बिजली की मांग आगे बहुत ज्यादा है इसलिए पलाना के लिगनाइट को यूज़ नहीं किया तो हर हालत में प्लान्ट कहीं भी लगायें तो उससे बिजली मंहगी होगी और आम लोगों को नुकसान होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पर मंत्री महोदय गहराई से सोच और एक कमेटी बना कर इसको प्लानिंग के अन्तर्गत ले। थर्ड फाइव ईयर प्लान में तो मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा लाभ मिलेगा।

अब दो शब्द मैं कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। सुविधायें उनको मिलनी चाहिए। बहुत से कर्मचारी यहां आते हैं,उनके लिए ठहरने का प्रबन्ध नहीं है। उनके लिए कम से कम ऐसा प्रबन्ध तो होना चाहिए कि बाहर से आने जाने वाले कर्मचारियों के लिए स्थान बना सकें कि जहां वे ठहर सकें। दूसरे, हाउस लोन और साइकल लोन उनको मिलना चाहिए। जो हाउस लोन की स्कीम है इसके अन्तर्गत ऐसा इन्तजाम होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को लोन मिल सके और गांवों में बिजली पहुँचाने की योजना है उसमें साइकल लोन भी मिलना चाहिए कि, चलो भाई ! तुम साइकल लेलो। बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसानी के साथ उनको लोन दिया जा सकता है। तो यह भी प्रावधान होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो छोटे कर्मचारी हैं, जो नीचे से उठते हैं अच्छे फिटर होते हैं, मैकेनिक होते हैं उनको प्रोत्साहन का मौका नहीं मिलता है। जयपुर के अन्दर एक इन्स्टीट्यूट था जो कि टैक्निकल शिक्षा देता था वह आपने बन्द कर दिया तो उसको भी आपको जारी रखना चाहिए, ताकि अच्छे कर्मचारी वहां से शिक्षा प्राप्त कर सकें; आगे आप उनको बढ़ा सकें उनको असिस्टेन्ट इन्जीनियर का चान्स दे सकें। भाखरा के अन्दर जो अमेरिकन है वह तो चार क्लास पढ़ा है लेकिन वह इन्जीनियर है और उसने बड़ा भारी प्लान्ट लगा दिया। तो आपको छोटे कर्मचारियों को विकास के मौके देने चाहिये ताकि मजदूर भी आगे बढ़ सकें। आखिर यह तो टेक्निकल एजूकेशन है, अगर किसी ने प्राप्त कर ली है

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो उसको प्रशिक्षित करके आपको मौका देना चाहिए। जहां तक दूसरी बातें कर्मचारियों के सम्बन्ध में कही गयी हैं मैं उनके सम्बन्ध में एक बात जरूर चाहता हूं कि जैसे यहां पर कर्मचारी हैं मैंने उनके रहने का स्थान देखा तो टिन शीट्स का बना हुआ है और इसी गर्मी में कोई भी वहां पर चला जाये काम नहीं कर सकता है। लाख रुपया रखा हुआ है लेकिन जो बिल्डिंग बननी चाहिये वह रुपया बराबर लैप्स होता जा रहा है और उसको बना नहीं पाते हैं। तो जो कर्मचारी आपके यहां काम करें और वह भी टिन शीटस के अन्दर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वे कम्प्लेन्ट करते हैं तो उनको दुत्कार दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, यहीं काम करना पड़ेगा। तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और जो कर्मचारियों की दूसरी डिमाण्ड्स हैं उनके बारे में अन्य सदस्यों ने कहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को उनके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक पर सदन में बहस चल रही है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कोऑपरेटिव बेसिस पर पॉवर हाउस की स्कीम सदन के सामने रखने की घोषणा की है वह बहुत सराहनीय स्कीम है। इसके साथ ही साथ सभापति महोदय, जो विद्युत् मण्डल के संबंध में १९६२–६३ का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि जहां तक इस बजट का सवाल है इस बजट में नहीं दिखाया गया है; लेकिन सभापति महोदय, हमारी जो विद्युत मण्डल की कार्य प्रणाली है और जिस भावना से इसे बनाया गया है उस भावना की पूर्ति विद्युत मण्डल ने नहीं दिखाई अब तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से और इस बोर्ड को जहां तक बनाने का ख्याल है, इस ख्याल से बनाया गया था कि यह एक व्यवसायिक कन्सर्न के रूप में काम करेगा और व्यवसायिक कन्सर्न के रूप में प्रगति दिखलायेगा। लेकिन जहां तक बोर्ड के कर्मचारियों का सवाल है, प्रशासन का सवाल है, आज तक यह उसी रूप से काम कर रहा है, जैसा सरकारी विभागों में किया जाता है, सरकार के कर्मचारी ही बोर्ड के कर्मचारी हैं। उनके काम करने के तरीके में अब तक ऐसा परिवर्तन नहीं आया कि मानों वे एक व्यवसायिक कन्सर्न के नाते काम कर रहे हों। उनका यही तरीका है, जैसा कि विभागों में काम करने का तरीका है। मैं सबसे पहले मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विद्युत मंडल एक व्यवसायिक कन्सर्न है और व्यवसायिक कन्सर्न होने के कारण सर्विसेज़ का एटीट्युड उसी ढंग का होना चाहिये, पब्लिक के साथ उनका व्यवहार इस ढंग का होना चाहिये कि वे व्यवसायिक कन्सर्न की तरह से काम कर रहे हों।

अब मैं बोर्ड की त्रुटियों की ओर इंगित करना चाहता हूं। इस बोर्ड को बने ४ साल हो गये और हमारे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, १९५८ के अन्तर्गत सदन को अधिकार है सेक्शन ५९ के अन्दर में कि बोर्ड का प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट ड्यूली ऑडिटेड बाई दी कंट्रोलर एण्ड ऑडिटर

(श्री भीमसेन)

जनरल सदन में पेश होना चाहिये । लेकिन चार साल हो गये विद्युत मण्डल का प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट ड्यूली ऑडिटेड बाई कन्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इन्डिया सदन में पेश होना चाहिये था वह पेश नहीं हुआ । चार साल हो गये उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन सब के अभाव की सूरत में हम यह अन्दाज नहीं लगा सकते हैं कि बोर्ड की फाइनेन्शियल स्थिति क्या है, उसके एसेट्स क्या हैं, उसकी लाएबिलिटीज़ क्या है ? इसका कोई अन्दाजा नहीं लगा सकते । सवाल यह है कि अब तक मंडल का जो चालू खर्चा है, चालू स्कीम्स हैं उनको कन्सोलिडेट करके हमारे सामने एन्युअल अकाउन्ट पेश किया जाता है । जब तक ऑडिटेड अकाउन्ट प्रोफिट एण्ड लोस का और एसेट्स एण्ड लाएबिलिटीज़ सदन में पेश नहीं की जातीं, जिसका सदन को अधिकार है , तब तक हम विद्युत मंडल के बारे में राय जाहिर नहीं कर सकते ।

और भी सभापति महोदय, इस विद्युत मंडल का जो प्रशासनिक ढांचा है या जो प्रशासन है उसमें बहुत सी कमियां हैं । हमारे एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि हमारी एक कंसल्टेटिव कमेटी हो और उस कमेटी के सामने फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट पेश किया जाता है या सरकार के सामने पेश किया जाता है तो पहले इस कन्सल्टेटिव कमेटी के सामने स्क्रीन होकर आना चाहिये । लेकिन जो कमेटी बनी है उसके सामने पेश नहीं किया गया; और भी जो त्रुटियां हैं उनकी तरफ बोर्ड ध्यान नहीं दे रहा है ।

इसके अलावा यह भी अधिकार है कि हर स्थान पर लोकल एडवाइज़री कमेटीज़ होनी चाहिये । हमें ध्यान नहीं है कि राजस्थान में एक भी ऐसी एडवाइज़री कमेटी बनाई गई है बोर्ड को सलाह देने के लिये और कन्ज्यूमर्स की डिफिकल्टीज़ सोल्व करने के लिये, राय देने के लिये । तो इसके लिये कदम उठाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि डेप्रिसियेशन रिज़र्व फंड होता है । इसमें नाम मात्र का दिया गया है, १॥ लाख रुपये रखे गये हैं । लेकिन जब तक एसेट्स कितने हैं, उनको देखते हुए नहीं रखा जाय, जैसा कि एक्ट में प्रोविज़न है ६० परसेन्ट लागत है, उसके हिसाब से डेफिशियेन्सी रिज़र्व होनी चाहिये । नाम का ज़रूर दिखाया है लेकिन असली वेल्युएशन करके जिस तरह से दिखाया जाना चाहिये उस तरह से नहीं दिखाया गया है; वह भी अकाउन्ट में पेश नहीं किया गया है । इसके अभाव में यह नहीं जाना जा सकता है कि इस बोर्ड की फाइनेन्शियल स्थिति क्या है ।

इसके साथ साथ हमारे बोर्ड के जो आउटस्टेन्डिंग हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया कि बोर्ड का इस बारे में कर्तव्य अधूरा है । उसको इस संबंध में तुरन्त कदम उठाने चाहिये । लाखों रुपयों की आउटस्टेन्डिंग हैं, उसकी रिकवरी पूरी नहीं होती है। तो संबंधित व्यक्ति या लोकल ऑथोरिटीज़ के खिलाफ कदम उठाने का उसको जो अधिकार है वे काम में लावें ।

इसके अलावा सभापति महोदय, इस बोर्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि भाखरा से पॉवर बोर्ड को जिस रेट से बिजली

(श्री भीमसेन)

मिलती है और इतना अधिक प्रोफिट या लाभ उसमें करने के बावजूद भी बोर्ड घाटे में जा रहा है, यह सोचनीय स्थिति है । हमारे बीकानेर स्टेट के टाइम में या डिपार्टमेंट के टाइम में टेम्पोरेरी कनेक्शन से आठ आने पर यूनिट चार्ज करते थे वह भी चला आ रहा है और उनसे बोर्ड एक तरह से नाजायज़ लाभ प्राप्त कर रहा है, जब कि काफी पुराने टेम्पोरेरी कनेक्शन्स हैं और उनके पास बिजली है; तो क्यों नहीं उन कनेक्शन्स को परमानेन्ट कर दिया जाय ? इस तरह के जो हजारों टेम्पोरेरी कनेक्शन्स हैं उनको तुरन्त परमानेन्ट करना चाहिये । इससे जो २ आना फी यूनिट अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं वह न हो और भोक्ताओं को जो नुकसान होता है वह न हो ।

दूसरी सबसे बड़ी हमारे इलाके में जिप्सम की खान है, उसके लिए सरकार ने घोषणा की थी कि सन् ५६ तक वहां बिजली पहुंचा देंगे; लेकिन अब सन् ६२ चल रहा है और वह बीकानेर से १२-१३ मील की दूरी पर है, लेकिन वहां तक सरकार या बोर्ड बिजली नहीं पहुंचा पाये हैं । इन माइन्स को बिजली के अभाव में बहुत दिक्कत होती है इसलिये वहां बिजली पहुंचाने की ओर तुरन्त कदम उठाना चाहिये ।

दूसरे, बीकानेर शहर के आसपास ऊदासर, रिड़मलसर, नाल बड़ी, करणीसर आदि गांव हैं उनमें कुओं तक बिजली पहुंच चुकी है स्टेट के टाइम में ही । अब वहां पर लोग मांग करते हैं कि उनके घरों तक बिजली दी जाय । तो मैं सरकार का ध्यान और विद्युत मंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बीकानेर शहर के आसपास जो ये गांव हैं उनमें लोगों की डिमान्ड को पूरा करें ।

मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ट्रान्स-मिशन लाइन के बीच के गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना बनाई है । २५ परसेन्ट लोन लेकर पहुंचाना चाहते हैं तो यह सरकार का सराहनीय कदम है । जिनको जरूरत है, जो आवश्यकता महसूस करते हैं वे अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बोर्ड के प्रशासनिक आउट-लुक में परिवर्तन करना चाहिये, प्रशासनिक त्रुटियों की ओर ध्यान देना चाहिये और बोर्ड का प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट, एसेट्स एण्ड लाएबिलिटीज़ हैं उनका प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट ड्यूली ऑडिटेड पेश करना चाहिये, जिससे कि इसकी असली स्थिति क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें ।

हमारे राजस्थान में विद्युत की कमी है और मांग अधिक है । हिन्दुस्तान का पर केपिटा देखें तो राजस्थान में बिजली का कन्ज़म्पशन और जेनरेशन बहुत कम है । दोनों ही मामलों में हम पिछड़े हुए हैं । मन्त्रीजी ने कुछ योजनाएं बताई हैं, जिनके बारे में सरकार कदम उठाना चाहती है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठावे ।

जहां तक पानी का सवाल है मैं समझता हूं कि पलाना में ऐसे वैल्स हैं, जहां पम्प सेट्स लगे हुए हैं और उनमें पानी को कमी हमें

(श्री भीमसेन)

नजर नहीं आती। अब सरकार कैसे कहती है कि पानी की कमी है? जहां तक वहां के लोगों का सवाल है, वहां के कुओं का सवाल आता है, हमें नजर आता है कि पर्याप्त मात्रा में कुओं में पानी है। इसके बावजूद भी बीकानेर शहर में प्रतिदिन ३० लाख गैलन पानी लोगों के लिए मिलता है। बीकानेर के पास पलाना में पानी काफी मात्रा में मिल सकता है, इस ओर सरकार ध्यान देगी। मैं समझता हूं कि पलाना में थर्मल प्लान्ट लगाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय, विद्युत मण्डल का सन् १९६२-६३ का बजट हमारे सामने बहस के लिए पेश है। अच्छा होता कि इस बजट के साथ विद्युत् मंडल के कार्य की रिपोर्ट भी पूरी तरह से इस सदन में पेश की जाती। यद्यपि एक स्केची तौर पर भविष्य के कार्य के बारे में थोड़ी रिपोर्ट देने की कोशिश की है और माननीय मन्त्री महोदय ने उस रिपोर्ट को सप्लीमेन्ट करने का प्रयत्न किया है; परन्तु एक ऐसा मण्डल जो ऑटोनोमस तरीके से काम कर रहा हो और जिसके संचालन के बारे में इस सदन को बार बार बहस करने का अवसर नहीं मिलता, यह बहुत ही उचित होगा कि इस सदन के सामने इस मौके पर, जब साल के आखिर में एक बार वक्त आता है उन तमाम बातों पर गौर करने के लिए, कि डिटेल्ड और पूरी रिपोर्ट विद्युत मंडल की इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाय, ताकि बिजली के साथ साथ किस प्रकार सारा कार्य चले और आगे किस प्रकार उस संचालन की दशा हो, उस पर यह सदन अपनी पूरी राय जाहिर कर सके।

सभापति महोदय, आम तौर पर यह देखा गया है, जब गवर्नर महोदय का अभिभाषण हुआ तब भी, आम बजट पर बहस हुई तब भी और आज यह बजट पेश किया जा रहा है उस समय भी एक बहुत बड़ा सन्तोष सा प्रगट किया जा रहा है कि राजस्थान में जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की उस समय हमारी इन्स्टाल्ड केपेसिटी बहुत थोड़ी थी और अब दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमने अपनी इन्स्टाल्ड केपेसिटी बढ़ाई है; सात हजार, आठ हजार तक हम उसको पहुंचा पाये हैं। परन्तु, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह सोचने का तरीका, हमारा इससे सन्तोष मान लेने का तरीका हमारे इस डिपार्टमेन्ट के लिए एक कॉम्प्लीसेन्स का तरीका है। अगर हम केवल आंकड़े और परसेन्टेज को देखें तो जहां परसेन्टेज के अनुसार कोई काम हो ही नहीं और हो वहां केवल एक, यानी उसमें से एक भी हो जाय तो परसेन्टेज के रूप में बहुत बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर राजस्थान के विकास को और आवश्यकताओं को ध्यान देकर देखें और उन आवश्यकताओं को पूरा करने की कितनी सम्भावनाएं हमारे सामने मौजूद थीं, यह भी भांपने की कोशिश करें और फिर हमने जो टार्गेट फिक्स किये थे उनको किस हद तक पूरा कर पाये हैं, इस दृष्टिकोण से देखें, इस दृष्टिकोण से देखें कि सारे हिन्दुस्तान में और जगह की जनता किस स्तर पर खड़ी है और हम राजस्थान में कहां तक पहुंच पाये हैं तो सभापति महोदय, हमें यह कहना पड़ेगा, बावजूद हमारी इतनी इन्स्टाल्ड केपेसिटी बढ़ने के, बावजूद फर्म केपेसिटी बढ़ने के, अभी भी जो हमारा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर केपिटा कन्ज़म्प्शन है राजस्थान का, वह सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले में बहुत ही नीचा है। जब कि सारे हिन्दुस्तान का १९५०-५१ में पर केपिटा कन्ज़म्प्शन १४.५ था, जो बढ़ कर दस वर्ष में, दो पंचवर्षीय योजनाओं में ३३.० पर केपिटा हो गया है, वहां पर हमारे राजस्थान में इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में तो बहुत बड़ा अचीवमेन्ट नहीं हुआ, इसको विद्युत मण्डल भी मानता है, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी, जिसमें बहुत बड़ा अचीवमेन्ट क्लेम किया जाता है उसमें भी हमारा पर केपिटा कन्ज़म्पशन ३.९९ से बढ़ कर ५.४७ तक पहुंच पाया है, जबकि ऑल इण्डिया में १९५०-५१ के साढ़े चौदह परसेन्ट से बढ़ कर ३३ तक पहुंच गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सन्तोष मान रहे हैं, हमारा विद्युत मण्डल अपने अचीवमेन्ट के लिए प्रशंसा चाहता है इस सदन से, वह वास्तव में दुरुस्त नहीं है। फिर जो आंकड़ों की उलझन है, फर्म केपेसिटी आपने दिखा दी कि हमारी फर्म केपेसिटी ६४,८३० किलोवाट पर पहुंच गई है, आपने दिखा दी कि हाइडल और फर्म केपेसिटी भाखरा से १६,४३७ पहुंच गई है, चम्बल से २० हजार किलोवाट पहुंच गई है, लेकिन वास्तव में आप ले कितनी रहे हैं, केपेसिटी पहुंच जाना अलग बात है?

अभी माननीय मन्त्री ने खुद बताया कि भाखरा से हम केवल पांच हजार किलोवाट ही ले पा रहे हैं और इधर चम्बल से, वह शायद उन्होंने बताया नहीं, मेरे ख्याल से पड़ता है कि चम्बल से हम सात हजार किलोवाट बिजली कन्ज़्यूम कर पा रहे हैं। तो हमारी फर्म केपेसिटी इतनी हाई होते हुए भी हम उसका फ़ुल यूटिलाईज़ेशन नहीं कर रहे हैं। वजह यह बताई गई है कि हमें स्टील नहीं मिली। यह भी दुरुस्त हो सकता है। लेकिन यह भी दुरुस्त है कि मिसमैनेजमेन्ट है, सही तरीके के प्लान नहीं हैं, मोहम्मद तुगलक की तरह प्लान बनाये जाते हैं। खास खास लोगों की, खास खास मिनिस्टरों की, क्योंकि यह इलेक्शन पीरियड था, इलेक्शन में पोलिटिकल पोज़ीशन को बढ़िया बनाने के लिए इनके प्लान्स बनाये जाते हैं, बनाये गये हैं, जिससे चाहे स्टेट एक्सचेकर का कितना भी नुकसान हो, लेकिन इस बात की परवाह न होते हुए कुछ लोगों को खुश करने की नीति अपनाई जाती है, इससे इस विद्युत मण्डल के बजट पर नुकसान होता है, भारी खर्चा हमारे ऊपर पड़ता है लेकिन कोशिश की जाती है कि फलां तारीख तक किसी तरह भी तार डालने चाहिए - चाहे ११ के. वी. की लाइन डालनी हो और वहां तार मौजूद हो ३३ के. वी. का, वही डाल दें और इलेक्शन के बाद में उसको बदल दिया जाय। भले ही खर्चा बढ़ जाय लेकिन काम बताना चाहते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि तिजारा से भूतपूर्व मिनिस्टर साहब लड़नेवाले थे। वहां दस वर्ष तक जनता चिल्लाती रही लेकिन बिजली नहीं आई। लेकिन एन इलेक्शन के टाइम पर वहां लाइन डालने के लिए जल्दी से जल्दी स्टील प्रोक्योर की गई, जिसको बिल्कुल अन-अवेलेबल कहा जाता है, जो सारे राजस्थान के लिए नहीं मिली, हमारे अलवर जिले के लिए और जगह के लिए नहीं मिली; लेकिन जो भूतपूर्व मिनिस्टर थे उनकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में पहुंचाने के लिए स्टील भी मिल गई, वायर भी मिल गया, चाहे वह वायर बदला जाना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हो, क्योंकि वह मौजूद नहीं और जिसके लिए टेक्निकल तरीके से एडवाइस किया गया हो कि यह वायर मत डालो, इसे बदलना पड़ेगा; बावजूद उस टेक्निकल एडवाइस के वह वायर डाल दिया गया और अब दुबारा पब्लिक के खर्च पर उसको बदला जा रहा है।

सभापति महोदय, इसी तरह से मिसाल बताई थी, जयपुर से कोटा को कनेक्ट करने के बारे में। बिजली कोटा से जयपुर आने वाली है लेकिन ट्रान्समिशन लाइन कोटा से जयपुर सवाई माधोपुर होते हुए डाली। इस तरह काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे तो बाद में जो स्टील का उपयोग कर सकते हैं उसका सही उपयोग नहीं होगा। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनकी बढ़िया प्लानिंग की मिसाल बताते हुए कि अलवर में थर्मल पॉवर स्टेशन नया बनाया है, लेकिन अलवर शहर के, वहां के किसानों को कनेक्शन नहीं दिया गया है। लाइन नहीं थी, तार नहीं थे, यह वजह बता दी, लेकिन वहां से रामपुर और और बानसूर में पैंतीस, चालीस मील दूर पर खम्भे डाले गये दो कस्बों तक; एक भूतपूर्व मन्त्री महोदय का खुद का जन्म स्थान है, दूसरा उनकी तहसील का हैडक्वार्टर है, सारे जिले की जनता को टक्कर मार कर। यह प्लान बनाया गया था विद्युत् मण्डल की ओर से कि उस पॉवर स्टेशन के पांच मील के रेडियस में जितने गांव पड़ते हैं उन सब को पॉवर सप्लाई की जायगी लेकिन वह नियमों में रह गया और उन तमाम नियमों को तोड़ कर पच्चीस मील दूर इस तरह लाइन ले गये। बेचारे गरीब किसान रोते रह गये। उनके चनों के खड़े खेतों में व सरसों के लहलहाते हरे-भरे खेतों में सरसों और चनों को काट कर खम्भे लगा दिये। वे गरीब किसान कहते ही रहे कि बिजली दूसरे गांवों में जा रही है और खम्भे हमारे खेतों में लगाये जा रहे हैं, इसलिये हमारे गांवों में बिजली क्यों नहीं देते? उनको यही उत्तर मिलता कि यह मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जा रही है। लेकिन बदकिस्मती यह हुई कि वहां पर बिजली पहुँच नहीं सकी, आपस की कुश्ती हुई। उसका नतीजा था कि आखिर वहां पर बिजली पहुंच नहीं पाई। आपने एक तारीख निश्चित कर दी थी कि अगर बिजली २६ जनवरी को जला कर दिखा दें तो आप हमको वोट देना; मगर हुआ यह कि वे वहां पर २६ जनवरी को लट्टू जला कर नहीं दिखा सके। यह हुआ क्यों इसमें काफी आपकी पोलिटिकल बातें हैं। लेकिन यह बात सही है कि जिस तरह का प्लानिंग आपने किया वह किसी भी रीजनेबल आदमी को जो जनता का हित ध्यान में रखता है उसको कभी भी पसन्द नहीं आएगा कि इस तरह से पब्लिक के धन का दुरुपयोग किया जावे।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह बिजली राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की योजना बनाई गई है उसका आधार भी न्यायपूर्ण नहीं है। आपकी सारी स्कीम को तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा चम्बल का, दूसरा भाखरा का और तीसरा हिस्सा आपने जोधपुर का बनाया। चम्बल के जरिये आपने उदयपुर, कोटा डिविज़न और अजमेर डिविन को बिजली देने का इरादा जाहिर किया है। भाखरा के जरिये आपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बीकानेर, अजमेर डिविजन के झुंझुनू और सीकर इलाके को लिया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सारे क्षेत्रों में सारी स्कीम में इधर भाखरा और उधर चम्बल स्कीम को इम्प्लीमेन्टेशन करने में अलवर और भरतपुर को सिंगल आउट कर दिया है, छोड़ दिया है। हमारे यहां के लोग आश्चर्य करते हैं कि भाखरा की ज्योग्राफिकल सिचुएशन को देखा जावे तो उसकी वजह से भी अलवर में पहले आ सकती है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने आपको १९५४ में बिजली ऑफर की। जिस समय गडदार जिले में ले जा रहे थे और आपको यह कहा था कि अगर आप ५ हजार किलोवाट कन्ज़्यूम करने की गारन्टी दे सके तो यह बिजली आपको दी जा सकती है। मगर उस समय आपको पांच हजार किलोवाट बिजली कन्ज्यूम करने की कैपेसिटी पर शुबहा था, इसलिये आपने उस समय उसको मंजूर नहीं किया और आज आपने ८० हजार किलोवाट तक कन्ज़्यूम करने के आंकड़े दिये हैं और कहा है कि लोगों की इच्छा बढ़ रही है। लेकिन उस समय आपकी दूरदर्शिता नहीं थी। आप उस समय पब्लिक की इच्छा को नहीं जान सके। अगर आप पब्लिक की इच्छा को नहीं जान सकते, आपका ध्यान नहीं हो सकता कि पब्लिक क्या चाहती है तो इसके लिये आप किसी भी तरह से बधाई के पात्र नहीं हो सकते। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली से वहां पर बिजली नहीं आ सकी और अगर आप उस समय बिजली लेने का इरादा जाहिर करते तो वे लाइन डाल सकते थे। मगर आपने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिये उन्होंने दूसरी लाइन डाली और अलवर को जो बिजली आज से कई अर्से पहले मिलनी चाहिये थी वह मिल नहीं सकी।

हमारे यहां हांसी से राजगढ़ को बिजली गई है। चुरू को बिजली मिलेगी, झुंझुनू और सीकर को मिल गई और वहां से डाइवर्ट होकर नागोर बिजली चली गई, मगर अलवर को नहीं मिली। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अलवर जिले ने क्या अपराध किया है कि आप उधर बिजली लगाने की तरफ ध्यान नहीं देते? चम्बल और गांधीसागर बांध डेम से बिजली मिलने लगे और वहां से भी आपने राजगढ़ से अलवर की स्कीम नहीं रखी! आपने फिर हमारी किस्मत को पोस्टपोन कर दिया। आपने कहा, प्रतापसागर से भरतपुर को बिजली लगाई जावे। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि जो १४ जिले आप चम्बल से फीड करना चाहते थे उसमें से आप १२ जिलों को बिजली दे रहे हैं और दो जिलों को उनके राइट्स से डिप्राइव कर रहे हैं। यह कैसा इन्साफ है? क्या यह इन्साफ की बात है? आप स्पष्ट भूमि में सोचें कि बिजली ही एक ऐसा साधन है जो हमारे यहां इर्रिगेशन के लिये फायदेमन्द हो सकता है। हमारे यहां पर कोई नहर नहीं आ सकती, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। आपने हमारे यहां कोई मेजर डेम नहीं बनाये। इसलिये आपकी जितनी भी केनाल प्रोजेक्ट हैं उनका फायदा नहीं मिल सकता। जिस समय राजस्थान में मर्ज हुए उस समय हमारे यहां २४ प्रतिशत इर्रिगेटेड लैन्ड थी लेकिन आज हम देखते हैं कि वह १२ प्रतिशत रह गई है। हमारे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यहां इर्रिगेशन बिजली के जरिये ही हो सकता है। इसलिये हम इर्रिगेशन में पीछे हैं क्योंकि हमारे यहां बिजली का प्रबन्ध नहीं है। इन्डस्ट्री भी नहीं मिली, है क्योंकि बिजली नहीं है। अगर आप बिजली दे देते तो यह कमी पूरी हो सकती है। आप बिजली नहीं देते; आखिर आप बिजली तो दें नहीं और एग्री-कल्चरल युनिवर्सिटी बनावें और मेडिकल कॉलेजेज़ बनावें तो वहां पर भी बिजली की आवश्यकता तो होती ही है। इसके अलावा जहां पर नहरें हों, इन्डस्ट्रीज़ हों वहां पर वह होना चाहिये।

आपका मतलब यह है कि आप हमें विकास के साधन नहीं देना चाहते। आप यह सोचते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं आ सकता तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं आया और जब तीसरी में नहीं आया तो चौथी में भी नहीं आ सके। जो एक दफा कन्डेम हो गया तो सब जगह से कन्डेम हो गया। यह कोई न्याय पूर्ण तरीका प्लान का नहीं है। यह तरीका राजस्थान के सभी जिलों को एक सी तरक्की के लिये सुचारू रूप से मौका देने का तरीका नहीं कहा जा सकता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप ठंडे दिमाग से इस पर सोचें। यह क्या वजह थी कि गांधी सागर डेम से बिजली आने वाली थी, उसको अलवर की तरफ नहीं रखा, जब वहां पर इर्रिगेशन सफर कर रहा है, इन्डस्ट्री लगा नहीं सकते। वहां पर दो–चार पैसे वाले थे जो इन्डस्ट्री लगाना चाहते थे, मगर जब वहां पर कोई बिजली सस्ती नहीं आई तो उन लोगों ने छोटे–मोटे उद्योग जयपुर में और कुछ लोग बाहर चले गये कहां तक आपका इन्तजार करते कि गांधीसागर (राणाप्रतापसागर) से बिजली आवेगी? यह नहीं होना चाहिये कि अगर एक दफे किसी को स्कीम से काट दिया जावे तो वह दूसरी बार भी कन्डेम हो जाये, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कन्डेम हो जावे, चौथी में भी जैसा कि माननीय मंत्री कहा करते हैं, यह उचित बात नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर में बिजली दे रहे हैं उसे अलवर की तरफ ले जानी चाहिये। यह उनका राइट है जो आपने उनको अभी तक नहीं दिया है।

(समयस-माप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो बातें और जो बहुत जरूरी हैं कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : Please cut your speech very short.

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक बात मुझे इन्सपेक्शन फीस पर कहनी है। आपने कन्ज्-यूमर फीस लगाई है, जबकि कन्ज़्यूमर से पैसा वसूल करने का कोई नैतिक आधार नहीं है। आप बिजली लोगों के घरों पर लगवाते हैं, फिटिंग करवाते हैं तो वह आपके लाइसेंस्ड लोगों से लगवाई जाती है, बाद में वह ठीक है या ठीक नहीं, है यह देखने का काम आपका है, इसका खर्चा आपको अपने फंड में से देना चाहिये। पर आप एक एक शहर से, मुझे अलवर का पता है अकेले अलवर से आप ३६,०००) रुपया सिर्फ इन्सपेक्शन फीस का वसूल करना चाहते हैं। मन्त्री महोदय ने जानकारी प्राप्त करके देखा; यू. पी., पंजाब देहली में पता लगा लिया कि कहीं इस तरह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की फीस नहीं है। उस रोज एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मन्त्री महोदय ने मद्रास का बहाना दिया। मद्रास हमारे यहां से बहुत दूर है, हमें अपने पड़ौसियों से प्रेरणा लेनी चाहिये।

रेट्स के बारे में मुझे निवेदन करना है कि रेट्स का तरीका बुनियादी तौर से गलत है; कहीं कुछ व कहीं कुछ। हमें सब जगह युनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स करनी चाहिये। चाहे जेनरेटिंग स्टेशन से कोई स्थान कितना ही दूर पड़ता हो; इसे पब्लिक सेन्टर बनाते जा रहे हैं तो पब्लिक सफर नहीं करनी चाहिये कि जैसलमेरवालों को तेज रेट्स पर मिले और जयपुरवालों को सस्ती रेट्स पर मिले। राजस्थान का हर नागरिक राजस्थान के विकास में भागीदार है, हर नागरिक पर इसका बोझा पड़ता है तो इसका फायदा भी सबको समान रुप से मिलना चाहिये। रेट्स पर विचार कर रहे हैं, हमारे राजस्थान में रेट्स और प्रान्तों से ज्यादा, बहुत ज्यादा हैं उनको डाउन लाइये। इसके साथ ही साथ राजस्थान में सब जगह बिजली की रेट्स की युनिफॉर्मिटी करनी चाहिये। और प्रान्तों से यहां राजस्थान में बिजली महंगी है अतः इसको कम कीजिये।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे लोगों को प्रिविलेज देते हैं, उसको बन्द करना चाहिये। म्युनिसिपेलिटीज़ के साथ साधारण नागरिक का सा व्यवहार करते हैं, वह उचित नहीं है। म्युनिसिपेलिटीज़ को बिजली रियायती दर पर देनी चाहिये।

मुझे बातें तो और कहनी हैं....

श्री सभापति : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत् मंडल के बजट के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और वे विचार भिन्न २ मुद्दों पर आधारित हैं। मैं भी कुछ ऐसी बातें सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं जो कुछ तो कही गई हैं; पर डिटेल्स के साथ नहीं कही गईं हैं और कुछ नई बातें हैं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट से हमें यह पता नहीं लगता कि हमारे विद्युत् मंडल किस परिस्थिति में है, सरकार के सबवेन्शन बताये गये हैं; पर पता नहीं चलता कि कितने असेट्स हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमें इससे पता नहीं चलता कि हमारे कितने असेट्स हैं, कितने वेल्युएशन्स के हैं, कितने उनके रिटर्न्स है, कितना कीमतों का डेप्रिसियेशन बोर्ड ने आंका है, बोर्ड को क्या राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा, वापिस राज्य सरकार को अदायगी के क्या क्या तरीके हैं, कैसे वह अदायगी की जायगी; यह इसमें नहीं बताया गया है।

जब तक हमें अपने असेट्स का, लाएबिलिटी का पता नहीं हो और प्रोग्राम फेज़ आउट नहीं किया जाय कि कैसे इन असेट्स का चुकारा करेंगे तब तक राज्य सरकार को हमेशा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिये इन असेट्स की अदायगी के बारे में प्रावधान बजट में होना चाहिये। चाहे वह एक लाख, दो लाख या ५ लाख के हों, जितने भी असेट्स विद्युत मंडल को दिये

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हैं उन्हें वापिस लौटाने का प्रावधान करना आवश्यक है।

जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है यह बहस में आ चुका है कि राजस्थान में जितनी हम तरक्की करना चाहते थे, जितना हम आगे बढ़ना चाहते थे, उससे हम कहीं पीछे रह गये हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने नाम मात्र की प्रोग्रेस की, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नाम मात्र की प्रोग्रेस की। इसका कारण हो सकता है कि स्टील की कमी रही हो, और चीजों की कमी रही हो, पर यह मानना पड़ेगा कि हमारे यहां प्लानिंग की कमी रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितना सामान चाहिये था उसके इन्डेन्ट्स पहले ही नहीं दिये, उस सब सामान के लिये पहले से ही विदेशों को नहीं लिखा, इस तरह हमारे प्लानिंग की कमी रही। इसलिये नतीजा यह हुआ कि उन दिनों वह सामान जिस भाव से मिल सकता था उससे ५ गुना ज्यादा कीमत पर वह सामान आज मिलता है। प्लानिंग की कमी की वजह से हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा। हमें ट्रान्सफोर्मर्स पहले ही मंगा लेने चाहिये थे, हमें केबल्स पहले से ही मंगा लेने चाहिये थे। यह तो हम जानते थे कि हमें भाखरा और चम्बल के लिये अमुक अमुक सामान की आवश्यकता पड़ेगी। इससे नतीजा यह हुआ कि हमारा करंट जो उस समय अगर हम यह सामान मंगा लेते तो बहुत ही सस्ता पड़ता। आज उन दिनों के सामान की कीमत बढ़ जाने के कारण हमें बहुत ज्यादा मंहगा पड़ रहा है। इसी तरह से स्ट्रक्चर्स हमें उस समय अधिक सस्ते पड़ सकते थे वे आज बहुत मंहगे पड़ रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह आपके युग की ही बात है।:

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे युग की बात है या नहीं; इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिये।

विद्युत मंडल तो अब बना है, दो--चार साल हुए। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं; वह यह है कि हमारे इस विद्युत मंडल का फोर्मेशन किस तरह का है। बजट में सरसरी नजर डाली तो देखा कि टोकन रूप में टेक्निकल एडवाइज़र के लिये फंड्स रखे हुए हैं। मंडल में एक टेक्निकल मेम्बर होगा, वह टेक्निकल मेम्बर इस बोर्ड में नहीं है, चीफ इंजीनियर ही टेक्निकल मेम्बर का काम करता है। इनकी छानबीन कर सके, जानकारी इनके बारे में दे सके; जो टेक्निकल नहीं हैं वे टेक्निकल मेम्बर का काम कर रहे हैं। मंडल में टेक्निकल मेम्बर का अभाव होना एक बड़ी भारी खामी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। विद्युत् मंडल में फाइनेन्स मेम्बर अलग है, दूसरे मेम्बर अलग हैं; उसी तरह से इसमें टेक्निकल मेम्बर का रहना भी परमावश्यक है। चीफ इन्जीनियर को ही टेक्निकल मेम्बर नहीं रखना चाहिये;अलग टेक्निकल मेम्बर रहना चाहिये।

अभी सदन के सामने बोर्ड की सर्विसेज़ के बारे में बहुत जिक्र आया और कहा गया कि जितने कर्मचारी बोर्ड में ट्रान्सफर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हुए हैं उनकी सर्विस कन्डीशन्स अभी तक डिफाइन नहीं हुई हैं और न ही स्टेन्डिंग ऑर्डर बना हुआ है। कानून के अनुसार किसी फैक्ट्री को ६ महीनों के अन्दर अन्दर स्टेन्डिंग ऑर्डर प्रकाशित करना चाहिये, अब तक उसे प्रकाशित न करके एक्ट की अवहेलना की गई है। बार बार याद दिलाने के बावजूद भी स्टेन्डिंग ऑर्डर को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो इसको प्रकाशित करना चाहिये और मंडल के कर्मचारियों की सर्विस की कन्डीशन्स को डिफाइन करना चाहिये। जब कि सरकारी कर्मचारियों का इन्टीग्रेशन हुए इतना अर्सा हो गया मंडल के कर्मचारियों के ग्रेड्स आज तक फिक्स्ड नहीं हुए हैं। बार बार कमेटियां मुकर्रर होती हैं, पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

(११.४८ म. पू.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

कोई केडर विद्युत् मण्डल के कर्मचारियों का नहीं है। पॉवर हाउस में १५,००० व्यक्ति वर्क-चार्ज पर काम करते हैं। उनका कोई केडर फिक्स नहीं, उनको पता नहीं कि किस दिन उनको नौकरी से अलग कर दिया जायगा; मुआवजा मिलेगा या नहीं। उनको छुट्टियों की तनख्वाह नहीं मिलती। इस तरह के बेचारे १५,००० मजदूर काम करते हैं। उनकी हालत चिन्ताजनक है। उनमें निराशा और चिन्ता की भावना भरी हुई है, जो न जाने कब फट सकती है। इन लोगों की यूनियन ने बार बार विद्युत मंडल का ध्यान आकर्षित किया, दो-दो बार फैसले हुए, पर उनको कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया। इनके कैडर को फिक्स करने के लिये यादराम चतुर्वेदी की देख-रेख में एक कमेटी बनाई गई, दूसरी अमरसिंह मेहता की देख-रेख में कमेटी बनी; पर अभी तक इनको फिक्स करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। फिर बार बार सरकार के सामने रिप्रेज़ेन्टेशन्स रखे गये और बार बार सरकार की ओर से आश्वासन दिये जाने पर भी कि फिक्स कर दिये जायेंगे अभी तक उन्हें फिक्स नहीं किया गया है।

मैं एक और बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह यह है कि इनकी यूनियन के साथ विद्युत मंडल ने दो दफा फैसले किये, पर उन पर अमल नहीं किया गया।

पहला फैसला, माननीय सभापति महोदय, २४ अगस्त, १९६१ को हुआ, जिसमें सारी बातों के ऊपर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में हवाला है कि अमुक बात इस इस तरह से कर दी जावेगी। उसका पालन नहीं हुआ। फिर मजदूरों में असंतोष होता है। दूसरा ऑर्डर फिर गवर्नमेंट की ओर से होता है; लेकिन उसका भी प्रतिपालन नहीं होता है। कोई मंत्री महोदय मजदूरों की सभाओं में जाते हैं तो अफसोस जाहिर करते हैं। केवल अफसोस जहिर करने से कोई बात नहीं बनती। हमारे अफसरों में एक इस प्रकार की प्रवृत्ति आ गई है कि वे अपने आपको अभी तक भी हाकिम समझते हैं, रेडटेपिज़्म के कारण भी मजदूरों में असंतोष बढ़ता जाता है। जो निर्णय होता है उसके परिपालन के लिए कोई प्रबन्ध तो होना चाहिये, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर तो होनी

Page No. 71

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चाहिये और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये। एक असंतोष का कारण सभापति महोदय, बना हुआ है जिसके कारण मजदूरों में डर है, एक प्रकार की उनमें उत्तेजना है, क्योंकि स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम पावर हाउस में लागू की जा रही है। मुझे इस बात का अनुभव है सभापति महोदय; बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में प्राइवेट एम्प्लॉयर्स उनके एम्प्लॉईज़ को मेडिकल आदि सहूलियतें देते हैं उन्हीं को ध्यान में रख कर वहां पर स्टेट एम्प्लॉइज़ इन्श्योरेन्स स्कीम चालू की गई थी। यहां भी ऐसे कार-खाने थे जहां पर मेडिकल फेसिलिटीज़ पहले सी थी जैसे लाखेरी सीमेंट वर्क्स है। वहां पर स्टेट एम्प्लॉइज़ इन्श्योरेन्स स्कीम को लागू किया तो असंतोष बढ़ा। पॉवर हाउस के लोग अस्पतालों में जाकर फ्री इलाज करा सकते हैं। यदि यहां पर यह स्कीम लागू होती है तो उसकी पॉकेट को इफेक्ट होता है और जो इलाज आज उनको जैसा भी मिल रहा है वैसा नहीं मिल सकेगा, यह निश्चित बात है। यदि स्टेट एम्प्लॉईज़ इन्श्योरेन्स स्कीम उन पर लागू करते हैं तो जो मजदूरों का हिस्सा है, उतने ही पैसे को उनकी तनख्वाह या अलाउन्सेज़ में बढ़ा कर जो पैसा स्टेट एम्प्लॉईज़ इन्श्योरेन्स स्कीम में देना पड़ेगा, मजदूरों को अपनी गांठ से न देना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार को विद्युत् मंडल को कोई न कोई प्रोविज़न जरूर रखना चाहिये।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

दो-तीन मिनट में ही समाप्त करना चाहूँगा।

मैं आपके सामने दो-तीन मुद्दे रखना चाहता हूँ। लेबर वेलफेयर स्कीम को ही देखें। आधा खर्चा एस्टेब्लिशमेंट का और आधा लेबर के लिए एमिनिटीज़ में। ८ हजार मजदूर हैं तो उन पर ८० हजार रुपया खर्च किया जाता है यानी दस रुपया प्रति साल एक मजदूर पर खर्च होता है। यह लेबर वेलफेयर और उनकी एमिनिटीज़ के लिए बहुत ही कम रकम है। विद्युत मंडल को चाहिये कि वह अधिक प्रावधान करे। जितने डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वे इन्डस्ट्रीज़ से कन्सर्न रखने वाले हों, उनका पूरा इम्प्लीमेन्टेशन पॉवर हाउसेज़ में होना चाहिये। कई दफा मंत्री महोदय आश्वासन दे देते हैं, लेकिन वे कार्य रूप में परिणत होने चाहिये।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि दो वर्ष से बिजली विभाग काफी प्रगतिशील हो रहा है और तरक्की कर रहा है। गांवों में बिजली पहुंचने लगी है; और कहीं नहीं तो झालावाड़ के १२ गांवों में बिजली जनवरी में जरूर पहुंच गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोटा के आस-पास के जो गांव हैं उनमें भी आपकी महरबानी होगी और इस सम्बन्ध में लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि उनके यहां बिजली पहुंचायी जाय तो उनके साथ साथ तालेड़ा में खास तौर पर बिजली पहुंच जाने की प्रार्थना को स्वीकार किया जावेगा। उनके प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग में पड़े हुए हैं।

और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी जगहों के जो पॉवर हाउस होते हैं तो उनकी बड़ी दिक्कत होती है। कहा तो यह जाता है कि बल्ब बदलने का काम म्युनिसिपे-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लिटीज़ का है। लेकिन जब पॉवर हाउस के पास बल्ब के लिए जाते है तो काफी पैसा मांगते हैं। यदि यह कहते हैं कि अपने आदमी से चेन्ज करा लें तो कहते हैं कि नहीं कर सकते, हम ही करेंगे। ट्रान्सफोर्मेस नहीं हैं इसलिए वाल्टेज़ में भी फर्क पड़ता है। तो ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनकी ओर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

इस बजट में दो मुद्दे मैं नहीं समझ पाया और मैं मेरी शंका का समाधान करना चाहूंगा। जयपुर पॉवर हाउस की रिसीट्स करीब ८४ लाख के होती है और ६० लाख इनकम चम्बल पर ट्रान्सफर की गई है। क्या जयपुर में चम्बल की इतनी बिजली आ जावेगी कि ८४ लाख में से ६० लाख की रिसीट्स केवल चम्बल बिजली से हो सकेगी ? जो टार्गेट्स बनाये हैं तो उनको देखते हुए ८४ लाख में से ६० लाख की चम्बल से हो सकेगी, इसमें मुझे शंका है। मुझे एक बात और लगती है कि एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा जयपुर पॉवर हाउस में दिखाया गया है। डिटेल्स में देखें तो जनरल एस्टेब्लिशमेन्ट और डिस्ट्रिब्यूशन का क्या है, यह साफ हो जाता है। जो खर्चा इसमें दिखाया है....

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर 'अ') : सभापति महोदय, समय का ध्यान रहे, और काफी बोलने वाले हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसमें जो एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा है, मेन आइटम 'बी' में दिखाया गया है। उसमें १५-२० हजार का फर्क है और जहां एस्टेब्लिशमेन्ट का टोटल आता है उसमें कुछ हजार रुपये जोड़े गये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेज ३६४ पर टोटल ऑफ जेनरेशन का है ६,३२,४६२ और टोटल ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन का है ५,७६,६६५; जबकि टोटल ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट दूसरी साइड में ५,६४,४७६ है और ग्रान्ड टोटल के पहले १२ हजार का एडीशन रहता है। १२ हजार किस बात के हैं ? क्या कोई आइटम दर्ज होने से रह गया है या क्या है; यह पता नहीं लगता। ६,३२ हजार का टोटल इससे मिलना चाहिये, जो कि नहीं मिल पाता है। बाकी किस पेज पर दिखायी गई है, यह नहीं पता चलता। ५,७६,६६५ डिस्ट्रिब्यूशन का टोटल है, जबकि एस्टेब्लिशमेन्ट का दूसरी तरफ देखते हैं ग्रान्ड टोटल ३० हजार का होना चाहिये वह गलती से ३ हजार है। ३० हजार है या नहीं, यह इससे पता नहीं चलता है। अतः इन दोनों के बारे में उनके क्या विचार हैं ?

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय.......

श्री सभापति : Order please !

अगर सदन की सम्मति हो तो समय की पाबन्दी और कम की जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : Order please ! - एक माननीय सदस्य अधिक से अधिक दस मिनट बोलेंगे।

(विराम)

श्री गोकुलप्रसाद।

(१२ मध्याह्न)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, विद्युत् मंडल के वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक पर विचार हो रहा है। इसमें क्या क्या काम हुए हैं उस सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करता चाहता हूँ। इस साल का जो घाटा है गत साल से कम है। ७ लाख १५ हजार का घाटा बताया गया है उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने विद्वत्ता पूर्ण शब्दों में कहा है, अगर ब्याज़ की दर है वह नहीं ली जाय तो नफे में बजट हो सकता है। वास्तविकता यह नहीं। राज्य सरकार भी काफी जगह से लोन लेती है उसको भी ब्याज के रूप में काफी देना पड़ता हैं। इसके बजाय १ करोड़ ३५ लाख रूपया लोगों में बकाया है उसको आप अगर ब्याज सहित वसूल करलें १५ लाख के ऊपर आम-दनी हो सकती है, लेकिन हम उनसे वसूल नहीं कर पाते। आपका सन् ५४ से लोगों में पैसा बकाया है, नरेशों में करीब २६ लाख रुपया था जिसमें ऐसा मालूम हुआ कि २० लाख रुपया सरकार ने माफ कर दिया, सिर्फ छः लाख उनमें बाकी रह गया है। अब फिर २६ लाख हो जाता है। इस तरह से हम रुपया माफ करते रहें तो हमेशा घाटे में रहेगा। यह बहुत बुरी बात होगी। जिनके पास अतुल सम्पत्ति है उनको राज्य का कर माफ कर देते हैं और जिन लोगों के पास कोफिन या लंगोटी भी नहीं उनसे आप कर-भार के रूप में पैसा लेते हैं और राजा लोगों को माफ कर देते हैं, यह राज्य सरकार का न्याय नहीं है। वैसे यहां तीसरी पंच वर्षीय योजना तक दो लाख पिचह-त्तर हजार किलोवाट का उत्पादन हो जायगा, यह जो सूचना दी है यह प्रशंसनीय है; लेकिन इसमें से गांवों में कितना खर्च होगा इस साल में जो रकम रखी है वह १ करोड़ ५८ लाख ४७४ रुपया दूसरे कामों में खर्च किया जायगा। सन् १९६१-६२ में १२० गांवों में बिजली पहुंचाने का वायदा था लेकिन जनवरी में यह तय किया गया कि ७८ गांवों में बिजली पहुंचा देंगे। साल भर में केवल ६५ गांवों में पहुंची है।

कुछ लोग जोर से बोलते हैं, जैसे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमारे यहां काम नहीं हुआ; लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिये कि ६५ में से १९ कस्बों में उनके यहां बिजली गई है और १८ में फिर होने जा रही है, इस तरह से उनके ३७ गांव हो गये जिनमें बिजली मिली है जब कि कुल राजस्थान भर में १२० गांव हैं। भीलवाड़ा के एक हमारे मित्र ने यह भी कहा, जहां एक जगह ३७ गांवों में बिजली दी गई वहां भीलवाड़े में दो-एक जगह पर आयी; भीलवाडा जिले में केवल चार जगह बिजली गई है। कुल छः मील मांडल, ६ मील सावदा, दो मील अलवर जिला और दूसरे जिले में सैकड़ों मील तक पास हुई है। यह असमानता मिटाने के लिये १५८ लाख रुपया रखा है वह कम है; उसके लिये ज्यादा रुपया रखिये। गांवों में बिजली पहुंचाने के लिये कहा जाता है तो पंचायत समिति पच्चीस प्रतिशत कर्जा देती है तो उनके यहां जहां आवश्यकता होगी बिजली पहुंचा दी जायगी। पंचायत समिति के पास कर्जा देने के लिए पैसा कहां से आयेगा ? राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति को सहायता मिलती है उसको आप कम करते जा रहे हैं। पैसा नहीं होगा तो वे कर्ज नहीं दे पायेंगे और इस तरह से वायदा केवल

(श्री गोकुलप्रसाद)

वायदा रह जायगा। बिजली नहीं पहुंच सकती और इस तरह से गांव बिजली से महरूम रह जायेंगे। जिन गांवों में बिजली पहुंची है उनमें कितने किसानों को कुओं के लिए बिजली दी गई है। हमारे राजस्थान में वाटर लेवल बहुत नीचा है, बैलों से खेतों की सिंचाई नहीं हो सकती। आप किसान को बिजली देकर उसको प्रोत्साहित करिये ताकि वह अपने कुओं में पानी की मोटर लगा ले। आपने इसके लिये किसानों को प्रोत्साहित नहीं किया है। कस्बों में बिजली की चकाचौंध करने की गरज से तीस, मील तक बिजली की लाइन ले गये, लेकिन बीच के गांवों में किसानों को बिजली नहीं दी है। जब तक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली हम उपलब्ध नहीं करायेंगे किसान की माली हालत ठीक नहीं होगी। बैलों से सिंचाई हो नहीं पाती इसलिए बिजली किसानों को मिलना बहुत आवश्यक है।

पैसों का जहां तक प्रश्न आता है पहले का हिसाब छोड़ दीजिये। आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि २१ से ज्यादा पॉवर हाउस ऐसे हैं जिनका दस-पन्द्रह सालों से हिसाब नहीं रखा गया है। मैं नहीं समझ पाया कि किसी भी पॉवर हाउस को यह अधिकार है क्या कि वह अपना हिसाब-किताब न रखे। आपने उनको क्या सजा दी ?

इसके बाद मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा जो दिखने में तो छोटी सी हैं। मैं इसको अनियमितता नहीं मानता, बेइमानी मानता हूँ। उसकी मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ।

एक सप्लाई कमिश्नर हैं, जिनको बीस पंखे दिये गये। उनका आज तक पता नहीं कि वे कहां चले गये। उसके लिए कमिश्नर साहब की रसीद भी नहीं आई।

एक रेफरीजरेटर महाराजा साहब जयपुर के मेहमान श्री बैंकर को दिला दिया गया, उसके लिए वे इन्कार कर गये। न मालूम वह विद्युत मंडल से कैसे गायब हो गया ?

एक और ऐसा ही मामला है श्री श्याम बिहारीलाल को ट्रेक्टर किराये पर दिया गया, लेकिन वह आज तक नहीं आया। उनसे पूछा गया तो वे कहने लगे कि एक दिन के लिए किराये पर लिया था, ड्राइवर वापिस ले गया। ट्रेक्टर कौन ड्राइवर ले गया, इसका कोई पता नहीं। उसके लिये श्री श्यामबिहारीलालजी से कोई रसीद नहीं ली गई।

सिंचाई अभियन्ता, कोटा, को सिंचाई योजनाओं के लिये एक ट्रेक्टर दिया गया था उसका भी कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। एक ट्रेक्टर कल्याण ऑइल मिल्स, दूदू....

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : मैं यह स्पष्टीकरण चाहूँगा कि क्या यह विद्युत मंडल से सम्बन्धित है ?

श्री गोकुलप्रसाद सर्मा : बिजली विभाग से ही सम्बन्धित है। सरकारी रिपोर्ट में यह बात आई हुई है। यह उस जनता का पैसा है जो पैसा मौठ और चनों पर कर वसूल कर आप प्राप्त कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : ये बहुत पुरानी बातें हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप उन अधिकारियों को सजा देते जो विभाग में अधिकारी बने हुए हैं।

कल्याण ऑयल मिल्स, दूदू बाग के लिये ट्रेक्टर लगाया गया, लेकिन वहां इस नाम की कोई फर्म नहीं और न उसको आपके पास में रसीद ही है। चाहे आप इन चीजों को छोटा ही क्यों न मानें; लेकिन यह भी लाखों रुपयों का मामला है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं पूछना चाहता हूँ, ये फक्ट्स आपने कहां से मालूम किये ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : असेम्बली की जनलेखा समिति की रिपोर्ट में ये सब बातें हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पब्लिक अकाउन्ट्स कमिटी की १६५६-६० की रिपोर्ट आपने देखी होगी। उसमें इन सब बातों का उल्लेख है। आप तो यह बतलाइये कि आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भारत सरकार में ६ लाख २२ हजार रुपया बाकी है। कोटा की रेलवे ने ६० हजार रुपये का चैक भेजा; न तो यहां आया और न वापिस उनको मिला, बीच में किसने ले लिया इसका पता तक नहीं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बैंक में चेक कैश हुआ है या नहीं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इस तरह से देखने को तो ये छोटे मामले हैं लेकिन हमारे यहां एक कहावत प्रसिद्ध है। आपके इन्टरेस्ट की बात है, सदन के इन्टरेस्ट की बात है उसको मैं जरूर सुनाना चाहूँगा।

एक गांव में एक सेठ जी रो रहे थे। जब उनको रोता हुआ देखा तो आसपास के लोग वहां इक्ट्ठे हो गये और सेठजी से रोने का कारण पूछने लगे। सेठजी ने कहा आपकी आंख फूट गई, देखो तो यह चुहिया मरी हुई आपको दिखाई नहीं देती। चुहिया के मरने का इतना दुख नहीं है लेकिन दुख इस बात का है कि यहां मौत ने घेरा दे दिया। तो इसी तरह से ये चोरियां छोटी हो सकती हैं लेकिन हो सकता है इसके अन्दर बड़े बड़े घोटाले भी हों। छोटी चीज समझ कर नहीं छोड़ना चाहिये, इसकी जांच करवाई जानी चाहिये। इस तरह से लाखों रुपयों के हिसाब में गफलत न को जाय।

गांवों में मैं समझता हूँ जैसा आपने आश्वासन दिया है जरूर आप बिजली देने का प्रयास रखेंगे और आपकी जो छोटी लाइन ४३ के. वी. और ११ के. वी. की जाती है उसके द्वारा कनेक्शन देंगे ताकि कुओं तक भी किसान बिजली ले जाकर उसका लाभ उठा सकें।

अब है आपके विभाग के मजदूरों की बहुत जरूरी बात। यह विभाग, सरकार के कानून जो इस बारे में बने हुए हैं, नहीं मानता। स्टेन्डिंग ऑर्डर्स नहीं बनाता। लेबर मिनिस्टर साहब आपके आगे ही बैठते हैं, पर मुझे आश्चर्य है कि वे अपनी लेबर के हित को बात आपसे नहीं मनवा सकते हैं। दोनों विभागों में कोई समन्वय नहीं स्थापित किया जाता। इसकी चिन्ता किसी को नहीं है।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आज मजदूर मारे मारे फिरते हैं। आपने उन मजदूरों को आज गुलाम बना रखा है। ऐसा मालूम होता है, इस विभाग ने जैसे हिन्दू शास्त्रों में एक विरंचनवाद है, भारतीय संस्कृति में विरंचनवाद जैसा है वैसा विरंचनवाद इस विभाग ने अपने यहां लागू कर रखा है। यह विभाग यह मान कर बैठा है कि दूसरे तो सब हमारे लिये ही पैदा हुए हैं और अकेले हमही उनकी सारी कमाई खा जावेंगे। तो यह है मजदूरों की स्थिति। इस विभाग में वे गुलामों की सी स्थिति में आज अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं, हजारों की तादाद में वे हैं। ये हजार पन्द्रह सौ जो मजदूर हैं इनके तकदीर की डोर साहबों के हाथ में है। ये घबरा रहे हैं, इनको रात-दिन चिन्ता है कि कभी भी अगर साहब नाराज हो जावेंगे तो हमें निकाल देंगे। मैंने साहबों के बारे में पहले भी कहा है।

बीमा योजना की बात करूं। केन्द्रीय सरकार बीमा योजना लागू करने का पैसा देगी। यह सबको मालूम है। ७/८ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देती है इसके लिये पैसा और १।८ आपका लगता है। पर आज मजदूरों को इस लाभ के देने में भी कोताई बरती जा रही है।

श्री सभापति : Order please ! order !! इस समस्या की तरफ माननीय सदस्य पहले भी ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। You are repeating the same thing.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गरीबों की, गरीब मजदूरों की आप तरक्की और पैसा नहीं बढ़ाते मत बढ़ाइये, एक दिन आवेगा जब आप स्वयं बढ़ाने को मजबूर होंगे, आज आपका इस ओर ध्यान नहीं। मैं आपको बिजली की बात समझा दूं। आज आप इस बिजली के भरोसे अपने ऐश आराम में लगे हैं, गरमी में आप बिजली के पंखों और एयरकूलरों से ठंडे होते हैं। स्पष्ट बात है। पर अगर किसी दिन आपके इस रवैये से और इन कारनामों से मजदूर भड़क गये तो आपका यह ऐश आराम काफूर हो जावेगा। आपके ये पंखे नहीं चलेंगे। गरमी के दिनों में शहरों में जीवन मुश्किल हो जावेगा।

श्री सभापति : Order Please ! order !! Shri Mukutbiharilal.

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : सभापति महोदय, आज राज्य विद्युत मण्डल का लेखा-जोखा विचारार्थ हमारे सामने है।

सबसे पहला सवाल है वह यह है कि क्या हम आगे आने वाले समय के सामने भी जैसा इसका लेखा-जोखा अभी आया है, वैसा ही उदाहरण पेश करने वाले हैं ? क्या इसी के उदाहरण से हम अधिक से अधिक उद्योग पब्लिक सेक्टर में लाने की बात करते हैं ? ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में लाने की कल्पना, मैं समझता हूं, जनहित की भावना पर आधारित है। हम ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें, अधिक से अधिक की संख्या में इन उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में खड़ा करें, इसके पीछे एक मात्र यह भावना काम करती है कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचावे और केवल निज के हित के लिये पैसा पैदा करने की जो मनोवृत्ति कैपिटलिस्टों की है उससे छुटकारा पाया जावे। साथ ही जो कुछ प्रोफिट हो वह सरकार के पास

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

आवे, मेहनत करने वालों में वह बंटे। इस नुक्ते नजर से अगर हम इस विद्युत-मण्डल को आज देखें तो हमें घोर निराशा होती है। इसे हमें बहुत सुधारना है।

हमारे बिजली मन्त्री महोदय ने अभी अपने उद्बोधन में जो बताया था, मैं समझता हूं, यह बहुत ही सराहनीय है। उनकी मर्जी और उनकी नीयत अच्छी है। इसके लिए उनको बधाई देता हूं। पर साथ ही मैं उनका ध्यान इस विभाग के कारनामों और इसके गड़बड़ घोटालों की तरफ खींचना चाहता हूं और चाहता हूं कि वे इस ओर काफी ध्यान दें और इसे सुधारें। अभी उदयपुर की तरफ से आने वाले एक माननीय सदस्य ने जब इस विभाग के एक के बाद एक होने वाले गड़बड़ घोटालों की तरफ ध्यान खींचा तो मालूम हुआ कि यही कारण है कि जिनकी वजह से यह विद्युत मण्डल आज घाटे में जा रहा है।

उद्योग का उसूल होता है कि हम उसका कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोस्ट के बेसिस पर निकालें। तो जब हम बिजली को यूनिट पैदा करते हैं तो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यूनिट के आधार पर निकालते हैं। जब यह कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा चार नये पैसे आता है और दूसरी तरफ हम पचास नये पैसे तक वसूल करते है तो फिर घाटे में कैसे रह सकते हैं ? यह बड़ी रहस्यभरी बात है। यह अपने आप में भी एक उपहासास्पद सी बात है। पर इन गड़बड़ घोटालों की बात जब सामने आती है तो लगता है कि तब तो यह घाटा होना जरूरी है।

इससे स्पष्ट है कि इस विभाग की अन्दरूनी व्यवस्था ठीक नहीं है। एक तरफ आपका कोस्ट प्रोडक्शन चार नये पैसे हैं और आप वसूल करते हैं पचास नये पैसे। कर्मचारियों को और मजदूरों को आप अधिक पैसा देते नहीं, उनकी शिकायतें निरन्तर सामने आ रही हैं। फिर आपका यह मुनाफे का रुपया जाता किधर है ? इन गड़बड़ घोटालों के लिए कौन जिम्मेदार है ? पब्लिक सैक्टर इसी के लिए बदनाम है। आप क्या पब्लिक सैक्टर के द्वारा ऐसा ही आदर्श, उच्चतम आदर्श पेश करना चाहते हैं ?

सभापति महोदय, अगर इन गड़बड़ घोटालों और फिजूल खर्चियों की तरफ ध्यान दिया जाये तो अच्छा है। पर इनके पीछे भी बहुत बड़ी मजबूरियां है। पब्लिक सैक्टर बनाते वक्त यह उम्मीद की गई थी और आशाएं दिलाई गई थीं कि हम इन सैक्टरों को राजनैतिक दलबन्दी से ऊपर उठकर चलावेंगे, राजनैतिक हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। पर इस बिजली मण्डल द्वारा आये दिन राजनैतिक लाभ उठाया जा रहा है। चुनावों के दिनों में शासक दल द्वारा जिस तरह इसका उपयोग वोट प्राप्त करने के लिये किया गया, उसके अनेकों उदाहरण जगह जगह मिलेंगे। जैसे अभी अलवर से आने वाले और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने मिसालें पेश कीं, और भी सदस्यों ने उदाहरण दिये। इसी तरह के कुछ उदाहरण मैं भी भरतपुर के आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

भरतपुर से बयाना बिजली जाने का प्रश्न था। इसके लिए २५ मील का रास्ता था; उच्चैन होकर। पर भुसावर और वैर में

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

कांग्रेस के एक बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, केन्द्र के मिनिस्टर जो थे, वे बिजली मन्त्री के दोस्त हो सकते है, अच्छी टर्म उनके साथ हो सकती है, पर बिजली मन्त्री होने के नाते जो उनको नहीं करना चाहिये था वह उन्होंने किया। उनको बगल में लेकर कहा गया जनता को कि आपको भी बिजली देंगे; क्योंकि बिजली मन्त्री स्वयं बोल रहे हैं। जनता को स्वाभाविक तौर से विश्वास हो जाता है और इसके परिणाम स्वरुप, मैं निवेदन करु, वह बिजली बयाना ले जाई गई साठ और सत्तर मील का चक्कर देकर। भुसावर और वैर होकर उस बिजली को ले जाया गया और फिर अगर इसका बजट घाटे में न हो तो लाभ कहां से हो सकता है ?

यही नहीं, सभापति महोदय, मैं निवेदन करु कि जब कि योजनाएं इस तरह की हैं कि भरतपुर को चम्बल की हाइडल बिजली मिलने वाली है, तब भी वहां एक स्टीम पॉवर हाउस लगाया गया और उसमें २०० लाख की लागत आई। एक-दो सालों के लिए जब कि वहां चम्बल भाखरा को बिजली आने वाली है; भाखरा और चम्बल की यह बिजली पहले भी लाई जा सकती थी और इस २०० लाख के खर्चे को बचाया जा सकता था, जिसे कि अब बताया जाता है चम्बल और भाखरा से बिजली आने के बाद समाप्त कर दिया जावेगा। इसका कारण केवल यही है कि वहां के कुछ उद्योगपतियों को खुश करना था। जैसे वहां बिरला की वैगन फैक्टरी का मैं नाम लूं। इन उद्योगों के लिये इस सरकार और इस सरकार के मन्त्रियों पर इन सेठों का इतना बड़ा रौब और दबाव है कि उन सेठों के चरणों में बैठकर ये योजनाएं बनती हैं और वे बनती हैं केवल उन सेठों को लाभ पहुंचाने के खातिर। इसमें सरकार का कितना पैसा व्यर्थ जावेगा, इसकी किसी को चिन्ता नहीं।

फिर इस विभाग में मशीनरियों के खरीद में, ठेकों में क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं; समय का अभाव है, नहीं तो मैं यह भी सदन में विस्तार से निवेदन करता और एक के बाद अनेक उदाहरण यहां प्रस्तुत करता।

यही नहीं, यह सारा बोर्ड ही अपने आप में एक घोटाला है। जैसे अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया कि जब इस बोर्ड का गठन किया गया तो इसको कुछ लाएबिलिटीज़ और असेट्स भी सौंपे गये। पर आज इसका लेखा-जोखा निकालें तो किस आधार पर निकालें ? इसका कोई लिखित में रेकार्ड नहीं है। अगर इसमें गड़बड़-घोटाला निकले कभी तो कहेंगे क्या करें, हमें तो यह विरासत में मिला था। और अगर फायदा हो गया कहीं तो इसका लाभ स्वयं उठाने को तैयार होंगे, इसका श्रेय लूटने के लिये आगे आ जावेंगे कि देखो हमने अपनी चतुराई से लाभ कमाया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विद्युत् मण्डल की जो योजनाएं हैं वे अस्पष्ट हैं। अब यह अस्पष्टता किस कारण से रखी गई है यह हम अन्दाज लगा सकते हैं। लेखे-जोखे में बताया गया कि ६१-६२ में हमने ये उपलब्धियां प्राप्त कीं पर जो टार्गेटस आपने ६१-६२ में

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

अचीव नहीं किये उनका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था, वह आपने नहीं किया । इसी तरह अब ६२-६३ में आप किन किन गांवों को, किन२ शहरोंको और किन२ लोकेलिटियों को इलेक्ट्रिफाइ करना चाहते हैं,इसका कोई स्पष्ट नक्शाहमारे सामने नहीं रखा। इसका कारण स्पष्ट है । वह राजनैतिक दृष्टिकोण से छिपाये रखना पसन्द करते हैं । जो ज्यादा जोर दे, जो ज्यादा खुशामद करे, जो ज्यादा मित्रता दिखावे उस इलाके को कर दिया जावेगा। यह सरकार की मंशा इससे स्पष्ट है । अगर यह मंशा नहीं है तो इस तरह की तमाम चीजें, सारी स्कीम खुले रूप में सामने आ जानी चाहिये थी, आपको स्पष्ट प्लान रखना था कि हम इन इन जिलों में, इन इन इलाकों में, इन इन गांवों में और इन इन शहरों में बिजली ले जाना चाहते हैं ।

एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आपकी बड़े बड़े टाउन्स को इलेक्ट्रिफाइ करने की स्कीम है तो क्या वह म्यूनिसिपल बोर्डों से भी आप यह मांग करेंगे कि २५ परसेन्ट मांगेंगे उनसे, जैसा कि आप छोटे छोटे कस्बों में बिजली ले जाते वक्त सवाल रख देते हैं एस्टीमेट के अनुसार, एस्टीमेट के नाम पर । पर एस्टीमेट्स बनाने का भी एक अजीबोगरीब रिवाज है । सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि वे एस्टीमेट्स बन्दर की दुम की जैसे लम्बे मनमाने ढंग से बना दिये जाते हैं । आखिर उनको बनाते समय किन रूल्स का ख्याल रखा जाता है वह समझ में नहीं आता । जहां तक बिजली के सप्लाई करने का सवाल है मैं आपको बयाना के लिए निवेदन करूं कि बयाना के अन्दर इन चुनावों के तीन दिन पहले लट्टू जलाकर बताये गये कि देखो बिजली आ गयी और वोट दे दीजिए । लेकिन दुःख है कि वे वोट उनको मिले या नहीं, उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक कनेक्शन भी वहां पर नहीं दिया गया, केवल चुनावों के दिनों में ही लट्टू जला दिए गए । कम से कम एस्टीमेट्स बनाने के रूल्स को सिम्प्लीफाई किया जाना चाहिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री दलपतसिंह ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदय, जिस तरीके से माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि राजस्थान कितना बैकवर्ड था और पॉवर को हासिल करने में जो प्रगति की है, चार-पांच सालों में जो उन्नति की है इसके लिये निस्सन्देह बोर्ड धन्यवाद का पात्र है । लेकिन मैं तो मेरी तहसील की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरी तहसील आबूरोड इसी तरीके से बैकवर्ड है जिस तरीके से आपने बताया कि राजस्थान बैकवर्ड था । सन १९४७-४८ से हमें बिजली एक प्राइवेट कम्पनी के द्वारा थर्मल प्लान्ट से मिल रही है । आप देखेंगे कि माउन्ट आबू के अन्दर रेट्स के बारे में जो प्राईवेट कम्पनी के साथ एग्रीमेन्ट स्टेट के साथ हुआ था उसी रेट के ऊपर माउन्ट आबू के नागरिकों को बिजली हासिल हो रही है । कम से कम जब और शहरों के अन्दर बिजली की रेट्स सस्ती हो रही हैं कहीं पर भाखरा से बिजली मिल रही है,

(श्री दलपतसिंह)

और कहीं पर चम्बल से बिजली मिल रही है, कहीं पर उदयसागर डैम से बिजली की योजना है; तो मेरे इलाके को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि जो १९४८ में दृश्य था वैसा का वैसा ही दृश्य आज भी चल रहा है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो माउन्ट आबू के ऊपर प्राइवेट कम्पनी के साथ एग्रीमेन्ट है उसको तोड़कर गवर्नमेंट को वहां पर जल्दी से जल्दी पॉवर हाउस लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि माउन्ट आबू पर लोग रहते हैं उनका काफी खर्चा होता है।

इसके अलावा होटल्स में रेफ्रीजरेटर्स में वेजीटेबल्स वगैरह प्रिज़र्व करना चाहते हैं तो वह भी नहीं कर सकते और वहां के नागरिकों को बहुत हाई रेट्स देनी पड़ती हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने राजस्थान को प्रगति के युग में आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा पॉवर हासिल की है उसी तरह से माउन्ट आबू के नागरिकों को अवसर देना चाहिए कि वे प्रगतिशील युग में एक पॉवर हाउस वहां पर प्राप्त कर सकें और सस्ती रेट पर बिजली प्राप्त हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आबूरोड में वही आबूरोड प्राईवेट कम्पनी का पॉवर हाउस चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी तहसील को क्यों निग्लेक्ट किया जा रहा है। आपने कहा है कि ७०.१ लाख रु० इलेक्ट्रिसिटी बजट में रखा गया है कि प्राईवेट कम्पनीज़ को खत्म करके गवर्नमेंट के पॉवर हाउस लगाये जायेंगे, लेकिन अभी तक वह प्रगति नहीं हुई है। इस साल भी ७९.१ लाख रुपया वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो मैं तो मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां पर प्राईवेट कम्पनी को हटाकर जल्दी से जल्दी गवर्नमेन्ट को पावर हाउस अपना इन्स्टाल करना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि हमें सुनकर बड़ी खुशी हुई कि मन्त्री महोदय ने यह एलान किया कि १९६३-६४ तक एग्रीऐल्चर प्रोडक्शन के लिए गांव गांव के अन्दर बिजली पहुंचाई जायेगी और हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अन्दर बिजली को प्राप्त करके काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वृद्धि कर सकेंगे। आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारे यहां राजस्थान में बरसात होती है। मालूम नहीं कितनी वर्षा होगी। रबी क्रॉप ही ऐसी है जिसके ऊपर चैक कर सकते हैं कि जो कैपीटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकेगा। अगर गांव गांव के अन्दर बिजली प्राप्त हो जाती है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अन्दर लोगों को कैपीटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है और रिटर्न नहीं मिलता है। अगर बिजली प्राप्त हो जाती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अन्दर बहुत भारी वृद्धि होगी और जो हमारा नेशनल टार्गेट है वह भी बढ़ पायेगा। सिर्फ हाउस के अन्दर ऐलान ही हुआ तो वह ऐलान के तरीके से ही रह जायेगा। अगर यह थ्योरिटिकल ही रह गया तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि यह प्रेक्टिस में नहीं आता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गांवों की तरफ बिजली पहुंचाने के लिए जल्दी से जल्दी आपको ध्यान देना चाहिए। आप

(श्री दलपतसिंह)

देखेंगे कि मेड़ता और आबू के पास बॉम्बे एक ऐसी जगह है कि जहां गांव गांव के अन्दर बिजली है;इससे यह हुआ कि वहां फार्म्स पर जितने भी डीज़ल के एंजिन्स चलते हैं वहां पर बिजली से काम चल रहा है । आज मशीन के पार्ट्स टूट जाते हैं तो इंडिया के अंदर पार्ट्स इतने सस्ते नहीं मिलते और अभी तक कई मशीनरीज़ ऐसी हैं कि जिनके पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं । दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आबूरोड के अंदर जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट घोषित किया है वहां पर पॉवर की कमी है । जितने उद्योगों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ा सकेंगे । इसलिए वहां पर २० मील एरिया के अंदर आदिवासी रहते हैं और लोग ८० प्रतिशत एम्पलॉयमेंट के बगैर हैं । तो यदि आप आदिवासियों की एम्पलॉयमेंट की प्रोब्लम को सोल्व करना चाहते हैं तो बिजली के आने से कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो बनेंगी उनको आप सस्ती पॉवर दीजिए तो उनके एम्पलॉयमेंट की प्रोब्लम भी सोल्व हो जायेगी । जो प्राइवेट कम्पनीज़ हैं उनको एबोलिश करने के लिए ७६ लाख अलॉट कर रहे हैं नये पॉवर हाउस बनाने में तो उसको आप आबूरोड में बनायें । बाकी हमारे वहां पर हाईड्रो पॉवर मिलने की कोई गुंजाइश नही है । आप जो ऐलान कर रहे हैं कि १९६३-६४ में विलेजेज़ में बिजली पहुंच जायेगी, हमारे यहां की पिक्चर को देखते हुए यह बिलकुल असम्भव है । जब माननीय मंत्री महोदय आबूरोड के अन्दर पावर हाउस लगायें तो अच्छे किलोवाट का लगायें जिससे दूर दूर तक बिजली मिल जाये; नहीं तो आपकी बात थ्योरिटीकल की थ्योरिटीकल ही रह जायेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री फूलचन्द जैन ।

श्री दलपतसिंह : एक मिनट और....

श्री सभापति : श्री फूलचन्द ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माननीय सभापतिजी, विद्युत मण्डल पर रखे गये बजट के ऊपर आज सदन में बहस हो रही है । माननीय मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है उससे मैं समझता हूं कि विद्युत मंडल की जो अब तक प्रोग्रेस हुई है या आगे के प्लान्स हैं उन पर काफी प्रकाश पड़ा है और यह मैं मानता हूं कि कुछ हद तक जो प्रोगेस माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में बताई है वह प्रशंसनीय है लेकिन कई ऐसी दिक्कतें हैं, इसके द्वारा जो संचालन व्यवस्था है उसके अन्दर दिक्कतें हैं जिनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है और उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है । पहली बात तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि सहकारी समितियों के द्वारा जो गांव२ में बिजली पहुंचाये जाने के विषय में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है वह हम सब के लिए काफी सौभाग्य की बात है और हम लोगों को निश्चित रूप से इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए । जहां जहां भी आज बिजली की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जाती है पंचायत समितियों द्वारा २५ परसेंट ऋण देकर जो बिजली पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था उसके सम्बन्ध में हमारे भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समितियों के पास ऋण कहां से आयेगा; मैं समझता हूं

(श्री फूलचन्द जैन)

कि ऋण जैसे सरकार उनसे लेती है, वह भी तो कहीं से ऋण की व्यवस्था करके अगर वहां बिजली की अत्यधिक आवश्यकता वहां के जनसाधारण महसूस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें दिक्कत की बात नहीं हो सकती और इस प्रकार हमको व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके साथ साथ मैं माननीय सभापतिजी, एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ; वह यह कि आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे विद्युत मंत्रीजी की ओर से जो अब तक प्रोग्रेस हुई है उसको यहां सराहना चाहिये। इसके साथ साथ सभापति महोदय, एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे इस डिपार्टमेंट की ओर से काम होते हैं और जन साधारण को जिनके कारण असुविधाओं का सामना करना पड़ता है उनकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे आम जनता महसूस कर सके कि हमारी जो ओटोनोमस बोडी है वह इस ढंग से फंक्शन कर रही है कि दिक्कतें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, अन्यथा स्वभाविक बात है कि हमारी प्रोग्रेस एक तरफ हो रही है लेकिन उससे अगर आम जनता की दिक्कत दूर नहीं होती तो दूसरी तरफ वह प्रोग्रेस घट जाती है और उस प्रोग्रेस का एप्रीसियेशन नहीं होता।

मैं सभापति महोदय, सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ में इस समय बिजली विभाग को लेकर ऐसी व्यवस्था है कि जिसके कारण लोगों में असंतोष है। वहां पर भाखरा की बिजली जल्दी ही आने वाली है। इस बात की प्रतीक्षा एक साल से की जा रही है। अब वह बिजली आ गई है तो दूसरी समस्या वहां पर यह है कि जो पुरानी लाइन चली आ रही है उसी के द्वारा बिजली पहुंचाई जा रही है; तो उसका प्रेशर कभी कम और कभी ज्यादा आता है उससे काफी नुक्सान कन्ज्यूमर्स को पहुंचता है और मोटर्स में खर्चा भी कभी ज्यादा और कभी कम इस तरह से आता है कि समझ में नहीं आता है और लोगों को परेशानी होती है। वहां पर ट्रान्सफोर्मर्स लग चुके हैं और बिल्डिंग का एस्टीमेट भी बजट में दिखाया गया है, असिस्टेन्ट इन्जीनियर का ऑफिस लगाया जायगा। लेकिन अब तक वह ऑफिस वहां नहीं लग पाया है और इससे वहां के लोगों को जो दिक्कत होती है उन दिक्कतों को दूर करने में भी काफी दिक्कत हो रही है इसलिए वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर का ऑफिस जल्दी ही कायम करना चाहिये।

इसके साथ साथ अजीब स्थिति सामने आई है। वह यह है कि बिजली के जो बिल्स हैं उनके सम्बन्ध में ऑडिट ओब्जेक्शन्स लगाकर कन्ज्यूमर्स के पास भेज देते हैं। किसी में १०), किसी में २०) और किसी में ५०) रुपये के ऑडिट ओब्जेक्शन्स भेज देते हैं। यह समझ में नहीं आता कि ये ऑडिट ओब्जेक्शन्स किस बात के हैं? रकम वसूली की जाती है उसके द्वारा क्लेरिफिकेशन मांगने पर क्लेरीफिकेशन प्राप्त नहीं होता।

अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि बिजली का कनेक्शन देते समय सर्टिफिकेट पेश करने का सवाल

(श्री फूलचन्द जैन)

आता है और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है। सुजानगढ़ के बारे में मैं निवेदन करूं कि १०) रु० फीस के सर्टिफिकेट के लिये वसूल कर लिये गये और अब बताया गया है कि इन्सपेक्टर आयेंगे और इन्सपेक्शन करेंगे. उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। जब १०) रु० ले लिये गये और अब इन्सपेक्टर्स आयेंगे तो निवेदन करूं कि लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोगों को जानकारी नहीं है कि इन्सपेक्टर्स आते हैं उनके क्या फंक्शन्स है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो सर्टिफिकेट का प्रोसीजर है उसके बारे में एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय और जन-साधारण को जानकारी दे दी जाय तो आम जनता को काफी लाभ हो सकता है।

इसके साथ साथ वहां पर लंबे अर्से से नये कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं और इस बार जो बिजली भाखरा से लाई गई है तो इसमें संदेह नहीं कि नये कनेक्शन्स देने के ऑर्डर्स हो चुके हैं; लेकिन नये कनेक्शन्स दिलाने के सम्बन्ध में बहुत बड़ी परेशानी होती है और यह भी निवेदन करूंगा कि इस संबंध में जितना करप्शन होता है इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि नये कनेक्शन्स की जांच करके नये कनेक्शन्स जल्दी से जल्दी दिये जाने चाहिये जिससे कि बहुत वर्षों की डिमान्ड पूरी हो सके और लोगों को असुविधा न उठानी पड़े।

इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां बिजली के अभाव में जो स्टेट के टाइम से लेकर अब तक म्युनिसिपैलिटी की ओर से रोड लाइट की व्यवस्था थी उसका इलेक्ट्रिसिटी के अभाव में एक्सपान्शन नहीं किया गया। अब बिजली उपलब्ध है। म्युनिसिपैलिटी की ओर से ६ माह पूर्व लोन मांगा गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से एप्लीकेशन फोर्वर्ड की जा चुकी है लेकिन उस पर आगे क्या कार्यवाही हुई और लोन देने में क्यों देरी की जा रही है, इसकी जानकारी नहीं हुई है।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में बताया था कि पास ही के इलाके में जहां से बिजली गुजर रही है तो उस इलाके के गांवों में बिजली पहुंचाने की कार्यवाही की जा सकती है तो वहां के विलेज बांड़वास के पास सन् ६२ में बिजली पहुंच चुकी है और उसी के पास के विलेज गोपालपुरा के लोगों की दरख्वास्त मंत्रीजी की सेवा में दी जा चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि वहां बिजली पहुंचाने का आगामी वर्ष में प्रोविज़न किया जायगा।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि छोटी २ अनियमितताएं डिपार्टमेंट की ओर से होती हैं उनके ऊपर ऐसा कदम उठाया जाय कि जिससे जनसाधारण को असुविधा न हो। लोगों को सुविधाएं दी जायेंगी तो

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

दूसरी ओर जो प्रोग्रेस हुई है उसका ज्ञान लोगों को होगा और आम जनता यह महसूस करेगी कि हमारा विद्युत विभाग प्रगति कर रहा है।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय,....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, क्या दो आदमियों के बोलने की इजाजत दी गई है? एक xxxx उधर से भी खड़े हुए हैं।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापतिजी, मिनिस्टर साहब का जवाब सुनने के बाद हम मानते हैं, उन्होंने जो पहले ब्यौरा बताया उससे हमें कुछ संतोष हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो पीछे गलतियां हुई हैं, जो नाकामयाबियां मिली हैं उनको हम ओवर-लुक नहीं कर सकते। आज से पहले जब भाखरा से हमें बिजली मिलनी थी तो राजस्थान सरकार ने और पंजाब सरकार ने बैठकर बात तय की थी कि राजस्थान को हम इतनी बिजली देंगे। उसके बाद राजस्थान का यह फर्ज हो जाता है कि राजस्थान में इस बिजली को लाने के लिये सारे साधन जुटावें। कुछ ऐसे हालात बयान किये मिनिस्टर महोदय ने कि जिनकी वजह से वे बिजली नहीं ला सके राजस्थान में, यह बात ठीक है; लेकिन इसके साथ साथ हम जो गंगानगर में रहते हैं उनको महसूस होता है कि राजस्थान सरकार वहां इस बिजली को लाने में असमर्थ रही है वहां पर पंजाब उन गांवों में जो गंगानगर जिले की बाउन्डरी से लगते हैं आज बिजली से चमचमा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजस्थान सरकार यह कहती है कि हमें फलां सामान नहीं मिला, फलां चीज नहीं मिली जिसकी वजह से बिजली नहीं ला सके; यह लापरवाही की बात है।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, कि आज से ४-५ साल पहले गंगानगर जिले में भी कुछ सर्वे हुआ। वहां पर बिजली लाने के लिए खम्भे भी लगाये गये। मुझे आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दूसरी दुबारा लाइन लग गई और जो खम्भे उस समय लगाये गये वे हजारों की तादाद में खुले गांवों में पड़े हुए हैं, उन्हें कोई सम्हालने वाला नहीं है। उनको उखाड़ कर दूसरी जगह लाइन डाल दी गई लेकिन उनको इकट्ठा करना चाहिए, उनको काम में लाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस प्रकार का रवैया देखा गया है और उससे आम लोगों की राय बन गई है कि यह सरकार किस किस्म की है, यह समझ में नहीं आता। ये खम्भे पड़े हुए हैं, गांव में पड़े हुए हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे जवाब के वक्त कहें कि वे पोल्स क्यों पड़े हैं? किसकी गलती है? और जिसकी गलती है उसको क्या सजा दी जा रही है या दी जायगी?

इसके साथ साथ बिजली लाने के लिए गंगानगर के इलाके में और हनुमानगढ़ के एरिया में देखा है कि जो खम्भे लगाये गये थे वे क्या पता किस तरह के थे कि

xxxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री श्योपतसिंह)

पिछली साल बड़ा तूफान आया, आंधी आई, जो जनरली हमारे इलाके में चलती है तो सारे के सारे खम्भे टूट गये या झुक कर खत्म हो गये और सरकार को उनकी जगह दूसरे खम्भे लगाने पड़े। मेरी धारणा है इस बात में और मेरा विचार है कि हमारे जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं, वे सरकार की आंखों में धूल झोंक कर जो माल लाते हैं वह निकम्मा होता है या कमजोर होता है और वह माल फिर दुबारा लेना पड़ता है। वह माल किस कम्पनी से लिया गया ? उसमें क्या कमी थी और क्यों लिया गया ; इसका भी जवाब मन्त्री महोदय देंगे।

इसके साथ साथ एक बात और आपके सामने रखता हूँ कि हमारे इलाके में बिजली पहुँची है, खम्भे भी लगे हैं लेकिन जहां जहां बड़े बड़े शहर हैं गंगानगर जिले में, उन शहरों को बिजली से चकाचौंध कर दिया है, लेकिन बीच में जो गांव पड़ते हैं, उनमें से एक को भी बिजली नहीं मिली है। मैं इस बात को मानता हूँ कि अभी आने वाले साल में या एक-दो महीने में दो–चार गांवों में बिजली मिल जायगी। लेकिन मैं यह कोई ज्यादा नहीं समझता। यह काफी अच्छा काम नहीं है कि जिससे विचार करें कि साहब बहुत कुछ हो गया है। इसलिए माननीय मन्त्री से अपील करूंगा कि उस गंगानगर जिले में लोग आतुर हैं इस बात के लिए, वे चाहते हैं कि गांवों में बिजली लगे। वहां लोगों की अच्छी हालत है। लोग चाहते हैं कि खेतों में ट्यूब वेल्स लगायें और प्रोडक्शन बढ़ायें और पानी ज्यादा हासिल करें और खास तौर से मंत्री महोदय को ध्यान होगा कि हनुमानगढ़ तहसील में कुछ ऐसा एरिया है जहां पानी बहुत ऊंचा है, तलबारा वगैरहा जो एरिया पड़ता है, जो नाली के इर्द गिर्द पड़ता है, वह जमीन राजस्थान में सबसे बढ़िया फर्टाइल जमीन है। उस जमीन में बिजली दी जाय, ट्यूब वेल्स बनाये जायें जिससे किसानों में खुशहाली आये और साथ साथ अनाज का प्रोडक्शन बढ़ायें। इसलिए वहां ट्यूब वेल्स बनाये जायं और किसानों को मौका दिया जाय। वे चाहते हैं कि उनको बिजली मिले, जिससे उस इलाके में लोग ट्यूब वेल्स लगायें। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूं कि इंडोपाक ट्रीटी की वजह से इस इलाके में पानी की कमी दस साल रहेगी। इसलिए आज गंगानगर इलाके के हजारों लोग, उस एरिया के लोग यह चाहते हैं कि हम ज्यादा पानी हासिल करके फसल को बढ़ाये, अपनी पैदावार को ज्यादा बढ़ायें। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि गंगानगर एरिया में जहां जहां बिजली लाइन गई है, वहां दो-तीन मील के इर्द गिर्द के गांवों में, जहां गांव के लोग चाहें कि ट्यूब वेल्स बनायें, जहां बिजली सप्लाई करें। इससे हम जहां देखते हैं इस बात की तरफ कि पंजाब में इस तरह प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वहां हमें भी संतोष होगा कि हमारी राजस्थान सरकार भी उससे पीछे रहने वाली नहीं है। मैं इतना ही कहते हुए माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि गंगानगर जिले के लोग यह चाहते हैं, जो इस बात के इच्छुक है, जो कुए में बिजली लेना चाहते हैं, जो घरों

(श्री श्योपतसिंह)

में लेना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाय, जिससे आपकी शिकायत दूर होगी कि पंजाब सरकार हमें बिजली देना चाहती है, उसे हम नहीं ले रहे हैं, यह शिकायत दूर जायगी और लोगों की इच्छा पूरी होगी।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : समय बहुत कम है और कई सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): एक घण्टे का समय बढ़ा देना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इधर से बहुत बोल चुके हैं।

श्री सभापति : Order Please !

श्री गिरधारीलाल व्यास : इधर के लोगों को टाइम नहीं दिया है।

श्री सभापति : क्या सदन की इच्छा है कि समय आधा घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

श्री कुमारानन्द : एक घण्टे के लिए टाइम बढ़ाया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उधर के काफी मेम्बर्स बोले हैं, इधर के नहीं बोले हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) एक घंटे के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : उधर के काफी बोले हैं, इधर के कम बोले हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बात यह है ....

श्री सभापति : Order please !

श्री कुमारानन्द : एक घन्टे के लिए कर दें।

श्री सभापति : क्या सदन की इच्छा है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाय।

कई माननीय सदस्य : एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : हम और सुझाव देनेवाले हैं।

श्री सभापति : मेरा ख्याल है कि समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय और अच्छा हो कि माननीय सदस्य अपना भाषण पांच मिनट में कन्क्लूड करने को कोशिश करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं साहब, समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : एक घंटे में भी सम्पूर्ण सदस्य नहीं बोल सकते।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उधर वालों को रोका जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : विचार व्यक्त करने का अवसर सब लोगों को मिलना चाहिये, इसलिए सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाना चाहिए। विचार विनिमय होता है और सदन का समय सदन बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ, पार्लियामेंट और बाकी जगह यह प्रोसीजर नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर विधेयक पर, हर वादविवाद में सदन का हर माननीय सदस्य भाग ले। पार्टियों के अनुसार माननीय सदस्य वादविवाद में भाग लेते हैं। वादविवाद में काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं और यह आवश्यक नहीं है कि हर एक माननीय सदस्य बोले। पांच मिनट बोल कर यहां शकुन साधने की बात नहीं है। इसलिए यह अनहैल्दी कन्वेन्शन ले डाउन नहीं करेंगे कि इस तरह समय बढ़ाया जाय। अगर सदन के माननीय सदस्य चाहते हैं कि समय बढ़ाया जाय, तो कल शनिवार का समय मिल सकता है, इस छुट्टी को कैंसल किया जाय। अगर सदन चाहता है कि इस पर हर पार्टी के दो-दो, तीन-तीन सदस्य बोलना चाहते हैं तो बोलें; it will not be a very healthy convention. If at all we want to participate in the discussion we can meet tomorrow. Why waste half an hour? उसके बाद बहुत सारे सदस्य बचेंगे। वे नहीं बोल सकेंगे और उनको यह ख्याल रहेगा कि वे आलोचना नहीं कर सकेंगे; then let us fix two minutes, then let us fix up one minute. पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के लिए यह अच्छा कन्वेन्शन नहीं रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पांच मिनट में तो कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोल सकेंगे, न कोई भाषण पांच मिनट में होता है क्योंकि पांच मिनट तो भूमिका में लग जाते हैं। माननीय सदस्य अगर विचार प्रगट करना चाहते हैं तो पन्द्रह-बीस मिनट का समय रहना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य को पार्टी के सभी बोल चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज मैं बोला हूँ और कल भैरोंसिंहजी बोले थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज हमें भी मौका मिलना चाहिये ताकि हम बोल सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): We shall be better enlightened from the Hon'ble Minister so far as extension of time is concerned.

श्री सभापति : मेरे ख्याल से आधा घंटा के लिए समय बढ़ा दें और समय सात-सात मिनट का रखें। इस समय में जो माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहना चाहें वे कह सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री सभापति : आधा घंटे का टाइम बढ़ाया जाता है और माननीय सदस्य सात सात मिनट में अपने भाषण को कन्क्लूड करें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज इस इलेक्ट्रिसिटी

(श्री हीराभाई)

बोर्ड के बजट के बारे में वादविवाद हो रहा है। इस पर सदन में अच्छी तरह से वादविवाद हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा इन बातों पर न जाकर सिर्फ अपने ही मतलब को बात कहने की कोशिश करूंगा क्योंकि राजस्थान की बात कहने में टाइम लगेगा। मैं अपने एरिया की बात करूं, क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा सा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां इस बात की इतनी ढिलाई रही और थोड़ा सा हमारे मंत्री महोदय द्वारा भी पक्षपात होता होगा; लेकिन राज्य सरकार के द्वारा पक्षपात होता है यह मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह बड़े दुख की बात है। कारण कि हमारे कुशलगढ़ एरिया में '५६ में वहां बिजली लगाने का शिलान्यास भारत के विकास मंत्री, श्री एस. के. डे. ने किया; तब भी वही टाइम था चुनावों का और चुनाव कराने में एक महीना या दो महीना बाकी था। एक लाख ऋण के लिये भी मंजूरी हुई थी। फिर वहां पर ५६ से ६२ तक कुछ नहीं हुआ और १९६२ में चुनाव होने को आया उसके ठीक दो दिन पहले मंत्री महोदय की महरबानी से जो कुछ होना था वह हुआ। मगर अभी बिजली वहां लगी, लगाई गई उसके लिये न तो प्लट्टू ठीक हैं न खम्भे सीमेन्ट से भरे जाते वे भरे गये है वे भी मिट्टी से भरे गये हैं। इसलिये अपने चुनाव ही लड़ने के लिये हमारे देश का पैसा बरबाद करें और काम ठीक तरह से नहीं हो सकता हैं। अभी भी जितनी बिजली हमारे यहां पहुंचनी चाहिये वह नहीं पहुंच पाई है। यह भी जो कुछ हुआ वह चुनावों के दो दिन पहले हुआ। चुनाव हो गया और उसका नतीजा निकल गया; मगर अभी तक आधे बाजार में बिजली नहीं पहुंच पाई है। इस तरह की नीति मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को निर्माण कार्यों में नहीं लेनी चाहिये। इस तरह से मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि डिज़ल एंजिन लगा रखा है, सालाना तक चंबल की बिजली पहुंच गई है वह भी चुनाव के वक्त लगाई है। वह आयन्दा ग्राम पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं जो साल डेढ़ साल में होंगे। इसलिये उन चुनावों से पहले पहले आप इस बात की कोशिश करें कि चम्बल से आनेवाली बिजली कुशलगढ़ तक पहुंचाई जाए।

आपने यह जो कहा है कि सस्ती बिजली ग्राम पंचायतों को भी दी जाएगी और आपने अपने भाषण में कहा है कि कोई शहर और बड़े शहर में बिजली लगाने जाते हैं तो उनके साथ कोई आप शर्त नहीं लगाते हैं, लेकिन पंचायत समितियों के लिये आपने कहा कि बिजली लगाना चाहें तो २५ प्रतिशत पहले एडवान्स उनको जमा कराना होगा। उन्हें आपको २५ प्रतिशत का ऋण देना होगा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस समय शहरों की बात आती है वहां पर आप कोई शर्त नहीं लगाते और जिस समय गांवड़ों की बात आती है तो आप शर्त लगाते हैं कि २५ पर्सेन्ट उनको देना होगा। हो सकता है कि विकास के लिये यह बड़े काम की हो, लेकिन जहां दो लाख की बिजली के लिये धन-राशि खर्च होगी वहां पर २५ प्रतिशत के गांवड़े के लोग एडवान्स नहीं दे सकेंगे और इस बहाने से उनके यहां पर पूरी बिजली यह कह कर नहीं लगाई जावेगी कि आप लोग खुद एडवान्स नहीं देते हैं, यह कह कर माननीय मंत्री महोदय ने

Page No. 89

(श्री हीराभाई)

अपने आपको बचाने के लिये यह शर्त रखी है और लगाई है, जो गलत है। मैं यह चाहता हूं कि हमें अगर अपने देश का विकास करना है तो शहर के बजाय गांवों में पॉवर हाउस बनाये जावें तो लोगों को फायदा हो सकता है।

बांसवाड़ा में प्राइवेट बिजली लगा रखी है। न तो उसका कोई ढंग है, न वहां पर मीटर है; कभी लोगों को बिजली मिलती हैं और कभी लोगों को बिजली नहीं मिलती है। इसलिये गांवों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये और जब तक हम गांवों की तरफ पूरा ध्यान नहीं देंगे गांवों का विकास नहीं होगा। आप उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं देकर हमको विकास से वंचित रखना चाहते हैं।

एक बात दूसरी यह कही गई कि राजस्थान और बम्बई के बीच में बांध बनाने की बात है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बात कही जा रही है, मगर यह स्पष्टीकरण हो जावे तो ठीक होगा क्योंकि तीसरी योजना शुरू हो रही है। मेरा ख्याल है, वह तो भारत सरकार से हो रहा है। अगर भारत सरकार के मंत्री, यह अनास नदी का पुल बन जाए तो इससे गुजरात को भी फायदा हो सकता है। इसलिये मन्त्री महोदय भारत सरकार को सिफारिश करें और वहां बिजलीघर बनाने की कोशिश करें तो उसका स्वागत करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): It is after my standing many a times that I have been able to catch the Chair's eye. The House should not resent my chance.

सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री को जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ विद्युतीकरण की प्रगति के संबन्ध में सारी स्थिति सदन के सामने रखी उसके लिये जैसे दूसरे माननीय सदस्यों ने बधाई दी है मैं भी उस बधाई की भावना में अपने को शरीक करता हूं। इस बजट को देखते हुए हमें विश्वास है कि यदि विद्युत मंडल इस दृष्टि के साथ आगे बढ़ता रहा तो मेरा विश्वास है कि जो आलोचनाएं या समालोचनाएं इस सदन में हुई हैं वे इसको और गति प्रदान करेंगे और मार्ग प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं दो बातों पर, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

(१) एक है विद्युत मंडल का; बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन।

(२) विद्युत मंडल के कम्पोज़िशन के सम्बन्ध में।

कम्पोज़िशन के सम्बन्ध में एक चेअरमैन, एक टेक्निकल एक्सपर्ट जो दूसरा सदस्य होगा और तीन नोन ऑफिशियल एवं एक सेक्रेट्री इन्डस्ट्रीज़ इत्यादि। इस तरह से बोर्ड का कम्पोज़ीशन होता है। अब तक इस मंडल में चीफ इन्जीनियर के प्रस्तावों पर चीफ इन्जीनियर की सम्मति ही आखिरी शब्द

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

समझे जाते हैं जबकि हमारा उद्देश्य यह है कि जो भी प्रोपोज़ल्स हों वे बोर्ड के सामने आवें, उनकी जांच की जावे और सबसे बड़ा काम यह है कि जो भी प्रोपोज़ल बोर्ड के सामने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आवें उनको स्कुटिनाइज़ किया जावे । ऐसी स्थिति में टेक्निकल मेम्बर की अनुपस्थिति में यह बोर्ड अभी तक चल रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन इस बात को महसूस करेगा कि टैक्निकल सदस्य के नहीं होने से इसमें कितनी कमियें हो सकती हैं और कितनी हानियें हो सकती हैं । यह कहा जा सकता है कि इसमें टैक्निकल सदस्य की हैसियत से चीफ इन्जीनियर बैठता है । उनकी उसमें राय होती है । मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मानव स्वभाव का प्रश्न है कि जो चीफ इन्जीनियर अपने प्रोपोज़ल चीफ इन्जीनियर की हैसियत से नीचे से लाकर बोर्ड के सामने रखता है उस पर कभी भी यह बोर्ड अपनी विभिन्न ओपीनियन नहीं देता है और न अभी तक जो टैक्निकल प्रोपोज़ल्स आये है उनमें से किसी पर डिफरेन्ट ओपीनियन आपको आज तक दी गई हो, मिलेगी; इसलिए यह बड़े महत्व का प्रश्न है । यह सारे राजस्थान का प्रश्न है ! इसके लिए एक्सपर्ट की राय होना बहुत जरूरी है । उदाहरणार्थ भाखरा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक, थर्मल इलेक्ट्रिक के सम्बन्ध में है, ट्रान्समिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के कई मैटर्स बोर्ड के सामने हो सकते हैं । टैक्निकल सदस्य की मदद से उनकी जांच करें तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि कोई ट्रान्समिशन का प्रोपोज़ल सामने आया और चीफ इन्जीनियर ने किसी शहर में जहां पर विद्युतीकरण करना है, उसके संबंध में ३० साल का प्रोपोज़ल बनाया या २५ साल का बनाया और उसके आधार पर एक्सपेन्सेज़ के रूप में पोल्स, वायर्स हैं इसका हिसाब लगा कर रखा । मैं एक ले मैन हूँ इस संबंध में अधिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता । अगर आपने किसी एक्सपर्ट को बोर्ड में रखा होता तो उसकी आवाज टैक्निकल सदस्य होने से ज्यादा मजबूत होती ।

(१ म. प.)

तो मैं समझता हूं, टैक्निकल मेम्बर अभी हमारे चीफ इन्जीनियर की योग्यता से अधिक योग्यता का मिल सकता था और उसको टैक्निकल मेम्बर की हैसियत से रखा जाता तो मेरा विश्वास है कि जो कोस्ट अभी इस विद्युतिकरण की प्रोजेक्ट्स में आई है उससे बहुत कम आती । जहां बोर्ड को ओटोनोमस बनाने का प्रावधान रखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान टैक्निकल मेम्बर का है इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि टैक्निकल मेम्बर की अनुपस्थिति से मेरा विश्वास है कि जो प्रोपोज़ल्स अभी तक विद्युत मंडल से पास होकर आते रहे हैं उनको चीफ इन्जीनियर की सम्मति ही अन्तिम शब्द रहा है । टेक्नीकल मेम्बर होता तो अवश्य अन्तिम शब्द उसका होता, राय में तब्दीलियां होतीं । यदि आपने टेक्नीकल मेम्बर विद्युत मंडल में नियुक्त किया जो ज्यादा योग्यता रखता है तो आपकी कोस्ट में और प्रोजेक्टस की स्थिति में बड़ा फर्क आयेगा ।

दूसरा प्रश्न मैं जो प्रस्तुत कर रहा था वह है विद्युत मण्डल का बड़ा जो एडमिनि-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

स्ट्रेशन का है । इस पर १३. ६ लाख जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो जाता है, ६ लाख अकाउन्ट्स पर और १०.५३ चीफ इन्जीनियर का; इस तरह १६ लाख का खर्चा इस विद्युत मंडल का है । मैं नहीं जानता कि यह खर्चा वाजिब है या नहीं, किन्तु तुलना में ख्याल किया जाय तो जहां आज १६ लाख का खर्चा है वहां पहले इस पर २५ हजार का खर्चा था । यह उस वक्त था जब कि यह विभाग सरकार के हाथ में था । आज बड़े बड़े काम किये जा रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो सकता है; पर १६ लाख इतना बड़ा खर्चा है इस खर्चे को कम किया जा सकता है । मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय इस संबंध में जांच करनेवाली एक कमेटी सेट अप करें जो इस एडमिनिस्ट्रेशनके बारेमें जांच करे कि इस खर्चे में कमी की जाय । इतना बड़ा काम है, खर्चा ज्यादा हो सकता है; पर यदि विद्युती-करण पर इसी तरह खर्चा बढ़ता गया तो आयन्दा साल जब इसका बजट रखा जायगा उस वक्त २६ लाख का हो सकता है । इस बल्की एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने के लिये इस तरह की कमेटी द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चूंकि सभापति महोदय ने आदेश दिया है कि जल्दी खत्म करूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अतः इन्हीं दो सुझावों के साथ समाप्त करना चाहूँगा । जब राजसमंद में विद्युत आने का इत्मिनान है; लीडर ऑफ अपोज़िशन इस स्थिति को स्वीकार करेंगे कि ७० लाख की योजना इस सागर को पानी से भरने के लिये आरम्भ है । अतः वहां का विद्युतिकरण बहुत आवश्यक हो गया है । चम्बल की विद्युत शक्ति मावली में आ रही है, अतः राजसमंद को भी देनी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री कुमारानन्द !

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले माननीय विद्युत मंत्रीजी ने बताया कि गांव गांव में बिजली ६३–६४ तक दे देंगे । बड़ी खुशी की बात है पर तजुर्बा बताता है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान खत्म हो गया, सैकन्ड फाइव ईयर प्लान भी खत्म हो गया, थर्ड फाइव ईयर भी शुरू हो गया; अभी तक कुछ नहीं हुआ, फोर्थ फाइव ईयर प्लान भी आ जायगा और खत्म हो जायगा पर ये सब कुछ पूरा नहीं कर सकेंगे........

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ । मैंने यह नहीं कहा कि बिजली गांव गांव में पहुंच जायगी । मैंने यह कहा था कि ५०० गांवों को लगभग तृतीय पंच वर्षीय योजना में बिजली दे सकेंगे और जहां से ११ के. वी. और ३३ के. वी. की लाइन गई है उससे एक माइल इधर और एक माइल उधर बिजली ले जाई जा सकेगी ।

श्री कुमारानन्द : मुझे तो डाउट है थर्ड

(श्री कुमारानन्द)

फाइव ईयर प्लान तक कर पायेंगे या नहीं; बल्कि मुझे तो यह डाउट है कि फोर्थ फाइव ईयर प्लान में भी इसे पूरा करके बता सकेंगे या नहीं। इसमें मैं आपकी नेग्लिजेंस नहीं बताता; पर आपके अधिकारियों की नेग्लिजेंस हो सकती है। हर फाइव ईयर प्लान में सरकार ऐसा वादा करती रहती है पर वह पूरा नहीं हो पाता है।

ब्यावर अजमेर को कब तक बिजली दे देंगे, यह मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि ब्यावर एक बहुत पुराना इन्डस्ट्रियल सेंटर है। वहां पर तीन तीन मिलें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वह राजस्थान का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेन्टर है। वहां बिजली की अभी तक इतनी कमी है जिससे औद्योगिक विकास में बड़ी बाधा पड़ रही है। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि ब्यावर किसी जमाने में आजादी से पहले राजस्थान का राजनैतिक केन्द्र था, वहां हिन्दुस्थान के क्रान्तिकारियों का अड्डा था, उसके पीछे एक राजनैतिक इतिहास है और औद्योगिक केन्द्र भी है। मन्त्री महोदय ने कहा था कि अजमेर से चम्बल की बिजली ब्यावर पहुंचाई जायगी। साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान में बिजली की रेट बहुत ज्यादा है, इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए यह नुकसान देने वाला होगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस साल के अन्दर ब्यावर अजमेर में बिजली पहुंचाने की योजना है तो वहां के उद्योगों के विकास में बड़ा फायदा होगा।

एक बात की ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वह यह है कि जोधपुर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने टैक्निकल स्टाफ और टेक्नीशियन्स पर स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम को लागू किया है और डिवाइड एन्ड रूल की पॉलिसी को अख्त्यार किया है, क्लर्कों को स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम से एग्ज़ेम्प्ट रखा गया है। यदि किसी तरह की डिवाइड एण्ड रूल की पोलिसी रही तो आपको बहुत जल्दी ही सुनने को मिलेगा कि राजस्थान के सब बिजलीघरों में स्ट्राइक हो रहा है। तो इस विषय पर भी मैं चाहता हूं कि विद्युत मंडल स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम को लागू करने में भेद की नीति, डिवाइड एण्ड रूल की नीति बरत रहा है; इस सम्बन्ध में विद्युत मंत्री सोचेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय राजस्थान का जिस प्रकार से विद्युतीकरण हो रहा है यह तो एक गौरव का विषय है, मगर साथ ही साथ मैं अपने जिले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। भीलवाड़ा जिले में जो पहली और दूसरी पंच वर्षीय योजना में जिस प्रकार से विद्युतीकरण हुआ है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि हम उस तेजी से बढ़ रहे हैं जिस तेजी से हमें बढ़ना चाहिये। भीलवाड़ा जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिर्फ ४ गांवों को बिजली प्राप्त हुई है; इनके अलावा जितने गांव हैं यों ही पड़े हुए हैं। यह महत्व की बात है कि भीलवाड़ा चम्बल हाइडल

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पॉवर का बड़ा स्टेशन बनने वाला है जहां से गांवों को बिजली दी जायगी। भीलवाड़ा जिले की तहसीलें और बड़े बड़े गांवों को और खास कर मेरी तहसील के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। आसींद भीलवाड़ा से ३४ मील है और मांडल भीलवाड़ा से ८ मील है। ८ मील तक तो पॉवर पहुँचा रखा है और उसके बाद में २४–२५ मील बचता है। आसीन्द से हमारा फासला रहता है। मेरा यह निवेदन है कि यह एरिया इन्डस्ट्रियल प्लेस बनता जा रहा है और कॉटन इन्डस्ट्रीज़ में बढ़ता जा रहा है उसके लिए बिजली की सप्लाई बहुत आवश्यक है। यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आसीन्द तहसील कॉटन ईल्डिंग एरिया है, वहां पर कोटन फैक्ट्रीज़ पनप रही हैं और खेती-बाड़ी के विषय में जिस प्रकार का प्रावधान हमारी सरकार का है इस ओर भी इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जावेगा तो हमारा एरिया बिजली की वजह से बहुत तरक्की कर सकेगा। इसलिए आसीन्द तहसील में जितनी जल्दी हो सके बिजली सप्लाई की जाय जिससे जल्दी प्रगति हो सके। और भी चार चार, पांच पांच हजार जन संख्या के गांव हैं और जिनके लिए राज्य सरकार से मांग की गई है कि 'उनको जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाई जाय। मेरा विद्युत मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस साल इसको उन्होंने इन्क्ल्यूड नहीं किया है तो अगले साल इनको इन्क्ल्यूड करके वहां पर जल्दी से जल्दी पॉवर पहुंचाई जाय जिससे हमारे क्षेत्र की पूरी तरक्की हो सके।

मंत्री महोदय ने गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए गांवों से कॉन्ट्रिब्यूशन का प्रश्न उपस्थित किया है वह बहुत ही बुरी चीज़ है। गरीब लोग गांवों में रहते हैं और इस प्रकार कॉन्ट्रिब्यूशन करके बिजली नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए पंचायत के लिए सुझाव दिया है वह भी टेनेबल नहीं है। सरकार ने एक भेदभाव गांवों और शहरों के बीच में खड़ा कर दिया है। शहरों से कॉन्ट्रिब्यूशन का सवाल नहीं आता है और गांवों के लिए यह प्रश्न खड़ा किया जाता है तो यह एक बहुत बड़ा वज़न गांवों की जनसंख्या के लिए हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की भेदभाव की नीति गांवों और शहरों के लिए नहीं की जाय।

कुछ और सुझाव हैं। बहुत से लोग वायरमैन और सुपरवाइज़र्स को लाइसेन्स लेने के लिए यहां जाते हैं। उनको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बार बार उनको इन्जीनियर्स के घरों पर घूमना पड़ता है। ऐसे लोग हैं जिनको लाइसेन्स मिल जाना चाहिये था उनको लाइसेन्स नहीं मिलता है और उनमें कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं। मेरा सुझाव है कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए या तो उनको कम्पीटिटिव एग्ज़ामिनेशन ले लिया जाय जिससे महीने महीने तक जयपुर की उनको खाक नहीं छाननी पड़े और बार बार ऑफिसर्स के घरों पर भी नहीं घूमना। करप्शन का पुट इसमें आ जाता है, इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिये।

६२-६३ के आंकड़ों की किताब सप्लाई की गई है, उसमें लिखा है कि काम नहीं हो सकता इसलिए कि औजार और बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि राजस्थान

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में चम्बल और भाखरा दोनों तरफ से बिजली आने वाली है और राजस्थान में ज्यादा विद्युतिकरण होगा। जिस प्रकार दूसरे प्रदेशों में इलेक्ट्रिक का कारखाना खोला गया है उसी प्रकार का एक कारखाना इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने के लिये खोला जाय और राजस्थान सरकार इस प्रकार की कोई नीति यहां के लिए भी अपनाये और इस प्रकार का मैटिरियल यहां प्रोड्यूस करे तो राजस्थान ज्यादा से ज्यादा प्रगति कर सकता है।

दूसरा सुझाव और है कि भीलवाड़ा में एटोमिक एनर्जी के लिए साधन उपस्थित हैं। भीलवाड़ा के आस पास एटोमिक पॉवर स्टेशन बनाया जाय और राजस्थान में अधिक से अधिक बिजली पैदा की जाय तो इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **अध्यक्ष** : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, जो सुन्दर चित्र माननीय मंत्री ने बिजली के भविष्य का उपस्थित किया उससे एक बार तो मैं भी चकाचौंध हो गया, सारा सदन चकाचौंध हो गया। बड़ा ही सुन्दर चित्र है। वह यह कि राजस्थान के सब ही गावों में ६३-६४ में बिजली पहुंचने वाली है; ५००-४०० गांव तो कम से कम कवर हो जावेंगे और आंकड़े भी बड़े सुन्दर हैं, बड़े लुभावने हैं। लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि ये आंकड़े वास्तविकता से बहुत दूर हैं। पर केपिटा इनकम के सम्बन्ध में बड़े लुभावने आंकड़े रखे गये हैं, लेकिन वे हजारों लाखों भूखे नंगे पेट उसके पीछे नाच रहे हैं और बिजली के सुन्दर और भव्य आंकड़े देखे जायं तो पीछे की वास्तविकता बड़ी नग्न और भयानक है; पहली, दूसरी, तीसरी पंच साला योजना। पहली पंच साला योजना में बिजली के टार्गेट के सम्बन्ध में चीज हुई वह तो इन आंकड़ों से बिल्कुल ही विपरीत है। केवल सारे राजस्थान में ३२ पॉवर हाउसेज़ थे और अधिक से अधिक ४० हो गये। यह पहली पंचसाला योजना में हुआ और दूसरी पंच साला योजना में बहुत बड़ी राशि बिजली के लिए थी। करीब १,६६६ लाख रुपया बिजली के क्षेत्र में खर्च किये जाने थे। उनमें से १,५७४ लाख रुपया इस मद में खर्च हुए; बाकी के लैप्स हो गये जिसके लिए मुख्य कारण मंत्री महोदय ने बताया कि सामान नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त एक्सचेन्ज की तंगी है। इसके अतिरिक्त जितनी देशी कम्पनीज़ थीं वे ओवर बिज़ी थीं। लेकिन अगर यह कठिनाई हुई थी तो मध्यप्रदेश में भी यही कठिनाई उपस्थित हुई होगी। राजस्थान भारत वर्ष में कोई विभिन्न परिस्थितियों में नहीं है। जिस परिस्थिति में मध्य प्रदेश है, जिस परिस्थिति में पंजाब है उसी परिस्थिति में राजस्थान भी है। एक तरफ राजस्थान को भाखरा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक २५ प्रतिशत मिलेगी और दूसरी तरफ चम्बल हाईडो इलेक्ट्रिक से ५० परसेन्ट बिजली मिलेगी। ५० परसेन्ट मध्य प्रदेश को चम्बल से देनी है। अब हम देखें कि इन दोनों से कितनी प्राप्ति कर सकते हैं तो आंकड़ों की नग्नता स्पष्ट हो जावेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चम्बल हाइडल प्रोजेक्ट के चार स्टेजेज़ हमने सैकिन्ड फाइव इयर प्लान में फिक्स किये थे। फर्स्ट स्टेज में गांधी सागर के चार टर्बाइन फिक्स करने की बात थी २७-२७ हजार किलोवाट बिजली के। सैकिण्ड स्टेज में कुल बिजली प्राप्त होने वाली थी वह ६६ हजार किलोवाट थी और थर्ड स्टेज पर राणा प्रताप सागर में चार टर्बाइन्स फिक्स करने थे और २८ हजार किलोवाट बिजली लेनी थी। थर्ड स्टेज में कोटा शहर को ६० हजार किलोवाट पॉवर स्टेशन के द्वारा इतनी बिजली की सप्लाई देनी थी, लेकिन मौजूदा स्थिति देखते हैं तो शुष्कता नजर आती है। गांधी सागर डेम का एक टरबाइन चल रहा है बाकी खामोश पड़े हुए हैं। एक सुन्दर चित्र विद्युत मंत्री ने उपस्थित किया और गांधी सागर का जिक्र किया कि कुछ टर्बाइन चालू करना चाहते हैं। तीन इन्स्टाल हो चुके हैं और एक काम कर रहा है। कारण इसका एक है और वह स्पष्ट है। ट्रान्समिशन लाइन ले नहीं की गई। इस सम्बन्ध में वाजोरिया एन्ड कम्पनी, कलकत्ता को ट्रान्स्फोर्मर लाइन ले करना था। परमिट गलत दे दिया। जो स्टील चाहिये था लाने के लिए वह नहीं दिया। परमिट दुबारा देना पड़ा और वह कार्य कराना पड़ा। लाखों रुपयों का इसमें नुकसान हुआ। लाखों रुपयों का एक्सचेकर में घाटा हुआ।

दूसरी ओर भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से १६ हजार किलोवाट बिजली पैदा होनी चाहिये थी वह सिर्फ ४,४०० किलोवाट बिजली ही पैदा कर सके। जिसका मुख्य कारण है ट्रांसमिशन लाइन नहीं हो सकी। भाखरा की बिजली के सम्बन्ध में दो स्टेशन्स कायम होने वाले थे; एक राजगढ़ और दूसरा श्री गंगानगर। इस सम्बन्ध में दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट उल्लेख था कि १३२ किलोवाट से राजगढ़ कस्बे को और ६६ किलोवाट श्री गंगानगर से मुक्तसर तक। इससे इस क्षेत्र की ६१ लोकेलिटीज़ को आप बिजली देने वाले थे। सीकर, नागौर, झुंझुनू इसी के अन्तर्गत आते हैं। दूसरी पंच साला योजना में जो खूबसूरत तस्वीर कि इस काल में खेतों में बिजली मिलेगी, ट्यूबवेल्स इससे चालू होंगे इस प्रकार से सुन्दर तस्वीर रखने की कोशिश की है लेकिन इसके साथ जो आज नई तस्वीर खींचने का प्रयास किया गया है उसमें ऐसा लगता है पिछली तस्वीर का हुलिया बिगड़ गया।

तीन थर्मल स्टेशन्स भी कायम करने का इरादा था; एक सवाई माधोपुर, दूसरा हनुमानगढ़ और तीसरा सतपुड़ा में। हनुमानगढ़ का थर्मल स्टेशन और सवाई माधोपुर का थर्मल स्टेशन कायम नहीं कर सके और सतपुड़ा में ५० पर्सेन्ट बिजली लाने की आशा पर बैठे हुए हैं। भव्य योजनाओं की पूर्ति की दृष्टि से जो आधार आपका है वह बहुत ही दुर्लदयपूर्ण व्यवहार है। जिस तरीके से आजकल बिजली के खम्भे चढ़ाये जाते हैं उससे वह दृश्य उपस्थित हो जाता है जिस समय इजिप्ट में पिरामिड बनाये गये थे। रस्सों से बांध बांध कर खम्भे खड़े किये जाते हैं। आज इस वैज्ञानिक युग में भी खम्भे खड़े किये जायं और उसके लिए ३०-४० आदमी मजदूरों की तरह से काम करें! आप अब तक एक मशीन ईरेक्ट नहीं कर पाये जिससे ये खम्भे जल्दी लग पाते और ट्रांसमिशन लाइन हमारे यहां आ जाती। इससे जहां समय की बचत होती वहां

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लाखों रुपयों की बचत भी होती।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : माननीय सभापति महोदय, विद्युत मंडल के आय-व्ययक पर बहस हो रही है। संक्षेप में मैं भी अपने जिले के सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहता हूं। अभी मांडल से आने वाले माननीय साथी ने कहा कि अलवर के माननीय सदस्य अलवर के ३७ गांवों में बिजली मिल जाने पर भी सन्तोष नहीं कर पाये हैं। मैं इस सम्बन्ध में उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अलवर जिले से मैं भी आया हूँ। अलवर जिले की जो वास्तविक स्थिति थी वह उन्होंने रखी। अलवर जिला इस प्रकार से बसा हुआ है कि उसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। दुर्भाग्य है कि उधर न कोई नहर आने वाली है और न सिंचाई के साधन ही उपलब्ध होने वाले हैं। भाखरा की बिजली आस-पास के इलाके में चमचमाहट करती है लेकिन अलवर के लोग इससे महरूम रह जाते हैं। हमारे अलवर शहर में बिजली मिली हुई होती तो वहां भी औद्योगीकरण होता, उद्योग लगे हुए होते, इससे अनएम्प्लोयमेन्ट की जो समस्या है उसका भी समाधान हो सकता था।

भाखरा की बिजली मिलती है, ऐसे गांवों में मिलती है जहां नहरें आने वाली हैं। अलवर जिले में सिंचाई के साधन नहीं। सभापति महोदय इस जिले के अन्दर इतनी अधिक सरसों पैदा होती है कि इससे राज्य को बहुत बड़ी इन्कम मिलती है। अगर वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जांय तो सरसों का उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता है और सिंचाई के साधन बिजली से ही पैदा हो सकते हैं। इसलिये भाखरा की बिजली जो हमारे नजदीक में है वह अलवर जिले को अवश्य मिलनी चाहिये।

चम्बल से जो बिजली जयपुर आ रही है वह जयपुर से वापिस सवाई माधोपुर और अजमेर को जायगी। उससे अलवर को क्यों महरूम किया जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिस प्रकार कहा गया था औद्योगीकरण में इसलिये कमी रही कि बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ सका। अलवर जिले का यह सौभाग्य है कि मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं वहां कोपर निकला है। यह आपने भी पढ़ा होगा, ४० तांबे की खानें यहां निकली हैं। इन खानों को कार्यान्वित तभी किया जा सकता है, आउट पुट तभी अच्छा हो सकता है जब यहां बिजली पैदा हो जाय। इससे राजस्थान की इन्कम में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि चम्बल की बिजली खो की खान तक पहुंचे। वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की तरक्की के लिए, उस जिले की तरक्की के लिये; जिसकी तरक्की के लिये आज तक कम ख्याल किया गया है खो को खान तक आप बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध करें और राजगढ़ में सब पॉवर स्टेशन कायम करें ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके।

एक माननीय सदस्य ने कहा, पॉवर हाउस जिस प्रकार से रन करते हैं उसी के अनुसार उसकी दरें होती हैं। इसी कारण वहां आठ आना यूनिट दी जाती है। ये दरें खर्च के अनुसार होती हैं। रियासत के जमाने में भी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

यहां पर आठ आने की दर थी। अलवर में तो पहले से ही ज्यादा दरें बढ़ी हुई हैं । इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि पावर हाउस से जहां जहां भी लाइन जाय उसके बीच में जो भी गांव आते हैं उन गांवों को बिजली से महरूम न रखा जाय । अलवर के आस पास के गांवों को इलेक्ट्रिफाइ किया जाय ताकि वहां के लोगों को योजनाबद्ध बिजली दी जा सके ।

यह तो आश्वसन दे दिया गया है कि जिस जगह और जहां से भी लाइन जायगी उसके बीच के गांवों को बिजली दी जायगी तो इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं ।

इस देश के एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो हमें सब जगहों पर बिजली पहुंचानी पड़ेगी । सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है उसका मैं समर्थन करता हूँ । जिला भीलवाड़ा की काफी तहसीलों में बिजली चली गई । इस बिजली से वहां की खानें अच्छी प्रकार से चल पायेंगी, ऐसा उनका सुझाव है । हमारा दुर्भाग्य है कि हम कुछ बोलने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उस पर भी समय की पाबन्दी लगा दी जाती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे विषयों पर बोलने के लिए सदन का समय बढ़ा देना चाहिये । उनके सुझाव के साथ दो सुझाव और आये हैं, कोऑपरेटिव बेसिस पर और पंचायत समितियों के पास ठेका हो, यह बहुत अच्छा सुझाव है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो विद्युत के प्रसार की बात की गई है वह प्रशंसा की बात है । साथ में मैं यह भी ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि हर पहलू का हर तरीका होता है । कहीं विकास का काम किस प्रकार से होता है और कहां किस प्रकार से हो पायगा इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए । मैं जिस जिले से आ रहा हूं वहां के लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं । पैदावार सरसों और अनाज की तभी ज्यादा हो सकती है जब वहां पानी मिले और पानी बिना बिजली के मिल नहीं सकता । इसलिये मैं विद्युत मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो बिजली का प्रावधान है वह बहुत कम है; उससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें ।

श्री सभापति : We now adjourn to meet on the 7th May, 1962.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १.३० बजे, सोमवार, दिनांक ७ मई, १९६२ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, दिनांक ४ मई, १९६२)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	६१०५	पाली तथा जालौर जिले में भू-राजस्व की बकाया।	
भूमिहीनों को जमीन।		बारां कस्बे में कॉलेज की मांग।	
प्राथमिक शाला, शेखसर की व्यवस्था।		अभावग्रस्त गांवों में राहत कार्य।	
भूमिहीन किसानों को जमीन।		आदिवासियों को कुए खोदने के निमित्त दी गई धन-राशि।	
जयपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के तहत छात्र-वृद्धि आन्दोलन।		शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पुस्तकें।	
बेदखली और जुर्माना।		भरतपुर जिले के किसानों से नामान्तरकरण फीस की वसूली।	
बीकानेर में विश्व विद्यालय की स्थापना।		हरिजनों को गृह निर्माण हेतु दी गई धनराशि।	
किसानों पर जुर्माना।		पंचायत समितियों के अधीन मैट्रिक ट्रेन्ड अध्यापक।	
सड़क-निर्माण।		धनेरा ग्राम में तालाब बनाने की स्वीकृति।	
हकदारी सम्बन्धी नोटिसों का प्रकाशन।		(दिनांक ६-४-६२ का स्थगित प्रश्न)	
राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की खरीद।		बरसाती नाले की मरम्मत	
रेवेन्यू अदालतों के मुकद्मे।		**२. सदन की मेज पर रखा गया प्रतिवेदन**	६१९९
हाई स्कूल का हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तन		श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अन्त-	
बूंदी शहर में उद्योग।			
हिन्डोन शहर में डिग्री कॉलेज।			

र्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक) सदन की मेज पर रखा।

३. मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य ६१६६

अलवर और भरतपुर जिलों के निष्क्रान्त भूमि के किसानों को, बिना मुआवजा चुकाये, खातेदारी अधिकारों से वंचित रखने संबंधी जिन स्थगन-प्रस्तावों की सूचनायें श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री हरि-राम चौहान ने दिनांक ३ मई, १९६२ को दी थी उनके संबंध में मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखा-ड़िया ने आज एक वक्तव्य दिया।

४. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ६१७३

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत लूणकरणसर टाउन में पीने के पानी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर मंत्री, पंचायत विभाग का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दिनेशराय डांगी, उप-मंत्री, पंचायत विभाग ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

५. विधायी कार्य-पुरः स्थापित किया गया विधेयक

राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ ६१७६

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ (The Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation (Amendment) Bill 1962] को पुरः स्थापित किया।

६. राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १९६२-६३ पर विचार ६१७७

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया : "कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १९६२-६३ को विचारार्थ लिया जाय।"

इस पर किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:-

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(२) श्री ज्वालाप्रसाद

(३) श्री मुरलीधर व्यास

(४) श्री भीमसेन

स्कम्भ

(५) श्री रामानन्द अग्रवाल

(६) श्री बृजसुन्दर शर्मा

(७) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

(८) श्री मुकुटबिहारीलाल

(९) श्री दलपतसिंह

(१०) श्री फूलचन्द जैन

(११) श्री श्योपतसिंह

(१२) श्री हीराभाई

(१३) श्री निरन्जननाथ आचार्य

(१४) श्री कुमारानन्द

(१५) श्री गिरधारीलाल व्यास

(१६) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(१७) श्री जयकृष्ण

स्कम्भ

सदन की कार्यवाही १ बज कर ३० मिनट पर सोमवार, दिनांक ७ मई, १९६२ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

कार्य-विवरण दिनांक ७ मई, १९६२ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १९६२-६३ पर हुए वादविवाद का उत्तर

(२) राजस्थान अध्यारोपित (सुपर-इम्पोज्ड) स्टाम्प वैधकरण विधेयक, १९६२ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

(३) राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२

(४) उपाध्यक्ष का निर्वाचन

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ का उत्तर देखिये)

Jaipur District.

Panchayat Samities.	No. of Students before drive.	No. of Students after drive	No. of Students Increased.	No. of Teachers before drive	No. of Teachers after drive	No. of Teachers require
Sambhar	3363	5203	1840	148	148	16
Phagi	2041	3036	995	93	93	13
Jamwaramgarh	3037	4267	1230	130	130	18
Shahpura	2875	3910	1035	118	118	15
Dudu	4491	6001	1510	130	130	23
Govindgarh	3252	4848	1596	120	120	25
Kotputli	3776	4910	1134	146	146	27
Amber	3141	4724	1573	131	131	20
Chaksu	1466	2032	566	96	96	8
Bairath	2704	4376	1672	132	132	11
Dausa	2754	3662	908	127	127	11
Sikrai	4302	5509	1207	142	142	20
Bandikui	3653	5285	1632	175	175	20
Bassi	2824	5702	2878	125	125	42
Jhalawar	3277	4555	1278	122	122	x
Sanganer	2560	5520	2960	174	174	30
Lalsot	3034	4079	1045	133	133	14
Total:—	52,560	78,619	26,059	2242	2242	313

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३८ का उत्तर देखिये)

REVENUE CASES ACCORDING TO COURTS (PALI DISTRICT) FROM 1-1-60 to 31-12-60

S. N.	Name of the Court	Location	Balance	Institution	Total	Disposed of	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Collector	Pali	57	109	166	143	23	
2.	Addl. Collector	Pali	14	151	165	119	46	
3.	S. D. O.	Pali	63	165	228	143	85	
4.	S. D. O.	Bali	960	274	1234	830	404	P. D. R. cases separated from the statement.
5.	S. D. O.	Sojat	180	288	468	322	146	
6.	S. D. O.	Jetaran	171	246	417	272	145	
7.	Asstt. Collector & Magistrate	Pali	71	215	286	118	168	
8.	Tehsildar	Pali	45	2807	2852	2816	36	
9.	Tehsildar	Sojat	109	252	361	284	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Tehsildar	Kharchi	113	274	387	292	95	
11.	Tehsildar	Jetaran	20	168	188	142	46	
12.	Tehsildar	Raipur	14	823	838	827	11	
13.	Tehsildar	Bali	971	416	1387	1256	131	P. D. R. cases separated from the statement.
14.	Tehsildar	Desuri	186	1494	1680	1540	140	—do—
15.	Naib-Tehsildar	Pali	8	20	28	7	21	
16.	Naib-Tehsildar	Sojat	38	123	161	96	65	
17.	Naib-Tehsildar	Kharchi	96	98	194	124	70	
18.	Naib-Tehsildar	Jetaran	5	185	190	156	34	
19.	Naib-Tehsildar	Raipur	4	16	20	15	5	
20.	Naib-Tehsildar I	Bali	167	258	425	331	94	
21.	Naib-Tehsildar II	Bali	75	223	298	226	72	
22.	Naib-Tehsildar	Desuri	...	232	232	172	60	
		Total.	3367	8838	12205	10231	1974	

REVENUE CASES ACCORDING TO COURTS (PALI DISTRICT) FROM 1-1-61 to 31-12-61

S. N.	Name of the Court	Location	Balance	Institution	Total	Disposed of	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Collector, Pali	Pali	23	80	103	71	22	
2.	Additional Collector	Pali	46	288	334	255	199	
3.	S. D. O.	Pali	85	110	195	119	76	
4.	S. D. O.	Bali	404	212	616	344	272	
5.	S. D. O.	Sojat	146	197	143	237	106	
6.	S. D. O.	Jetran	145	159	304	162	142	
7.	Asstt. Collector & Mag.	Pali	168	8	176	104	72	
8.	Tehsildar	Pali	36	119	155	65	90	
9.	Tehsildar	Sojat	77	332	409	394	15	
10.	Tehsildar	Kharchi	95	242	337	228	109	
11.	Tehsildar	Jetran	46	265	311	223	88	
12.	Tehsildar	Raipur	11	282	293	290	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Tehsildar	Bali	131	125	256	155	101
14.	Tehsildar	Desuri	140	180	320	254	66
15.	Naib-Tehsildar	Pali	21	13	34	17	17
16.	Naib-Tehsildar	Sojat	65	95	160	146	14
17.	Naib-Tehsildar	Kharchi	70	38	108	48	60
18.	Naib-Tehsildar	Jetarn	34	66	100	80	20
19.	Naib-Tehsildar	Raipur	5	33	38	28	10
20.	Naib-Tehsildar	Bali	94	129	223	177	46
21.	Naib-Tehsildar II	Bali	72	155	227	221	6
22.	Naib-Tehsildar	Desuri	60	122	182	118	64
		Total	1,974	3,250	5,224	3,736	1,488

STATEMENT SHOWING THE REVENUE CASES (1-1-60 to 31-12-60)

(Jodhpur Distt.)

S. No.	Name of the Court.	Previous Balance.	Instituted during the year.	Total.	Disposed of during the year.	Balance at the end of the year.
1.	Collector, Jodhpur.	5	82	87	53	34
2.	Addl. Collector, Jodhpur.	16	111	127	91	36
3.	S. D. O., Jodhpur.	183	333	516	311	205
4.	S. D. O., Phalodi.	239	170	409	176	233
5.	A. C. & Mag. No. 1, Jodhpur.	8	1	9	3	6
6.	A. C. & Mag. No. 3, Jodhpur	23	8	31	14	17
7.	Tehsil Jodhpur.	153	182	335	205	130
8.	Tehsil Bilara.	21	156	177	118	59
9.	Tehsil Osian.	66	1,145	1,211	694	517
10.	Tehsil Phalodi.	10	6	16	7	9
11.	Tehsil Shergarh.	25	2	27	22	5
		747	2,196	2,945	1,694	1,251

STATEMENT SHOWING THE REVENUE CASES (1-1-61 to 31-12-61)

(Jodhpur Distt.)

S. No.	Name of the Court.	Previous Balance.	Instituted during the year.	Total.	Disposed of during the year.	Balance at the end of the year,
1.	Collector, Jodhpur.	46	70	116	93	23
2.	Additional Collector, Jodhpur.	36	69	105	75	30
3.	Sub-Divisional Officer, Jodhpur.	2,694	245	2,939	200	2,739
4.	Sub-Divisional Officer Phalodi	2,771	51	2,822	73	2,749
5.	Asstt. Collector & Mag. No. 1, Jodhpur.	223	26	249	7	242
6.	Asstt. Collector & Mag. No. 3, Jodhpur.	181	2	183	7	176
7.	Tehsildar, Jodhpur.	1,973	226	2,199	150	2,049
8.	Tehsildar, Bilara.	961	299	1,260	171	1,089
9.	Tehsildar, Osian.	2,920	143	3,063	599	2,464
10.	Tehsildar, Phalodi.	443	188	631	177	454
11.	Tehsildar Shergarh.	233	48	281	30	251
		12,481	1,367	13,848	1,582	12,266

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ४ मई, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६१११	११	मिडिल	मिडल
,,	२२,२६,२७ व अंत में	सक्शन	सैक्शन
६११४	७	पेन्डिग	पेन्डिग
६११५	८	प्राजेक्ट	प्रोजेक्ट
६१२१	शीर्षक	तारांकित	तारांकित
६१३८	शीर्षक	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
६१४७	१५	वहां वे हाइ	वहां हाई
६१४८	३-४	करेंगे ; रही है ?	करेंगे :
,,	६	विचार कर	विचार कर रही है ?
६१५१	२१	Bharavo Lal	Shri Bhairav Lal
६१६२	अन्तिम से ४	कृपा करें :	कृपा करेंगे :
६१७३	शीर्षक	पय-जल	पेय-जल
६१७७	७	विधेयक को	विधेयक को
६१७८	५	यह अज	यह अर्ज
६१८८	२०	अग्रवाल	अग्रवाल
६१८८	अन्तिम	कँमान फेज	कॉमन फेज़
६१९७	२४	द्वारा; गांधी सागर	द्वारा गांधीसागर
६१९९	१०	६०-६० मे भाषण	६०-६१ के भाषण
६२०६	अन्तिम से २	शव्दों के साथ	शब्दों के साथ
६२०७	११	आगे व दावे	आगे बढ़ाने
६२२२	२	शव्द में	शब्द में
६२२३	१२	शीटस के	शीट्स के
६२३७	४	मिली,है	मिली है,